उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

विषय सूची

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	5
2.	उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनिमय –1873	7
3.	अभियन्ता सेवा (सिविल/यांत्रिक) समूह 'क' सेवा नियमावली– 2003	53
4.	समूह 'ख' सेवा नियमावली – 2003	72
5.	अनुसचिवीय सेवा (समूह 'ग') नियमावली –2003	97
6.	ड्रांइग अधिष्ठान सेवा नियमावली 1984	122
7.	उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग सेवा नियमावली समूह 'क' 'ख' व 'ग'– 2003	132
8.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली – 2004	153
9.	अवकाश नियमों का सारांश	163
9.	Uttar Pradesh Govt. Servants Conduct Rules-1956	171
10.	Irrigation Manual of Orders	183

मैनुअल–5

कृत्यों के निर्वहन के लिये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क्र0	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	अभिलेख प्राप्ति कहां से	शुल्क
1	2	3	4	5	6
1.	वित्त हस्त पुस्तिका भाग–1	नियम	राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों के संबंध में	संबंधित लोक सूचना अधिकारी से	जब एवं जैसा निर्धारित किया जाये।
2	वित्त हस्त पुस्तिका भाग–2 खंड–2 से 4	तदैव	राजकीय सेवकों के आधारभूत नियम सेवा की सामान्य शर्तें, अधिकार, दंड, अवकाश व सब्सीडियरी नियम	तदैव	तदैव
3	वित्त हस्त पुस्तिका भाग–3	तदैव	यात्रा भत्ते संबंधी नियम यह प्रथम व 1924 में प्रकाशित हुआ	तदैव	तदैव
4	वित्त हस्त पुस्तिका भाग–5	तदैव	लेखा नियमों से संबंधित	तदैव	तदैव
5	वित्त हस्त पुस्तिका भाग–6	तदैव	विभागों के वित्तीय लेखा, कैश, भंडार, कार्य, लेखा आदि	तदैव	तदैव
6	सिंचाई आदेशों की निर्देशिका	मैनुअल	सिंचाई अभियंताओं की आवश्यक पथ प्रदर्शिका है तथा विभागीय कृत्यों जैसे, लेखा, आय–व्ययक, कार्यालय कार्य, अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार तथा विभाग के सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य विषय	तदैव	तदैव
7	राजकीय आदेशों की निर्देशिका (एम0जी0ओ0)	आदेश	सिंचाई आदेश निर्देशिका की भांति है। सामान्य रूप से राजकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु	उत्तराखण्ड शासन	तदैव
8	कैनाल एण्ड ड्रेनेज अधिनियम 1873 व नलकूप अधिनियम 1936	आदेश	नहर, नदी एवं नलकूप से संबंधित तथा इनसे संबंधित कार्यों में दंड आदि	नहर एवं नलकूप से संबंधित लोक सूचना अधिकारी	तदैव
9	भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894	नियम	विभाग के कार्यों के किसी कार्य हेतु भूमि अध्याप्त करने के विषय में	संबंधित लोक सूचना अधिकारी	तदैव

10	स्थाई आदेश	आदेश	सक्षम अधिकारी द्वारा किसी कार्य विशेष के लिये हर समय लागू होने वाले आदेश	तदैव	तदैव
11	भारतीय मानक ब्यूरो के कोड्स	अनुदेश	किसी कार्य विशेष के संबंध में विस्तृत विशिष्टियों के कोड्स	संबंधित लोक सूचना अधिकारी	तदैव
12	सिंचाई विभाग की विशिष्टियां	अनुदेश	विभाग के कार्यों के संबंध में विस्तृत विशिष्टियां	तदैव	तदैव
13	अभियंता अधिकारियों के सेवा नियम	नियम	प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञापित अभियंता अधिकारियों के सेवा नियम	प्रदेश सरकार	तदैव
14	वरिष्ठ अधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी	अनुदेश	कार्य में सुधार तथा पथ प्रदर्शन हेतु	संबंधित लोक सूचना अधिकारी	तदैव
15	तकनीकी पुस्तकें, जर्नल, पेपर पब्लिकेशन आदि	अनुदेश	अभिलेख परिकल्प और शोध संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु हैं।	तदैव	तदैव

उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873

अधिनियम सं0 8 सन् 1873

The Northen India Canal and Drainage Act, 1873

उत्तरी भारत नहर और जल –निकास अधिनियम, 1873

(अधिनियम संख्या 8,1873)

The Northen India Canal and Drainage Act, 1873

उत्तरी भारत में सिंचाई, नौपरिवहन और जल–निकास को विनियमत करने हेतु

अधिनियम

उद्देशिका–

जहां उस समस्त भू–भाग, जिस पर यह अधिनियम विस्तारित होता है, एक राज्य सरकार समस्त नदियों और प्राकृतिक मार्ग में बहती हुई समस्त धाराओं और समस्त झीलों और शांत जल की समस्त प्राकृतिक संग्रहों के जल का लोक प्रयोजनार्थ प्रयोग और नियंत्रण करने की हकदार है; और जहां तक सिंचाई, नौपरिवहन और जल निकासी के सम्बन्ध में कथित क्षेत्रों में विधि का संशोधन समीचीन है; यह निम्नवत् एतद्द्वारा अधिनियम किया जाता है।

भाग – एक

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम –**

यह अधिनियम उत्तरी भारत नहर और जल–निकास अधिनियम, 1873 कहा जा सकेगा।

स्थानीय विस्तार – यह [1](उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य तथा दिल्ली) तक विस्तारित है और चाहे स्थायोवत व्यवस्थित, अस्थायोवत व्यवस्थित, या राजस्व मुक्त समस्त भूमियों को लागू होता है।

2. **(अधिनियमों का निरसन) –**

निरसन अधिनियम 1873 (1873 का 12), धारा 1 और अनुसूची भाग II द्वारा निरसित किया गया ।

3. **खण्डों का निर्वचन–**

इस अधिनियम में जब तक कुछ भी विषय या वस्तु में विरोधी न हो:

(1) **नहर –** 'नहर' शामिल करता है :–

(क) समस्त नहरों, धाराओं और संग्रहकों को जो राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति या संग्रहण हेतु संरचित अनुरक्षित या नियंत्रित है;

(ख) समस्त कार्य, बांध संरचनायें आपूर्ति ओर निकासी धारायें जो ऐसे नहरों धाराओं या संग्रहणकों के सम्बद्ध है;

(ग) इस धारा के द्वितीय खण्ड को परिभाषित समस्त जल सारणी;

(घ) किसी नदी, धारा, झील या जल के प्राकृतिक संग्रहणक या प्राकृतिक जल निकासी धारा, जिसको राज्य सरकार ने इस अधिनियम के भाग दो के प्रावधनों को लागू किया है;

(2) **'जल सारणी'** – 'जल सारणी में कोई मार्ग जो एक नहर से निकाले गये जल को लागू होता है। किन्तु जो राज्य सरकार के खर्चे पर अनुरक्षित नहीं है और ऐसे किसी मार्ग से सम्बोधित समस्त सहायक कार्य अभिप्रेरित है।

(3) **'जल निकासी कार्य'** – 'जल निकासी कार्य' एक नहर बांध, वीयर, तटबन्ध, स्लूसेस, ग्रोइंस आदि कार्यों से जल निकालने के मार्गों और बाढ़ से या क्षण से भूमियों की सुरक्षा हेतु समस्त कार्यों को शामिल करती है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के भाग सात के प्रावधानों के आधीन विरचित या अनुरक्षित की जाती हैं , किन्तु शहरों से सीवेज को हटाने हेतु कार्यों का शामिल नहीं करती है।

(4) **'जलयान'** – 'जलयान' नावों, बेड़ा (rafts), लकड़ों और अन्य तैरती हुई निकायों का शामिल करती है।

(5) **'आयुक्त' –** 'आयुक्त' से एक मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है, और इस अधिनिमय के अधीन किसी अधिकारी को शामिल करता है जो आयुक्त की किसी या समस्त शाक्तियों का प्रयोग करने केलिये नियुक्त किया गया है।

(6) **'कलेक्टर' –** 'कलेक्टर' से एक जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है और एक उपायुक्त या एक कलेक्टर के किसी या समस्त शाक्तियों का प्रयोग करने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों को शामिल करता है।

(7) **'नहर अधिकारी'** – 'नहर अधिकारी' से किसी नहर या उसके किसी हिस्से पर अधिकारिता या नियंत्रण का प्रयोग करने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है।

'अधीक्षण नहर अधिकारी' – 'अधीक्षण नहर अधिकारी' से एक नहर या नहर के किसी हिस्से पर सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है।

'खण्डीय नहर अधिकारी' – 'खण्डीय नहर अधिकारी' से एक नहर के किसी खण्ड पर नियंत्रण का प्रयोग करता हुआ एक अधिकारी अभिप्रेत है।

'उप खण्डीय नहर अधिकारी' – 'उप खण्डीय नहर अधिकारी' से एक नहर के उपखण्ड पर नियंत्रण का प्रयोग करता हुआ एक अधिकारी अभिप्रेत है।

(8) **'जिला'** – 'जिला' से राजस्व प्रयोजनार्थ नियत किया गया एक जिला अभिप्रेत।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश–

(1) (i) उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 के द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ केवल धारा 3 के खण्ड (4) और (7) के प्रावधान किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रायोज्य नहीं है।

(ii) उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 के द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ केवल खण्ड (6) में "उपायुक्त या अन्य" शब्दों के लिये शब्द 'एक' प्रतिस्थापित किया गया।

(2) उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 के द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ केवल खण्ड (8) के अन्त में पूर्ण विराम के लिए, एक अर्ध विराम प्रतिस्थापित किया गया और तत्पश्चात् निम्न नये खण्ड़ों को जोड़ा गयाः–

(9) **'सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र'** – से ऐसा कृषि योग्य भूमि या बागान भूमि अभिप्रेत है जिसे एक नहर में एकल जल निकास या एक मात्र नलकूप द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ समादेशित किया जा सकता है और जिसकी सीमायें इस निमित्त "खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा" निश्चित की जाती है; और

(10) **'विहित'** – से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम द्वारा विहित है।

4. **'अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति'** – राज्य सरकार समय–समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि अधिकारी जिसके द्वारा और स्थानीय सीमा जिसके

भीतर इसमें इसके पश्चात् प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां या कर्तव्यों में से किसी या समस्त का अभ्यास या कार्य किया जायेगा।

धारा 3, खण्ड (7) में वर्णित समस्त अधिकारी क्रमशः ऐसे अधिकारी के आदेशों के अध्यधीन होंगे जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश करती है।

राज्य संशोधन

उत्तरप्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 12, 1936 द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ, केवल धारा 4 के प्रावधान उ0प्र0 में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रायोज्य नहीं है।

भाग दो

लोक प्रयोजनार्थ जल का प्रयोग

5. जब जल आपूर्ति का प्रयोग लोक प्रयोजनार्थ किया जाता है, तब अधिसूचना का जारी किया जाना – जब कभी राज्य सरकार को यह समीचीन प्रतीत होता है कि किसी प्राकृतिक मार्ग में बहती हुई किसी नदी या धारा का जल, या किसी झील या शीत जल के किसी प्राकृतिक संग्रहण के जल का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किसी विद्यमान या प्रस्तावित नहर या जल निकास कार्य हेतु किया जाना चाहिये, तो राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि कथित जल कथित अधिसूचना में नामित एक दिन जो उसकी तिथि से तीन महीनों से पूर्व न हो, के पश्चात् इस प्रकार प्रायोजित होगी या प्रयोग की जायेगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 12, 1936 द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ, केवल धारा 5 के प्रावधान उ0प्र0 में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रायोज्य नहीं है।

6. नहर अधिकारी की शक्तियां – इस प्रकार नामित दिन के पश्चात् किसी समय कोई नहर अधिकारी इस निर्मित राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कार्य करते हुये किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और किसी बाधा को हटा सकेगा और किसी अन्य मार्ग को बन्द कर सकेगा, और कथित जल की ऐसा प्रायोज्यता या उपयोग हेतु आवश्यक कोई अन्य कार्य कर सकेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 12, 1936 द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में लागू हुआ, केवल धारा 5 के प्रावधान उ0प्र0 में हुआ, केवल "इस प्रकार नामित दिन" शब्दों के लिये शब्द "उ0प्र0

राज्य नलकूप अधिनियम, 1936 का प्रारम्भ को प्रतिस्थिापित" किया गया और शब्द "कथित जल की ऐसी प्रायोज्यता या उपयोग" के लिए शब्द राज्य नलकूप के प्रयोजनार्थ भूतल के नीचे के जल की प्रायोज्यता या प्रयोग को प्रतिस्थापित किया गया मान लिया जायेगा।

(ii) उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 4 1954 द्वारा जैसा इसका प्रयोग उ0 प्र0 में हुआ, केवल उ0प्र0 में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द 'नहर अधिकारी' के लिए इस धारा के संदर्भ मे एक नलकूप अधिकारी को संदर्भ माना जायेगा।

7. प्रतिकर के दावों हेतु नोटिस – ऐसी अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र जैसे ही यह व्यावहारिक हो, कलेक्टर सुलभ स्थानों पर वर्णित करता हुआ सार्वजनिक नोटिस लगवायेगा कि राज्य सरकार कथित जल का प्रयोग या उपयोग यथा उपरोक्त रूप से करने को तात्पर्य रखती है और कि धारा 8 में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा उसके समक्ष किया जा सकेगा।

8. क्षति जिसके लिये प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकेगा – कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जायेगा :–

(क) बाढ़ रोकने से किसी कमी या रूकावट द्वारा;

(ख) मृदा या जलवायु में गिरावट द्वारा :

(ग) नौ परिवहन या भवन निर्माण लकड़ी के वहन या जल जीवन जन्तु के शिकार में स्थगन द्वारा

(घ) श्रम के विस्थापन द्वाराः

कारित किसी क्षति के लिए।

मामले जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकेगा – किन्तु निम्न में से किसी मामले के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकेगा–

(ड़) किसी प्राकृतिक मार्ग द्वारा जल आपूर्ति की किसी सुपरिभाषित मार्ग पर आपूर्ति के कारण आई कमी या रूकावट, चाहे भूतल से ऊपर या नीचे कथित अधिसूचना की तिथि से प्रयोग में;

(च) चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम किसी मार्ग पर कथित अधिसूचना की तिथि पर लाभ के प्रयोजनार्थ खडे किये गये किसी कार्य के प्रयोग में जल आपूर्ति को कमी या रूकावट के मामले में;

(छ) कथित अधिसूचना की तिथि से ठीक पांच वर्ष के भीतर सिंचाई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी प्राकृतिक मार्ग के माध्यम से जलापूर्ति की मात्रा में कमी या रूकावट के मामले में;

(ज) किसी जल उपक्रम या किसी जल का प्रयोग करने के लिये कोई व्यक्ति भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1877 (1877 का 15) भाग चार के अधीन हकदार है के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के सम्बन्ध में कारित किसी क्षति के मामले में ;

(झ) किसी अन्य पारिणामिक क्षति, जो उपरोक्त खण्ड़ (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन आवृत नहीं है और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा कारित किये जाते हैं, जो ऐसे प्रतिकर के अधिनिर्णयन के समय प्राक्कलित किये जाने और समनुदेशित किये जाने योग्य है।

ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण करने में किसी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में दावा किया गया है, को प्रतिकर का अधिनिर्णय करते समय सम्पत्ति की बाजार मूल्य में ह्रास का ध्यान रखा जायेगा, और जहां ऐसा बाजार मूल्य समनुदेशन योग्य नहीं है तो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग से ऐसी सम्पत्ति को कारित ह्रास की धनराशि वार्षिक शुद्ध लाभ के बारह गुना धनराशि पर निश्चित की जायेगी।

इस धारा के खण्ड (ड.), (च) या (छ) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तिथि पर किसी कार्य या मार्ग में जो प्रयोग में नहीं है के सम्बन्ध में ऐसी जलापूर्ति का कोई अधिकार अनुदान या भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15)[1] भाग चार के अलावा राज्य सरकार के विरूद्ध प्राप्त नहीं किया जायेगा।

और धारा के खण्ड (क)., (ख) या (ग) में निर्दिष्ट लाभों से किन्हीं का कोई अधिकार उसी भाग के अधीन राज्य सरकार के विरूद्ध प्राप्त नहीं किया जायेगा।

9. **दावों का परिसीमा –** ऐसी किसी रूकावट, मात्रा में कमी या क्षति के लिये प्रतिकर का कोई दावा ऐसी रूकावट या कमी या क्षति होने से एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर का समाधान न हो जाय कि दावा कर्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर दावा न कर पाने के लिये पर्याप्त कारण था।

10. **दावों की जांच पड़ताल और प्रतिकर की धनराशि –** कलेक्टर ऐसे किसी दावा की जांच पड़ताल और प्रतिकर को धनराशि, यदि कोई हो जिसको दावा कर्ता को दिया जाना

चाहिए का निर्धारण करने के लिये कार्यवाही करेगा; और भू अर्जन अधिनियम 1870 (1870 का 10)[2] की धारायें 9 से 12 (अन्तवर्ती), 14,15, 1 से 23 (अन्तवर्ती), 26 से 40 (अन्तवर्ती), 51 57, 58 और 59 जांच पड़ताल को लागू होंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कथित धारा 26 के अन्तिम खण्ड के बजाय निम्नलिखित को पढा जायेगा "उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 की इस धारा और धारा 8 के प्रावधानों को प्रत्येक निर्धारित के समक्ष उसके अधिनिर्णीत किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि के लिये अपना विचार व्यक्त करने से पूर्व एक ऐसी भाषा में जो वह समझता है पढा जायगा।"

11. **जलापूर्ति बाधित होने पर भाटक (रेट) का उपशमन–** एक अनअवसानित पट्टे के अधीन कब्जे का अधिकार रखने वाला प्रत्येक भू–धृति धारक जो जलापूर्ति में किसी रूकावट या मात्रा में कमी होने के समय किसी भूमि के कब्जे में है जिसके सम्बन्ध में धारा 8 के अधीन प्रतिकर अनुज्ञात है तो वह उसके द्वारा कथित भूमि के लिये पूर्व में भुगतान योग्य भाटक (रेट) के उपशमन हेतु इस आधार पर कि इस प्रकार को बाधा से भूधृात का मूल्य घट जाता है दावा कर सकेगा।

12. **जलापूर्ति के प्रत्यावर्तन पर भाटक (रेट) में वृद्धि –** यदि एक जलापूर्ति जो ऐसी भूधृति के मूल्य को बढा देती है को कथित भूमि के लिये बाद में प्रत्यावर्तित कर दो जाती है, जलापूर्ति के प्रत्यावर्तन के कारण ऐसी भूमि के बढे हुये मूल्य के सम्बन्ध में भाटक (रेट) ऐसी धनराशि से अनाधिक तक बढ़ाई जा सकेगी। जिस पर वह उपशमन से ठीक पूर्व थी।

ऐसी वृद्धि केवल जलापूर्ति के प्रत्यावर्तन के आधार पर होगी और किसी अन्य आधार पर भाटक (रेट) में वृद्धि के अभिधारी के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

13. **प्रतिकर कब देय होगा–** इस भाग के अधीन भुगतान योग्य प्रतिकर की समस्त धनराशि शिकायत की गई रूकावट हास या क्षति के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिकर हेतु दावा किये जाने के तीन महीने पश्चात् देय हो जोयेगी।

ब्याज– कथित तीन मास के पश्चात् भुगतान न की गई ऐसी धनराशि पर जहाँ ऐसी धनराशि का भुगतान न किया जाना दावा कर्ता द्वारा जानबूझकर कर उसे प्राप्त करने में उपेक्षा या इन्कार द्वारा कारित किया जाता है के अलावा 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज अनुज्ञात किया जायेगा।

भाग तीन

संकार्यों का निर्माण और अनुरक्षण कार्य

14. **प्रवेश कराने और पर्यवेक्षण इत्यादि करने की शक्ति –** कोई नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो एक नहर अधिकारी के सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन कार्य करते हुये,

किसी नहर से लगी हुई भूमि पर या जिससे होती हुई किसी नहर का बनाया जाना प्रस्तावित है पर प्रवेश कर सकेगा, और, उसके स्तर का सर्वेक्षण कर सकेगा;

और उप मृदा में छेद कर सकेगाा या खोद सकेगाा;

और समुचित भू–चिन्ह, स्तर चिन्ह और वाटर गेज बना सकेगा या स्थापित कर सकेगा; और कथित नहर अधिकारी के प्रभार के अधीन किसी विद्यमान या प्रस्तावित नहर से सम्बन्धित किसी जांच पड़ताल के समुचित अभियोजन हेतु आवश्यक अन्य समस्त कार्य कर सकेगा;

जलापूर्ति का निरीक्षण और विनियमन की शक्ति – और किसी भूमि भवन या जल उपक्रम पर जिसके खाते में जल दर प्रभार्य है पर आपूर्ति किये गये जल के उपभोग के विनियमन या निरीक्षण के प्रयोजनार्थ या तद्द्वारा सिंचित या जल –दर से प्रभार्य भूमि के मापन हेतु और ऐसी नहरों के समुचित विनियमन और प्रबंधन हेतु समस्त आवश्यक कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकेगा।

घरों में आशयित प्रवेश की नोटिस– किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति किसी भवन, रिहायशी मकान से संलग्न आंगन या बगीचे जो किसी नहर द्वारा प्रवाहित जल से आपूर्ति नहीं है में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है तो वह ऐसे भवन आंगन या बागीचे के अभिधारों को कम से कम सात दिनों की अपने ऐसा करने के आशय की नोटिस देगा।

प्रवेश द्वारा भारित क्षति के लिये प्रतिपूर्ति– इस आधार के अधीन प्रवेश के प्रत्येक मामले में नहर अधिकारी ऐसे प्रवेश के समय इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही द्वारा घटित किसी क्षति के लिये प्रतिकर प्रदान करेगा; और इस प्रकार प्रदत्त धनराशि को पर्याप्ता के सम्बन्ध में विवाद के मामले में वह अग्रेतर उसे कलेक्टर द्वारा निर्णय हेतु संदर्भ कर देगा और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1936 का 12) जैसा इसका प्रयोग उत्तरप्रदेश में हुआ केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में "नहर अधिकारी" को एक सन्र्दभ को इस धारा मे एक "नलकूप अधिकारी" माना जायेगा।

15– मरम्मत और दुर्घटना रोकने हेतु प्रवेश करने की शक्ति– एक नहर में किसी दुर्घटना के घटित होने या घटित होने की आशंका के मामले में कोई खण्डीय नहर अधिकारी या इस निमित्त उसके सामान्य या विशिष्ट आदेश के अधीन कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति ऐसी नहर से ठीक लगी हुई किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, और ऐसी दुर्घटना को रोकने या मरम्मत कार्य के प्रयोजनार्थ समस्त कार्यों जो आवश्यक होगें का निष्पादन करेगा।

भूमि को हुये नुकसान हेतु प्रतिकर – ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति कथित भूमि के स्वामियों या कब्जा धारियों को उसको किये गये समस्त नुकसानों के लिये प्रतिकर प्रदान करेगा। यदि ऐसा निविदत्त प्रतिकर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नहर अधिकारी मामले का संदर्भ कलेक्टर को कर देगा, जो राज्य सरकार द्वारा भू–अर्जन अधिनियम 1870[1] (1970 का 10) की धारा 43 के अधीन यथा निर्देशित भूमियों के कब्जे से हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अधिनिर्णय करने की कार्यवाही करेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1936 का 12) जैसा इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ, केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में किसी "नहर अधिकारी" और एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में संदर्भो को एक "नलकूप अधिकारी" और एक "खण्डीय अधिकारी" क्रमशः को संदर्भ माना जायेगा।

16– नहरी जल का प्रयोग करने को इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन – किसी नहर के जल का प्रयोग करने को इच्छुक कोई व्यक्ति नहर के खण्ड या उपखण्ड के खण्डीय नहर अधिकारी या उपखण्डीय अधिकारी जहां से जल उपक्रम को आपूर्ति की जानी है को लिखित में आवेदक के खर्च पर जल उपक्रम में सुधार या निर्माण करने का निवेदन करते हुये आवेदन कर सकेगा।

आवेदन की विषय वस्तु – आवेदन किये जाने वाले कार्यों, उनको प्राक्कलित खर्च या आवेदक उसके लिये जिसे धनराशि का भुगतान करने का इच्छुक है या चाहे वे खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा निश्चित वास्तविक खर्च का भुगतान करने को सहमत है, और कैसे भुगतान किया जाना है का वर्णन करेगी।

कार्य के खर्च हेतु आवेदकों का दायित्व – जब अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदनों पर सहमति दे दी जाती है, तो आवेदक जब आवेदन कलेक्टर के समक्ष सम्यक रूप से अभिप्रमाणित हो जाती है तो उसमें वर्णित विस्तार तक ऐसे कार्यो के खर्च के लिये संयुक्त रूप से या विवाक्षित रूप से दायी होगा।

देय धनराशि की वसूली – ऐसे आवेदनों के शर्तों के अधीन देय होने वाली किसी धनराशि और जिसका भुगतान खण्डीय नहर अधिकारी को या उसके द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिकृत व्यक्ति को उस तिथि से पूर्व या तक जिस पर वह देय हो जाती है, भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे अधिकारी की मांग पर कलेक्टर द्वारा वसूली योग्य होगी जैसे कि यह भूराजस्व का बकाया था।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसा कि उसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ है, केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में एक "खण्डीय नहर अधिकारी" एक उपखण्डीय नहर अधिकारी" और एक "अधीक्षण नहर अधिकारी" को इस धारा में किया गया संदर्भ एक खण्डीय अधिकारी, एक "उपखण्डीय अधिकारी" और एक "अधीक्षण अभियन्ता" को क्रमशः किया गया संदर्भ माना जायेगा।

17– सरकार को नहरों को पार करने का साधन उपलब्ध कराना– राज्य सरकार के खर्च पर, राज्य सरकार के खर्च द्वारा निर्मित और अनुरक्षित नहरों को पार करने का समुचित साधन, ऐसे स्थानों पर जैसा राज्य सरकार सन्निकट भूमियों के वासियों के युक्तियुक्त सुविधा के लिये आवश्यक समझती है, उपलब्ध कराया जायेगा।

ऐसी भूमियों के कम से कम पांच भू–स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में इस प्रभाव का विवरण प्राप्त होने पर कि किसी नहर पर समुचित पार करने का साधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, कलेक्टर मामले की परिस्थितियों की जांच पड़ताल कारित करायेगा, और यदि वह समझता है कि विवरण स्थापित है, तो वह उस पर अपना विचार राज्य सरकार के विचारण हेतु आख्यायित करेगा, और राज्य सरकार उसके सम्बन्ध में लेने के लिये आवश्यक उपाय कारित कर लेगी, जैसी वह उचित समझती है।

18– सड़क के आरपार पानी ले जाने के लिये निर्माण कार्य करने के लिये जल उपक्रम का प्रयोग करने वाले व्यक्ति – खण्डीय नहर अधिकारी किसी जल उपक्रम के जल को किसी लोक सड़क, नहर या निकासी मार्ग जो कथित जल उपक्रम के बनाये जाने के पूर्व उपयोग में था के आर–पार जल ले

जाने के लिये समुचित पुल, कल्वर्ट या अन्य संकर्म का निर्माण करने या ऐसे किसी संकर्म की मरम्मत करने का आदेश जारी कर सकेगी।

ऐसा आदेश एक युक्तियुक्त अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसी विनिर्मिति या मरम्मत पूरी कर ली जायेगी ;

यदि वे असफल रहते हैं, तो नहर अधिकारी विनिर्माण कर सकेगा – और यदि ऐसे आदेश को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्तियों, जिन्हें यह सम्बोधित है, कथित अवधि के भीतर नहर अधिकारी के समाधान के स्तर तक ऐसे संकर्म का विनिर्माण या मरम्मत नहीं करते हैं, तो वह अधीक्षण नहर अधिकारी को पूर्व अनुमोदन से, स्वयं उसका विनिर्माण या मरम्मत करा सकेगा ;

और खर्च को वसूल करेगा – और यदि कथित व्यक्तियों ने, जो खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा यथा घोषित ऐसी विनिर्मित या मरम्मत के खर्च का जब इस प्रकार भुगतान करने को अपेक्षित है भुगतान नहीं करते हैं, तो धनराशि, खण्डीय नहर अधिकारी की मांग पर उनसे कलेक्टर द्वारा वसूली योग्य होगी जैसा कि यह एक भू–राजस्व का बकाया हो।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसा कि इसका प्रयोग उ0प्र0 में हुआ, केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में, एक "नहर अधिकारी" एक "अधीक्षण नहर अधिकारी" और एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में किया गया कोई संदर्भ एक "नलकूप अधिकारी" एक "अधीक्षण अभियन्ता" और एक "उपखण्डीय अधिकारी" को क्रमशः किया गया संदर्भ माना जायेगा।

19– संयुक्त रूप से जल उपक्रम का प्रयोग करते हुये व्यक्तियों के बीच दावों का समायोजन– किसी जल उपक्रम के विनिर्माण या अनुरक्षण के लिये अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार, या अन्य लोगों के साथ जल उपक्रम का संयुक्त प्रयोग करता हुआ कोई व्यक्ति ऐसी विनिर्मिति या अनुरक्षण के खर्च के अपने हिस्से का भुगतान, या ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिये आवश्यक किसी कार्य में अपने हिस्सेदारी का निष्पादन करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है, तो खण्डीय या उपखण्डीय नहर अधिकारी ऐसी उपेक्षा या इंकार से कथित किसी व्यक्ति से लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर, समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को एक नोटिस की सेवा करायेगा कि सेवा की तिथि से पन्द्रह दिनों के समापन तक, वह मामले का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा उसे उचित प्रतीत होता है।

ऐसा आदेश कमिश्नर को अपील योग्य होगा जिस पर उसका आदेश अन्तिम होगा।

देय पायी गई राशि की वसूली– विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे आदेश द्वारा भुगतान की जाने वाली किसी धनराशि को यदि ऐसी अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, और यदि आदेश प्रवृत्त रहता है, कलेक्टर द्वारा उसका भुगतान करने को निर्देशित व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा, जैसे कि यह भू राजस्व का एक बकाया हो।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसा कि इसका प्रयोग केवल उ0प्र0 में हुआ किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में "खण्डीय या उपखण्डीय नहर अधिकारी" को किया गया संदर्भ इस धारा में एक "खण्डीय या उपखण्डीय अधिकारी" को किया गया एक संदर्भ माना जायेगा।

20– अन्तक्षैपी जल उपक्रम के माध्यम से जलापूर्ति – जब किसी नहर से जलापूर्ति हेतु खण्डीय नहर अधिकारी को आवेदित किया जाता है और उसे यह समीचीन प्रतीत होता है कि ऐसी आपूर्ति दी जानी चाहिये और कि इसका ले जाना किसी विद्यमान उपक्रम द्वारा होना चाहिये, तो वह ऐसे जल उपक्रम के अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों को, ऐसी नोटिस देगा कि कथित आपूर्ति इस प्रकार क्यों नहीं ले जायी जा सकती, और ऐसे दिन पर जांच पड़ताल करने के पश्चात खण्डीय नहर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि चाहे और किन शर्तों पर कथित आपूर्ति ऐसे जल उपक्रम से ले जायी जायेगी।

जब ऐसा अधिकारी निश्चित करता है कि नहरी जल की आपूर्ति यथा उपरोक्त जल उपक्रम के माध्यम से ले जायी जा सकती है, तो उसका निर्णय जब अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा पुष्ट या उपान्तरित कर दिया जाय तो आवेदक ओर कथित जल उपक्रम के अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी बाध्यकारी होगा।

ऐसा आवेदक ऐसे जल उपक्रम का प्रयोग करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक उसके द्वारा जलापूर्ति होने के लिये आवश्यक ऐसे जल उपक्रमों में किसी परिवर्तन को खर्च का और ऐसे जल उपक्रम के प्रथम खर्च के ऐसे हिस्से जो खण्डीय या अधीक्षण नहर अधिकारी निश्चित कर सकेगा, का भी उसने भुगतान न कर दिया हो।

ऐसा आवेदक जब तक वह इसका प्रयोग करता है ऐसे जल उपक्रमों के अनुरक्षण खर्च के अपने हिस्से का भी दायी होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसे इसका प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश में राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, इस धारा में "खण्डीय नहर अधिकारी" या एक अधीक्षण नहर अधिकारी" का एक "खण्डीय अधिकारी" और एक "अधीक्षण अभियन्ता" को क्रमशः एक संदर्भ माना जायेगा।

21– **नये जल उपक्रम के निर्माण हेतु आवेदन –** एक नये जल उपक्रम का निर्माण करने को इच्छुक कोई व्यक्ति खण्डीय नहर अधिकारी को :–

(1) कि उसने भू–स्वामियों से, जिसके द्वारा ऐसे जल उपक्रमों को ले जाने के लिये आवश्यक भूमि को उतने हिस्से के कब्जे का अधिकार जिसकी वह इच्छा रखता है, अधिग्रहण करने में असफल रूप से प्रयास किया है।

(2) कि वह इच्छा रखता है कि कथित नहर अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्च पर ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिये आवश्यक सब कुछ करें ;

(3) कि वह ऐसे जल उपक्रम के निर्माण और ऐसे अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्च पर ऐसा अधिकार की अभिप्राप्ति में संलग्न समस्त खर्चो का वहन करने में समर्थ है ;

का वर्णन करते हुये आवेदन कर सकेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसा इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, "नहर अधिकारी" और एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में संदर्भ एक "नलकूप अधिकारी" और एक "खण्डीय अधिकारी" को क्रमशः संदर्भ माना जायेगा।

22– **तदुपरि नहर अधिकारी की कार्यवाही –** यदि खण्डीय नहर अधिकारी विचार करता है –

(1) कि ऐसे जल उपक्रम का निर्माण समीचीन है, और

(2) कि आवेदन में दिये गये विवरण सत्य हैं ;

तो वह आवेदक का ऐसा धन जैसा खण्डीय नहर अधिकारी प्रारम्भिक कार्यवाहियों के खर्च के वहन हेतु आवश्यक समझता है, और किसी प्रतिकर की धनराशि जिसका उसके विचार में धारा 28 के अधीन देय हो जाना सम्भावित है, को जमा करने हेतु बुलायेगा ;

और, ऐसा जमा किये जाने पर, वह कथित जल उपक्रम हेतु सर्वोत्तम सम्बद्ध व्यवस्था किये जाने हेतु जांच पड़ताल कारित करायेगा, और भूमि जो उसके विचार में अधिगृहित करना उसके निर्माण के लिये आवश्यक होगा को चिन्हित करेगा, और अग्रेतर प्रत्येक गांव में जिससे होकर जल उपक्रम का ले जाना प्रस्तावित है, एक नोटिस छपवायेगा कि ऐसी भूमियों का इतना हिस्सा जो ऐसे गांवों से सम्बन्ध रखती है और इस प्रकार से चिन्हित की गई है, और ऐसी नोटिस की एक प्रति प्रत्येक उस जिले के कलेक्टर को जिसमें ऐसी भूमि का हिस्सा स्थित है, प्रेषित कर देगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1936 का 13) द्वारा जैसा इसका प्रयोग केवल राज्य नलकूप के सम्बन्ध में किया गया है, इस धारा में "खण्डीय नहर अधिकारी" को किया गया कोई संदर्भ "खण्डीय अधिकारी" को किया गया संदर्भ माना जायेगा।

23– विद्यमान जल उपक्रम के अन्तरण हेतु आवेदन – एक विद्यमान जल उपक्रम के वर्तमान धारक से स्वयं के नाम में स्वामित्व अन्तरण की इच्छा रखते हुये कोई व्यक्ति लिखित में खण्डीय नहर अधिकारी को –

(1) कि उसने ऐसे जल उपक्रम के स्वामी से ऐसा अन्तरण उत्पन्न करने में असफल प्रयास किया है ;

(2) कि वह इच्छा रखता है कि कथित नहर अधिकारी, उसकी ओर से उसके खर्च पर ऐसा अन्तरण उत्पन्न करने के लिये आवश्यक सब कुछ करें।

(3) कि वह ऐसे अन्तरण का समस्त खर्च वहन करने में समर्थ है ;

का वर्णन करते हुये आवेदन कर सकेगा।

तदुपरि प्रक्रिया – यदि खण्डीय नहर अधिकारी विचार करता है –

(क) कि ऐसे जल उपक्रम से सिंचाई को बेहतर प्रबन्ध हेतु कथित अन्तरण आवश्यक है, और

(ख) कि आवेदन में दिये गये विवरण सत्य हैं ;

तो वह आवेदक को ऐसी जमा करने के लिये, जैसी खण्डीय नहर अधिकारी प्रारम्भिक कार्यवाही के खर्च को अदा करने के लिये आवश्यक समझता है, और ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में धारा 28 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रतिकर की धनराशि, जो देय हो सकेगी, को जमा करने के लिये बुलवायेगा ;

और ऐसा जमा हो जाने पर, वह प्रत्येक गांव में आवेदक की एक नोटिस छपवायेगा और प्रत्येक जिले के कलेक्टर को जिससे होकर ऐसा जल उपक्रम गुजरता है, नोटिस की एक प्रति भेज देगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसा इसका प्रयोग उ0प्र0 में केवल किसी नलकूप के सम्बन्ध में हुआ है, एक "नहर अधिकारी" को और एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में किया गया संदर्भ एक "नलकूप अधिकारी" और एक "खण्डीय अधिकारी" को क्रमशः किया गया संदर्भ माना जायेगा।

24– आवेदित निर्माण या अन्तरण की आपत्तियाँ – धारा 22 या 23 जैसा मामला हो के अधीन एक नोटिस को प्रकाशन से तीस दिनों के भीतर, कोई व्यक्ति जो भूमि या उपक्रम जिसे नोटिस निर्दिष्ट करता है में रूचि रखता है, याचिका द्वारा कलेक्टर को विनिर्माण या अन्तरण जिसके लिये आवेदन किया गया है पर आपत्ति करते हुये आवेदन कर सकेगा।

कलेक्टर या तो याचिका को अस्वीकृत कर सकेगा या आपत्तियों की वैधता की जांच पड़ताल की खण्डीय नहर अधिकारी को स्थान और समय जिस पर ऐसी जांच पड़ताल की जायेगी, की एक पूर्व सूचना देते हुये कार्यवाही कर सकेगा।

क्लेक्टर अपने द्वारा इस धारा के अधीन पारित समस्त आदेशों की ओर उनके आधारों को अभिलिखित करेगा।

राज्य संसोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1636 का 12) द्वारा जैसा इसका उ0प्र0 में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रयोग हुआ है, इस धारा में "खण्डीय नहर अधिकारी" को किया गया एक संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" को किया गया संदर्भ माना जायेगा।

25–कब आवेदक को कब्जा दिया जा सकेगा – यदि कोई ऐसी आपत्ति नहीं की जाती है, या (जहाँ ऐसी आपत्ति की जाती है) यदि कलेक्टर इसके विरूद्ध व्यवस्था देता है, तो वह खण्डीय नहर अधिकारी को इस प्रभाव की नोटिस देगा, और अग्रेतर कथित आवेदक को चिन्हित भूमि पर या अन्तरण हेतु जल उपक्रम, जैसा मामला हो का कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1636 का 12) द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में केवल राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू है, "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में किया गया संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" को किया गया संदर्भ माना जायेगा।

26– प्रक्रिया जब आपत्ति वैध धारित की जाती है – यदि कलेक्टर विचार करता है कि यथा उपरोक्त की आपत्ति वैध है, तो वह खण्डीय नहर अधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा, और, यदि ऐसा अधिकारी उचित समझता है, तो वह धारा 21 के अधीन एक आवेदन के मामले में, इस प्रकार चिन्हित भूमि को चौहद्दों को परिवर्तित कर सकेगा, और धारा 22 के अधीन एक नवीन नोटिस दे सकेगा, और एतद्पूर्व प्रावधानित प्रक्रिया ऐसी नोटिस को प्रायोज्य होगी, और कलेक्टर तदुपरि जैसा पूर्व में प्रावधानित है, कार्यवाही करेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1636 का 12) द्वारा जैसा यह उ0प्र0 में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू है, "खण्डीय नहर अधिकारी" को एक संदर्भ इस धारा में एक "खण्डीय अधिकारी" को एक संदर्भ माना जायेगा।

27– प्रक्रिया जब नहर अधिकारी कलेक्टर से असहमत है – यदि नहर अधिकारी कलेक्टर से असहमत है, तो मामला कमिश्नर को सन्दर्भित किया जायेगा।

ऐसा निर्णय अन्तिम होगा और कलेक्टर, यदि वह ऐसे निर्णय द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाता है, तो धारा 28 के प्रावधानों के अध्यधीन, कथित आवेदक को इस प्रकार चिन्हित भूमि या अन्तरण हेतु जल उपक्रम, जैसा मामला हो, के कब्जे में स्थापित करना कारित करायेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1636 का 12) द्वारा जैसा यह उत्तर प्रदेश में केवल किसी राज्य नलकूप को लागू है, शब्द "नहर अधिकारी" के लिये "खण्डीय अधिकारी" शब्द को प्रतिस्थापित करें।

28– कब्जा प्राप्त करने के पूर्व आवेदक द्वारा खर्चे का भुगतान – कोई ऐसा आवेदक ऐसी भूमि या जल उपक्रम के कब्जे में स्थापित नहीं किया जायेगा जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति को ऐसी धनराशि जैसा कलेक्टर भूमि या इस प्रकार कब्जा की गई या अन्तरित जल उपक्रम के प्रतिकर

के रूप में देय निर्धारित करता है अैर ऐसी भूमि को चिन्हित करने में कारित किसी क्षति के लिये और ऐसे कब्जे या अन्तरण के समस्त आनुषांगिक व्ययों के साथ भुगतान न कर दिया हो।

प्रतिकर निर्धारित करने में प्रक्रिया – इस धारा के अधीन प्रतिकर का निर्धारण करने में कलेक्टर भू–अर्जन, अधिनियम, 1870[1] (1870 का 10) के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही करेगा, किन्तु वह, यदि प्रतिकर प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है, कब्जा किये गये या अन्तरित भूमि या जल उपक्रम के सम्बन्ध में संदेय एक किराया प्रभार के रूप में ऐसे प्रतिकर का अधिनिर्णय कर सकेगा।

प्रतिकर और व्ययों की वसूली – ऐसे प्रतिकर और व्ययों का भुगतान जब उसको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति द्वारा मांग किये जाने पर नहीं किया जाता है, तो धनराशि कलेक्टर द्वारा वसूली की जा सकेगी जैसे कि यह भू–राजस्व का एक बकाया हो, और जब वसूल कर ली जाती है, तो उसके द्वारा उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को भुगतान कर दिया जायेगा।

29– कब्जे में स्थापित व्यक्ति पर बाध्यकारी शर्ते – जब कोई ऐसा आवेदक भूमि या जल उपक्रम जैसा उपरोक्त है, के कब्जे में स्थापित कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित नियम और शर्ते उस पर और उसके हितबद्ध प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगें –

प्रथम – ऐसे जल उपक्रम के चतुर्दिक जल निकासी के लिये या जल उपक्रम, जो इसके और इससे निकलने वाली नालियों के निर्माण के पूर्व विद्यमान थी, और आस–पास को भूमि की सुविधा के लिये इसके चारों ओर समुचित संचार व्यवस्था देने हेतु समस्त आवश्यक संकर्म आवेदक द्वारा विनिर्मित किये जायेगें और उसके द्वारा या उससे हितबद्ध प्रतिनिधियों द्वारा खण्डीय नहर अधिकारी के समाधान स्तर तक अनुरक्षित किये जायेगें।

द्वितीय – धारा 22 के अधीन एक जल उपक्रम के लिये कब्जा की गई भूमि केवल ऐसे जल उपक्रम के प्रयोजनार्थ प्रयोग की जायेगी।

तृतीय – प्रस्तावित जल उपक्रम आवेदक को भूमि में कब्जा दिये जाने के पश्चात एक वर्ष के भीतर खण्डीय नहर अधिकारी के समाधान स्तर पर पूरा कर लिया जायेगा।

मामले जिसमें भूमि का कब्जा या जल उपक्रम का अन्तरण किराया प्रभार की शर्तो के आधार पर किया गया हैं ।

चतुर्थ – आवेदक या उसमें हितबद्ध उसका प्रतिनिधि, जब तक वह ऐसी भूमि या जल उपक्रम का कब्जा रखता है, तो उसके लिये ऐसी दर और ऐसे दिनों पर जैसा कलेक्टर द्वारा जब आवेदक कब्जे में स्थापित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, किराये का भुगतान करेगें।

पंचम – यदि इन नियमों में से किसी के भंग होने के कारण भूमि के कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो कथित किराया भुगतान का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक आवेदक या उसमें हितबद्ध उसके प्रतिनिधि ने भूमि को इसके मूल स्थिति में पुनः स्थापित न कर दिया हो, या उसने कथित भूमि को किये गये किसी क्षति के लिये प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि और ऐसा व्यक्ति जैसा कलेक्टर निश्चित करता है, को भुगतान न कर दिया हो।

षष्टम – कलेक्टर ऐसे किराया या प्रतिकर को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर, सन्देय किराये को धनराशि निश्चित कर सकेगा या ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण कर सकेगा, और, यदि कोई ऐसा प्रतिकर का भुगतान आवेदक या उसमें हितबद्ध उसके प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर धनराशि को संदेयता तिथि से उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित उसी प्रकार वसूल कर सकेगी, जैसे कि वह भू–राजस्व का बकाया हो, और जब वसूल कर लिया जाय, तो उसी का भुगतान कर देगा जिसको वह देय है।

यदि इस धारा निहित किन्हीं नियमों या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है या यदि इस धारा के अधीन लगातार तीन वर्षों तक जल उपक्रम का प्रयोग नहीं करेगा, तो आवेदक, या उसमें हितबद्ध उसके प्रतिनिधित्व ऐसी भूमि या जल उपक्रम के कब्जे का अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो जायेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसे इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, इस धारा में, "खण्डीय नहर अधिकारी" को संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" को एक संदर्भ माना जायेगा।

30– विस्तारीकरण और परिर्वतन हेतु कब्जा की प्रायोज्य प्रक्रिया – एक जल उपक्रम के निर्माण के लिये भूमि का कब्जा हेतु एतद्पूर्व प्रावधानित प्रक्रिया, एक जल उपक्रम के किसी विस्तारीकरण या परिवर्तन के लिये भूमि के कब्जे को, और जल उपक्रम की सफाई से निकले मृदा को जमा करने हेतु प्रायोज्य होगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – धारा 30 के पश्चात नयी धारा 30–क से 30 छ उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1953 द्वारा जोड़ी गई।

30–क– सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र के लिये योजना की तैयारी – खण्डीय नहर अधिकारी एक सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने या सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से

जल उपक्रम के निर्माण और ऐसे क्षेत्र में तत्सम्बन्धित किसी काम को करने के लिये किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी, एक स्कीम तैयार कर सकेगा । स्कीम अन्तर्विष्ट करेगी।

(i) निकासी स्थान, विद्यमान जल उपक्रम, यदि कोई प्रस्तावित जल उपक्रम और तत्सम्बन्धित संकर्म और पूर्व में ही सेबित क्षेत्र और विद्यमान अथवा प्रस्तावित जल उपक्रम द्वारा सेबित किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शित करते हुये एक योजना ;

(ii) प्रस्तावित जल उपक्रम और तत्सम्बन्धित संकर्म के निर्माण के प्राक्कलित व्यय को दर्शित करता हुआ एक विवरण ;

(iii) रीति जिसमें योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा को दर्शित करता हुआ एक ज्ञापन ; और

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जायें।

30–ख– स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा को बुलाना – (1) खण्डीय नहर अधिकारी यथाशीघ्र जैसे हो सकेगा धारा 30–क के अधीन तैयार की गई योजना की एक प्रति प्रत्येक ग्राम सभा को एवं खण्ड विकास अधिकारी जिसकी अधिकारिता में तद्द्वारा प्रभावित क्षेत्र स्थित है, को अग्रसारित कर देगा, और ग्राम सभा के प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर स्कीम का अपना अनुमोदन या कोई आपत्तियाँ, सुझाव या उससे सम्बन्धित उपान्तरण उसको प्रस्तुत करने हेतु बुलायेगा।

(2) ग्राम सभा द्वारा स्कीम की प्रतिलिपि प्राप्त होने से तीन दिनों के भीतर उसके द्वारा अपने नोटिस बोर्ड पर उसे चिपका दिया जायेगा और तत्पश्चात् 12 दिनों के बाद इस प्रयोजनार्थ संयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में इस पर विचार किया जायेगा और ग्राम पंचायत का निर्णय सम्बन्धित ग्राम सभा की ओर से और के लिया समझा जायेगा। निर्णय को उपधारा (1) में अनुज्ञात समय सीमा के भीतर खण्डीय नहर अधिकारी को पारेषित कर दिया जायेगा।

(3) यदि उपधारा (1) द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी ग्राम सभा द्वारा कोई आपत्तियाँ या सुझाव या उपान्तरण प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ग्राम सभा की स्कीम को अनुमोदित किया हुआ मान लिया जायेगा, जो तदुपरि अन्तिम हो जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा की गई आपत्तियों, उपान्तरणों या सुझावों के प्राप्त होने पर, खण्डीय नहर अधिकारी या तो स्कीम को पुष्ट या संशोधित या उपान्तरित कर सकेगा और तदुपरि इस प्रकार पुष्ट या उपान्तरित स्कीम अन्तिम हो जायेगी।

(5) जब स्कीम अन्तिम हो जायेगी, तो खण्डीय नहर अधिकारी लिखित में नोटिस द्वारा, स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समस्त कदम उठाने के लिये और विशेषतया जल उपक्रम का निर्माण करने या निर्माण कारित कराने और तत्सम्बन्धित समस्त कार्य करने या कारित कराने के लिये उसके लिये नोटिस में निश्चित अवधि, जिसे समय–समय पर विस्तारित किया जा सकेगा, के भीतर सम्बन्धित ग्राम सभा को बुलावायेगा।

30–ग– स्कीम के लिये भूमि अधिग्रहण या प्राप्त करना – (1) धारा 30–ख की उपधारा (5) में वर्णित नोटिस प्राप्त होने पर ग्राम सभा उन समस्त व्यक्तियों को जिनकी भूमि पर जल उपक्रम का निर्माण कराना या जिस पर उससे सम्बन्धित कोई संकर्म का कराया जाना प्रस्तावित है, उपहार या समर्पण के रास्ते, जैसा मामला हो, समस्त विल्लंगमों से मुक्त कथित भूमि के उस हिस्से को नोटिस में उसके लिये प्रावधानित अवधि के भीतर उसके पक्ष में अन्तरित कर देने का विकल्प प्रस्तुत करेगी जैसा स्कीम के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक होगा।

(2) जहां स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि को उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरित या ग्राम सभा के पक्ष में अभ्यर्पित नहीं कर दी जाती है, तो यह –

(i) या तो भूमि को ऐसे दर पर क्रय कर सकेगी जैसा निहित किया जायेगा ;

(ii) राज्य सरकार को उसको भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहण करने हेतु आवेदन कर सकेगी ; या

(iii) यदि जल उपक्रम के निर्माण हेतु भूमि केवल सीमित अवधि के लिये अपेक्षित है, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 6 के अधीन, भूमि का अधिग्रहण करने के लिये प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अधिगृहित भूमि पर जल उपक्रम का निर्माण करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है यथा निर्णित जल उपक्रम का सम्बद्धीकरण लम्बे समय तक रखा जायेगा, तो ग्राम सभा यथाशीघ्र जैसा सक्षम हो, राज्य सरकार को भूमि को स्थायी आधार पर अधिग्रहण करने के लिये आवेदन करेगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा आवेदन पर किसी भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, तो राज्य सरकार ऐसी शर्तो के अध्यधीन जैसी इसके द्वारा इस निर्मित अधिरोपित की जाय, स्कीम के क्रियान्वयन के लिये इस प्रकार अधिगृहित भूमि को ग्राम सभा को या में निहित कर देगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरित या में निहित भूमि जिसका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया गया है, स्कीम के क्रियान्वयन के लिये ग्राम सभा द्वारा प्रयुक्त की जायेगी, और यह एतद्द्वारा प्रावधानित रीति में जल उपक्रम का निर्माण करायेगी या निर्माण कारित करेगी और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्म जैसा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होगी को करायेगी या कराना कारित करायेगी।

(5) जब स्कीम अन्तिम हो जायेगी, तो खण्डीय नहर अधिकारी लिखित में नोटिस द्वारा, स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समस्त कदम उठाने के लिये और विशेषतया जल उपक्रम का निर्माण करने या निर्माण कारित कराने और तत्सम्बन्धित समस्त कार्य करने का कारित कराने के लिये उसके लिये नोटिस से निश्चित अवधि, जिसे समय–समय पर विस्तारित किया जा सकेगा, के भीतर सम्बन्धित ग्राम सभा को बुलवायेगा।

30–ग– स्कीम के लिये भूमि अधिग्रहण या प्राप्त करना – (1) धारा 30–ख की उपधारा (5) में वर्णित नोटिस प्राप्त होने पर ग्राम सभा उन समस्त व्यक्तियों को जिनकी भूमि पर जल उपक्रम का निर्माण कराना या जिस पर उससे सम्बन्धित कोई संकर्म का कराया जाना प्रस्तावित है, उपहार या सम्पर्ण के रास्ते, जैसा मामला हो, समस्त विल्लंगमों से मुक्त कथित भूमि के उस हिस्से को नोटिस में उसके लिये प्रावधानित अवधि के भीतर उसके पक्ष में अन्तरित कर देने का विकल्प प्रस्तुत करेगी जैसा स्कीम के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक होगा।

(2) जहां स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि को उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरित या ग्राम सभा के पक्ष में अभ्यर्पित नहीं कर दी जाती है, तो यह –

(i) या तो भूमि को ऐसे दर पर क्रय कर सकेगी जैसा निहित किया जायेगा ;

(ii) राज्य सरकार को उसको भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहण करने हेतु आवेदन कर सकेगी ; या

(iii) यदि जल उपक्रम के निर्माण हेतु भूमि केवल सीमित अवधि के लिये अपेक्षित है, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 6 के अधीन, भूमि का अधिग्रहण करने के लिये प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अधिगृहित भूमि पर जल उपक्रम का निर्माण करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि यथा निर्णित जल उपक्रम का सम्बद्धीकरण लम्बे समय तक रखा जायेगा, तो ग्राम

सभा यथाशीघ्र जैसा सक्षम हो, राज्य सरकार को भूमि को स्थायी आधार पर अधिग्रहण करने के लिये आवेदन करेगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा आवेदन पर किसी भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, तो राज्य सरकार ऐसी शर्तो के अध्यधीन जैसी इसके द्वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाय, स्कीम के क्रियान्वयन के लिये इस प्रकार अधिगृहित भूमि को ग्राम सभा को या में निहित कर देगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरित या में निहित भूमि जिसका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन ग्राम सभा में निहित कर दिया गया है, स्कीम के क्रियान्वयन के लिये ग्राम सभा द्वारा प्रयुक्त की जाएगी, और यह एत्दद्वारा प्रावधानित रीति में जल उपक्रम का निर्माण करायेगी या निर्माण कारित करेगी और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्म जैसा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होगी को करायेगी या कराना कारित करायेगी।

(5) स्कीम का क्रियान्वयन करने में ग्राम सभा प्रथमदृष्टया लिखित में नोटिस देकर सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में भूधृति रखने वाले समस्त व्यक्तियों को विहित रीति में छपवाकर ऐसी समयाविधि के भीतर जैसा उसके लिये नोटिस में निश्चित किया जाय, जल उपक्रम का निर्माण कराने हेतु और तत्सम्बन्धित समस्त ऐसे संकर्मो, जैसा स्कीम के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हो सकेगी, को कारित कराने हेतु विकल्प देगी।

(6) जहां सम्बन्धित व्यक्ति किसी सम्पूर्ण जल उपक्रम, या उसके हिस्से या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म को करने में, स्कीम के अनुसार निर्माण करने में असफल रहते हैं, तो ग्राम सभा, पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 17 के अधीन प्रावधानित रीति में लघु सिंचाई योजना के निष्पादन हेतु उसका निर्माण करेगी या करायेगी या निर्माण कारित करायेगी या करना कारित करायेगी।

30–घ– खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण – (1) अवधि या विस्तारित अवधि, जैसा मामला हो, जो धारा 30 ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अवसान होन जाने के पश्चात्, खण्डीय नहर अधिकारी ग्राम सभा द्वारा निर्मित या निर्माण कराई जल उपक्रमों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का या तो सीधे या सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र के भूधृति धारकों के माध्यम से निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित करायेगा, और यदि वही स्कीम के अनुसरण में या अन्यथा समुचित रूप से निर्मित है या कराई गई है तो उसका अनुमोदन कर देगा।

(2) जहां जल उपक्रमों, या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मो को स्कीम के अनुसरण में सम्यक् रूप से निर्मित या किये नहीं गये हैं, तो खण्डीय नहर, अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा

से आदेश में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर समस्त त्रुटियों को दूर करने या उपचार करने या दूर करना या उपचारित कराना कारित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश में अनुज्ञात समयावधि के अवसान पर खण्डीय नहर अधिकारी पुनः निरीक्षण करेगा, या निरीक्षण कारित करायेगा, जल उपक्रमों या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मो का और या तो उसका अनुमोदन करेगा या उसका अनुमोदन नहीं करेगा।

30–ड.–राज्य सरकार द्वारा स्कीम का क्रियान्वयन – जहाँ ग्राम सभा असफल रहती है –

(i) धारा 30–ग के प्रावधानों के अनुसरण में उसके द्वारा अपेक्षित कदमों में से किन्हीं या समस्त को उठाने में ; या

(ii) धारा 30–ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में उसके लिये प्रावधानित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर स्कीम में अनुसरण में सम्पूर्ण जल उपक्रमों का निर्माण कराने या तत्सम्बन्धित कार्यों को करने या निर्माण कारित कराने या कार्य कारित कराने में : या

(iii) धारा 30–घ की उपधारा (2) के अधीन किये जाने को यथा अपेक्षित जल उपक्रमों या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म में त्रुटियों को दूर करने, या कथित धारा की उपधारा (3) के अधीन उनके बारे में खण्डीय नहर अधिकारी का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करने में :

राज्य सरकार, ऐसे समस्त कदम, भूमि के अर्जन को शामिल करते हुये, जैसा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो सकेगी, उठायेगी, और स्कीम के अनुसरण में जल उपक्रमों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मो का निर्माण कराने या किया जाना कारित करायेगी।

30–ड.ड.– वृहत सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान – (1) गंडक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी वृहत योजना के समादेश से आच्छादित किसी क्षेत्र में सिंचाई खण्ड का खण्डीय नहर अधिकारी धारा 30–क के निर्दिष्ट विशिष्टियों को समाविष्ट करती हुई एक स्कीम तैयार कर सकेगा और तदुपरि वह स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जैसा आवश्यक होगें समस्त कदम उठा सकेगा, और स्कीम के अनुसरण में जल उपक्रमों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मो का निर्माण और किया जाना कारित करायेगा, और धारा 30–ख, 30–ग ओर 30–ड. में कुछ भी ऐसी स्कीम को लागू नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खण्डीय नहर अधिकारी :–

(क) उ0प्र0 ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 के अधीन अधिग्रहण प्राधिकारी को स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिये आवेदन कर सकेगा ; या

(ख) राज्य सरकार को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिये आवेदन कर सकेगा ; या

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) दोनों के अधीन कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात प्रथम स्थिति में भूमि का अधिग्रहण, और तत्पश्चात् अर्जन करने के लिये।

(3) खण्डीय नहर अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों को एक उपखण्डीय नहर अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) धारा 30–च, 30–छ और 30–क के प्रावधान इस धारा के अधीन तैयार की गई स्कीम और ऐसी स्कीम के अधीन विनिर्मित जल उपक्रमों और अन्य संकर्मो को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 30–क, 30–ख, 30–ग, 30–घ और 30–ड., में निर्दिष्ट जल उपक्रमों और उ0प्र0 अधिनियम सं0 16, 1974 की धारा 2(3.7.1974 से प्रभावी) को प्रतिस्थापित करती हुई अध्यादेश (उ0प्र0 अध्यादेश 13, 1974) जिसे 31.5.1974 को जारी किया गया के अनुसरण में उससे सम्बन्धित अन्य निर्मित संकर्मों को लागू होते हैं।

30–च– जल उपक्रमों इत्यादि का ग्राम सभा में निहित किया जाना– उस तिथि से प्रभावी, जब एक अधिसूचना इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाती है तो ऐसी शर्तों और विवरणों के अध्यधीन, जैसी विहित की जायं, राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किये गये समस्त जल उपक्रमों और तत्सम्बन्धित संकर्म ग्राम सभा जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में यह स्थित है मे निहित हो जायेगें।

30–छ– जल उपक्रमों इत्यादि का अनुरक्षण – ग्राम सभा, सभी समस्त जल उपक्रमों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मो का अनुरक्षण और अच्छी मरम्मत करेगी, जो इसके द्वारा विनिर्मित या किये गये हैं या धारा 30–च के अधीन इसमें निहित कर दी गई है।

अध्याय छः

जलापूर्ति

31. लिखित संविदा के अभाव में जलापूर्ति नियमों के अध्यधीन – किसी लिखित संविदा के अभाव में, या जहां तक ऐसी संविदा का विस्तार नहीं होता है, नहरी जल की प्रत्येक आपूर्ति को उसके सम्बन्ध

में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित शर्तों के अध्यधीन और दरों पर दिया गया माना जायेगा।

32. शर्तें – ऐसी संविदायें और नियम निम्नलिखित शर्तों के सुसंगत अवश्य होनी चाहिये –

(क) जलापूर्ति बन्द कर देने की शक्ति – खण्डीय नहर अधिकारी निम्नलिखित मामलों के अलावा किसी जल उपक्रम या किसी व्यक्ति को जल की आपूर्ति बन्द नहीं कर सकेगा –

(1) जब कभी और जहां तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित किसी कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ ऐसी आपूर्ति का बन्द किया जाना यह आवश्यक हो और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ हो ;

(2) जब कभी और जहां तक कोई जल उपक्रम ऐसी समुचित पारम्परिक मरम्मत की स्थिति में अनुरक्षित नहीं है कि उससे जल की बर्बादीपूर्ण बहाव को रोक सकें ;

(3) खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा समय–समय पर निश्चित किये गये समयाविधियों के भीतर ;

(ख) आपूर्ति की असफलता या बन्द होने की स्थिति में प्रतिकर का दावा – राज्य सरकार के विरूद्ध एक नहर में जलापूर्ति की असफलता या बन्द होने के सम्बन्ध में, राज्य सरकार को नियंत्रण के बाहर या नहर की किसी मरम्मत, परिवर्तन या परिवर्धन या उसमें समुचित जल प्रवाह को विनियमित करने के लिए लिये गये किन्हीं उपायों, या किसी स्थापित सिंचाई उपक्रम के अनुरक्षण हेतु जिसे खण्डीय नहर अधिकारी आवश्यक समझता है, के द्वारा कारित क्षति के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया जायेगा ; किन्तु ऐसी क्षति से पीड़ित व्यक्ति जल के प्रयोग हेतु संदेय साधारण प्रभारों से, जैसा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, छूट का दावा कर सकेगा।

(ग) अन्य कारणों से बाधित आधारों पर दावा – यदि एक नहर द्वारा सिंचित किसी भूमि को जलापूर्ति पिछले खण्ड से ठीक पूर्व खण्ड में वर्णित रीति से अन्यथा बाधित होती है, तो ऐसी भूमि का स्वामी या कब्जाकर्ता ऐसी बाधा से उद्‌भूत किसी नुकसान के लिये कलेक्टर को प्रतिकर हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसी क्षति के लिये याचिका कर्ता को युक्तियुक्त प्रतिकर का अधिनिर्णय कर सकेगा।

(घ) आपूर्ति की अवधि – जब एक नहर में एक फसल के लिये जल को आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे जल के प्रयोग की अनुमति केवल उस फसल की परिपक्वता तक जारी

रहना धारित की जायेगी, और केवल उसी फसल पर लागू होगी किन्तु यदि यह उसी भूमि पर दो या अधिक फसलों के उत्पादन हेतु सिंचाई के लिये आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी अनुमति सिंचाई के प्रारम्भ से एक वर्ष के लिये जारी होना, और ऐसी फसलों को जलापूर्ति जैसा वह केवल उसी वर्ष के भीतर परिपक्व हो जाती है, धारित की जायेगी।

(ड.) **नहरी जल के प्रयोग के अधिकार का विक्रय या उपकिराये पर देना –** जब तक अधीक्षण नहर अधिकारी की अनुमति न हो, किसी नहरी जल, या किसी संकर्म, भवन या नहर से सम्बन्धित किसी भूमि के प्रयोग का हकदार कोई व्यक्ति अपने ऐसे प्रयोग के अधिकार का विक्रय या अन्यथा उपकिराये पर नहीं करेगा या नहीं देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड का पूर्वगामी हिस्सा एक जल उपक्रम के स्वामी द्वारा आपूर्ति जल का एक पृथक भू–धारक के द्वारा धारित भूमि के सिंचाई के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होगा।

जल हेतु संविदा का भूमि सहित अन्तरण – किन्तु राज्य सरकार और किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी या कब्जाधारी के बीच ऐसी सम्पत्ति को नहरी जलापूर्ति के सम्बन्ध में की गई समस्त संविदा उसके साथ अन्तरणीय होगी, और जब कभी भी ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण होता है तो वह इस प्रकार अन्तरित मान ली जायेगी।

(च) **प्रयोगकर्ता द्वारा किसी अधिकार को ग्रहण नहीं किया जायेगा –** एक नहर के पानी के प्रयोग का कोई अधिकार नहीं हेागा, या [1](भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1877, भाग–4) के अधीन अधिग्रहित नहीं मान लिया जायेगा, न तो राज्य सरकार एक लिखित संविदा की शर्तों के अनुसार के अलावा किसी व्यक्ति को जलापूर्ति करने को बाध्य ही होगा।

अध्याय पांच

जल की दरें

33– जब अनाधिकृत रूप से व्यक्ति का प्रयोग न किया जा सके तो दायित्व – यदि एक जल उपक्रम से आपूर्त जल का प्रयोग अनाधिकृत रीति से किया गया है, और व्यक्ति जिसके कार्य या उपेक्षा द्वारा ऐसा प्रयोग घटित हुआ है की पहिचान नहीं की जा सकती है।

तो व्यक्ति जिसकी भूमि में ऐसा जल प्रवाहित हुआ है, यदि ऐसी भूमि को उससे लाभ हुआ है।

या यदि ऐसे व्यक्ति की पहिचान नहीं की जा सकती है या यदि ऐसी भूमि को कोई लाभ नहीं हुआ है, तो ऐसे जल उपक्रम से आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति, संयुक्त या विवाक्षित रूप से, जैसा मामला हो, ऐसे प्रयोग हेतु किये गये प्रभारों के दायी होगें।

34— दायित्व जब जल का प्रवाह बर्बाद होता है— यदि एक जल उपक्रम द्वारा आपूर्त जल बर्बादी को प्रवाहित होता है, और यदि, खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के पश्चात व्यक्ति जिसके कृत्य या उपेक्षा से जल की ऐसी बर्बादी होने की खोज नहीं की जा सकती है, तो ऐसे जल उपक्रम से आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद किये गये जल के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से दायी होगें।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश — उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 के द्वारा जैसा इसका प्रयोग केवल राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ, एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में किया गया संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" को किया गया संदर्भ माना जायेगा।

35— शस्तियों के अतिरिक्त वसूली योग्य प्रभार— जल के अनाधिकृत प्रयोग या बर्बादी के लिये समस्त प्रभार ऐसे प्रयोग या बर्बादी के खाते में उपगत किसी शास्ति के अतिरिक्त वसूल किये जा सकेगें।

धारा 33 और 34 के अधीन प्रश्नों का निर्णय — धारा 33 या 34 के अधीन समस्त प्रश्नों का निर्णय खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी के एक अपील या ऐसी अन्य अपील जिसे धारा 75 के अधीन प्रावधानित किया जाय, के अध्यधीन विनिश्चित किये जायेगें।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश — उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 द्वारा जैसे इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में केवल राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ, एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" का संदर्भ माना जायेगा।

36— कब्जेदार पर जल हेतु प्रभार, कैसे निश्चित किया जाय — भूमियों के कब्जेदारों को सिंचाई के प्रयोजनार्थ नहरी जलापूर्ति के लिये प्रभारित की जाने वाली दरें राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये गये नियमों द्वारा निश्चित की जायेंगी और ऐसे कब्जेदार जल प्राप्त करने के लिये तद्नुसार भुगतान करेंगें।

"कब्जेदार की दर"— इस प्रकार प्रभारित एक दर को "कब्जेदार की दर" कहा जायेगा।

एतद्पूर्व निर्दिष्ट नियम विहित कर सकेगें और निश्चित कर सकेगें कि कौन व्यक्ति या किस वर्ग के व्यक्तियों को इस धारा के प्रयोजनार्थ कब्जेदार होना माना जायेगा और यह भी निश्चित कर सकेंगे कि भू–धृतिधारकों और व्यक्तियों जिन्हें भूधृतिधारकों ने अपनी भूमि किराये पर दी है या स्वामियों जिन्होनें व्यक्तियों को अपनी भूमि कृषि कार्य हेतु कब्जे में दे दी हो की कब्जेदार की दर के सम्बन्ध में अन्यान्य दायित्वों को भी निश्चित कर सकेगी।

राज्य संशोधन

धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1963 के द्वारा जोड़ी गई।

"36–क–(1) उपधारा (2) में वर्णित व्यक्तियों से विहित रीति में अधिगृहित या अर्जित भूमि की कीमत और स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जल उपक्रम तथा उससे सम्बन्धित समस्त किये गये संकर्मो की कीमत वसूलने के लिये एक विकास प्रभार लिया जायेगा और संग्रहित किया जायेगा, जिसे निम्नवत आगणित किया जायेगा –

(i) भू–अर्जन और अधिग्रहण की सीमा के लिये 40 पैसा प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से, और

(ii) जल उपक्रम के निर्माण और तत्सम्बन्धित संकर्मों को करने के लिये 60 पैसा प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से।

(2) जिन्होनें उपहार के माध्यम से अपनी भूमि, ग्राम सभा को अन्तरित या समर्पित कर दी हो, जैसा मामला हो, उनकी भूमि के ऐसे हिस्से पर किसी जल उपक्रम का निर्माण किया गया है, या जिस पर तत्सम्बन्धित कोई कार्य किया गया है, के अलावा सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में भूधृति रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति दायी होगा और ऐसे समय तक उसकी कीमत के रूप में और उस पर 4½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूर्ण रूपेण राज्य सरकार को कीमत वसूल हो जाने जाने तक भुगतान करेगा, यदि भू–अर्जन की कीमत राज्य के समेकित निधि से पूरी की गई है, या एक ग्राम सभा को, उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन एक विकास खर्च लिया गया है, और उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 30–ग की उपधारा (5), या धारा 30–घ की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में स्कीम के क्रियान्वयन में असफल रहा है, जहां तक यह उसकी भूमि से सम्बन्ध रखता है, ऐसे समय तक इस सम्बन्ध में उपगत खर्च का और उस पर 4½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से खर्च का भुगतान तब तक करेगा, और जब तक वह राज्य सरकार या ग्राम सभा, जिसने भी जल उपक्रम का निर्माण और

तत्सम्बन्धित कार्यों को स्कीम के क्रियान्वयन में किया हो को उपधारा (1) के खण्ड (2) में प्रावधानित दर से ली जाने वाली एक विकास प्रभार का भुगतान करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, विकास प्रभार प्रथम स्थिति में राज्य सरकार को ऐसे समय तक भुगतान योग्य होगी जहां तक उसके द्वारा इस सम्बन्ध में उपगत खर्च, उस पर 2½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूर्णरूप से प्राप्त नहीं कर ली जाती है।"

37— "स्वामी का दर"— कब्जेदार की दर के अतिरिक्त "स्वामी की दर" के नाम से एक दर राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार नहरी जल से सिंचित भूमियों के स्वामियों पर, उनके द्वारा ऐसी सिंचाई से प्राप्त किये गये लाभों के सम्बन्ध में आरोपित की जा सकेगी।

38— स्वामी के दर की राशि — स्वामी का दर उस राशि से अधिक नहीं होगा, जिसको तत्समय भू–राजस्व के निर्धारण हेतु प्रवृत्त किसी नियम के अधीन, नहरी सिंचाई द्वारा कारित वार्षिक उत्पादन और मूल्य में वृद्धि के कारण ऐसी भूमियों पर निर्धारित की जा सकेगी, और केवल इस धारा के प्रयोजनार्थ, भूमि जो स्थायी रूप से व्यवस्थित कर दी गई है। भू–राजस्व से मुक्त हो गई है, को उसी तरह विचारित किया जायेगा जैसे कि अस्थायी रूप से व्यवस्थित की गई है और राजस्व के भुगतान की दायी है।

39— स्वामी का दर, कब प्रभार्य नहीं — भूमि का स्वामी या कब्जेदार पर जिसे अस्थायी रूप से सिंचाई दरों पर भू–राजस्व का भुगतान करने को निर्धारित किया गया है, तो ऐसे निर्धारण के चालू रहने के दौरान कोई "स्वामी का दर" प्रभार्य योग्य नहीं होगा।

राज्य सरकार

उत्तर प्रदेश — उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 1979 के द्वारा धारा 36 में, जैसे इसका प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश में हुआ, शब्द "राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निश्चित की जायेगी" के स्थान पर शब्द "और कोई अन्य आनुषांगिक प्रभार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निश्चित की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

40— कब कब्जेदार स्वामी की दर और कब्जेदार की दर दोनों का भुगतान करेगा — यदि ऐसी भूमि स्वामी के कब्जे में है, या यह एक किरायेदार के कब्जे में है जिसका किराया इस आधार पर कि भूमि के उत्पादों की कीमत या भूमि की उत्पादन क्षमता सिंचाई द्वारा बढ़ गई है, वृद्धिकरण का दायी नहीं है, ऐसा स्वामी या किरायेदार स्वामी का दर और कब्जेदार का दर दोनों को भुगतान करेगा।

41– स्वामी की दर के आनुपातिक विभाजन हेतु नियम बनाने की शक्ति – एक कब्जे का अधिकार सहित किरायेदार के मामले में, राज्य सरकार की ऐसे किरायेदार और उसके भू–स्वामी के बीच भूमि में प्रत्येक को लाभकारी हित मे विस्तार तक अनुपातिक रूप से स्वामी को दर के विभाजन करने हेतु नियम बनाने की शक्ति होगी।

42– कब स्वामी को स्वामी के दर का भुगतान करना है– यदि भू–स्वामी कब्जेदार नहीं है, किन्तु इस आधार पर कि उत्पादों का मूल्य या भूमि की उत्पादन क्षमता, सिंचाई द्वारा बढ़ गई है, उसका कब्जेदार का किराया बढ़ाने की शक्ति रखता है।

या यदि, जब किराया की धनराशि निश्चित कर दी गई, तो भूमि नहर से वंचित की गई थी, तो भू–स्वामी स्वामी के दर का भुगतान करेगा।

43– नहरी सिंचाई आ जाने से भू–स्वामी की वृद्धिकरण के अधिकार पर प्रभाव – यदि किराया में वृद्धि हेतु एक वाद को ग्रहण करने हेतु बन्दोबस्त का पुनरीक्षण एक आधार है, तो किसी भू–भाग में नहरी सिंचाई को प्रवेश भू–स्वामी का ऐसी भूमि के कब्जे का अधिकार रखते हुये किरायेदार का किराया पुनः बढ़ाने के अधिकार पर वही प्रभाव रखेगा, जैसे कि बन्दोबस्त का एक पुनरीक्षण घटित हुआ है, जिसके अधीन ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राजस्व में वृद्धि कर दी गई है।

44– कई स्वामियों द्वारा धारित भूमि पर, जब जल दर प्रभारित किया जाय, किसके द्वारा भुगतान योग्य है– जब एक जल दर एक भूमि पर प्रभारित की जाती है तो कई संयुक्त स्वामियों द्वारा धारित है, तो यह प्रबन्धक या अन्य उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जो उस भूमि का किराया या लाभ प्राप्त करता है, और उस व्यक्ति द्वारा ऐसे किराया या लाभों से बंटवारे के पूर्व बढ़ाया जा सकेगा, या उसके द्वारा ऐसी दरों के दायी व्यक्तियों से ऐसे किराया या लाभों पर अन्य प्रभारों की वसूली के पारम्परिक रीति में वसूल की जा सकेगी।

प्रभारों की वसूली

45– प्रमाणित देयताएं जो भू–राजस्व की तरह वसूली योग्य हैं– इस भाग के अधीन विधिपूर्वक देय कोई धनराशि, और खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा प्रमाणित इस प्रकार देय, उस तिथि के पश्चात जब यह देय हो जाती है और यह बाकी बचा रहता है, तो उसके लिये दायी व्यक्ति से कलेक्टर द्वारा उसी प्रकार वसूली किये जाने योग्य होगी, जैसे कि यह भू–राजस्व का बकाया हो।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – (1) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1936 द्वारा जैसा इसका प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश में धारा 45 में हुआ, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की गई थी, अर्थात –

"''45–प्रमाणित देयताओं का भू–राजस्व की तरह वसूल किया जाना– धारा 46 और 47 के प्रावधानों के अध्यधीन, इस भाग के अधीन विधिपूर्वक देय कोई धनराशि और खण्डीय नहर अधिकारी द्वारा प्रमाणित इस प्रकार देय जो तिथि जिस पर यह देय हो जाती है, के पश्चात् भुगतान न किया गया रह जाती है, तो उसके लिये दायी व्यक्ति से कलेक्टर द्वारा उसी प्रकार वसूली किया जायेगा जैसे कि यह भू–राजस्व का बकाया था"–उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1932 (1932 का 6), धारा 2 ।

(ii) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 12, 1936 के द्वारा जैसा इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, इस धारा में एक "खण्डीय नहर अधिकारी" के संदर्भ में एक "खण्डीय अधिकारी" का संदर्भ माना जाएगा।

46– नहरी देयता के संग्रह हेतु संविदा की शक्ति – खण्डीय नहर अधिकारी या या कलेक्टर किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि का संग्रह एवं राज्य सरकार को भुगतान किये जाने हेतु व्यक्ति करार कर सकेगा।

जब ऐसा करार किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी धनराशि को वाद द्वारा वसूल कर सकेगा जैसे कि यह उसे देय एक कर्ज, या भूमि, संकर्म या भवन जिसके सम्बन्ध में ऐसी राशि संदेय है के घाटे में उसे किराये के बकाये के रूप में देय है, या जिसके लिये या जिसमें नहरी जल की आपूर्ति की गई है या का प्रयोग किया गया हैं।

यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा इस धारा के अधीन संग्रहित किसी धनराशि के भुगतान में व्यतिक्रम करता है, तो ऐसी राशि उससे कलेक्टर द्वारा धारा 45 के अधीन वसूल किया जा सकेगा, और, यदि कथित पर व्यक्ति द्वारा ऐसी धनराशि या इसका कुछ हिस्सा अब भी बाकी बचा रहता है, तो धनराशि या उसके हिस्से पर व्यक्ति से उसी रीति में कलेक्टर द्वारा वसूली की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 (1936 का 12) द्वारा जैसे इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को इस धारा में संदर्भ "एक "खण्डीय अधिकारी"" को संदर्भ माना जायेगा।

47– लम्बरदार नहरी देयता का संग्रह करने हेतु अपेक्षित हो सकेगें– कलेक्टर लम्बरदार या किसी परिसम्पत्ति में भू–राजस्व का भुगतान करने में लगे हुये किसी व्यक्ति से ऐसी परिसम्पत्ति में किसी भूमि

या जल के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि का पर व्यक्ति से संग्रह और भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

ऐसी धनराशि कलेक्टर द्वारा उसी प्रकार वसूली योग्य होगी जैसे कि यह ऐसी परिसम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हिस्से के सम्बन्ध में संदेय भू–राजस्व का बकाया हो ;

और अधीनस्थ जमींदारों, रैयत, [1](किरायेदारों या उप किरायादारों) से ऐसी धनराशि के संग्रह के प्रयोजनार्थ, ऐसा लम्बरदार या व्यक्ति, शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और तत्समय प्रवृत्त विधि में उसके द्वारा भूमि का किराया या भू–राजस्व के हिस्से का संग्रह करने के सम्बन्ध में स्थापित नियमों के अध्यधीन होगा।

राज्य सरकार प्रावधानित करेगी –

(क) इस धारा के अधीन धनराशि का संग्रह करते हुये व्यक्तियों को पारिश्रमिक देने हेतु या

(ख) उनके द्वारा ऐसे संग्रह में समुचित रूप से उपगत खर्चों के विरूद्ध उन्हें क्षतिपूर्ति हेतु, या

(ग) दोनों ऐसे उद्देश्यों के लिये

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1932 के द्वारा निम्नलिखित धारा 47 जैसा कि इसका प्रयोग उ0प्र0 में हुआ, प्रतिस्थापित किया गया था। उ0प्र0 में इसकी प्रायोज्यता में, धारा 47 के लिये, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात –

"'47–नहरी देयता का संग्रह करने हेतु लम्बरदारों को अनुमति की स्वीकृति– (1) यदि लम्बरदार या व्यक्ति जो किसी सम्पदा के भू–राजस्व के भुगतान के अधीन लगा हुआ है, राज्य सरकार को पर–व्यक्ति द्वारा ऐसी सम्पदा में किसी भूमि या के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि का संग्रह और भुगतान करने की इच्छा रखता है, तो वह कलेक्टर को आवेदन करेगा और कलेक्टर उसके आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा।

(2) जहां ऐसे आवेदन अनुज्ञात कर दिये गये हैं, तो ऐसी धनराशि लम्बरदार या व्यक्तियों जो किसी सम्पदा का भू–राजस्व का भुगतान करने के अधीन लगे हुये हैं, से कलेक्टर द्वारा उसी प्रकार वसूली योग्य होंगे जैसे कि यह भू–राजस्व का बकाया हो।

(3) किसी सम्पदा के भू–राजस्व के भुगतान में संलग्न लम्बरदार या व्यक्ति जिसका इस धारा के अधीन संग्रह करने का आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया है, तो अधीनस्थ जमीदारों, किरायेदारों या उप–किरायेदारों से ऐसी धनराशि का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और तत्समय प्रवृत्त विधि में उसके द्वारा भूमि का किराया या भू–राजस्व के हिस्सा का संग्रह के सम्बन्ध में स्थापित नियमों के अध्यधीन होगा।

(4) प्रदेशीय सरकार प्रावधानित करेगी –

(क) इस धारा के अधीन संग्रह करने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक हेतु ;या

(ख) ऐसे संग्रहों में उनके द्वारा समुचित रूप से उपगत खर्चों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करने हेतु या

(ग) दोनों प्रयोजनों हेतु।

48– धारा 45, 46 और 47 में अर्थदण्ड उपवर्जित है – धारा 45, 46 और 47 में कोई बात अर्थदण्ड को लागू नहीं होती है।

भाग 6

नहरी नौ–परिवहन

49– नियमों का उल्लंघन करती हुई जलयानों का रोक दिया जाना– किसी नहर में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के प्रतिकूल खण्डीय नहरी अधिकारी द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा नौ–परिवहन करता हुआ कोई जलयान, या नहर या उसमें अन्य जलयानों को इस प्रकार खतरा कारित करते हुये जलयान को हटाया जा सकेगा या रोका जा सकेगा, या दोनों को हटाया या रोका जा सकेगा।

क्षति कारित करते हुये जलयानों के स्वामियों का दायित्व– एक नहर को क्षति कारित करते हुये, या इस धारा के अधीन हटाये गये या रोके गये जलयान का स्वामी, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि, जैसा खण्डीय नहर अधिकारी, अधीक्षण नहर अधिकारी के अनुमोदन के साथ, ऐसी क्षति के मरम्मत या ऐसे हटाने या रोक देने के खर्च, जैसा मामला हो, को अदा करने के लिये आवश्यक निश्चित करता है, का भुगतान करने का दायी होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम संख्याक 12, 1936 द्वारा जैसा इसका प्रयोग उ0प्र0 में हुआ भाग 6 के प्रावधान किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में उ0प्र0 में प्रायोज्य नहीं है।

50– नहरी नौपरिवहन में अपराधों के लिये अर्थदण्डों की वसूली– इस अधिनियम के अधीन किसी जलयान के स्वामी, या ऐसे स्वामी के सेवक या अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो किसी जलयान का प्रभारी है, पर ऐसे जलयानों के नौपरिवहन में किसी अपराध के सम्बन्ध में अधिरोपित कोई अर्थदण्ड या तो दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित रीति में या, अर्थदण्ड अधिरोपित करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निर्देशित करता है, कि जैसे यह ऐसे जलयान के सम्बन्ध में एक संदेय प्रभार के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

51– प्रभार का भुगतान करने में असफलता पर जलयान को रोकने और जब्त करने की शक्ति – यदि किसी जलयान के सम्बन्ध में इस भाग के प्रावधानों के अधीन संदेय कोई प्रभार का भुगतान मांगे जाने पर उसे संग्रह करने को प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है, तो खण्डीय नहर अधिकारी ऐसे जलयानों और उनके फर्नीचर को जब्त कर सकेगा या रोक कर रख सकेगा, जब तक इस प्रकार देय प्रभार समस्त खर्चों और ऐसी जब्ती और रोक से जनित अतिरिक्त प्रभारों का पूर्ण रूपेण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

52– स्योरा (Cargo) या मालों को जब्त करने की शक्ति, यदि उन पर देय प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया है– यदि एक नहर पर एक सरकारी जलयान ले जाये गये मालों या एक नहर के प्रयोजनार्थ कब्जा की गई भूमि में या भण्डारगार में भण्डारित मालों या किसी स्योरा (Cargo) के सम्बन्ध में इस भाग के प्रावधानों के अधीन संदेय कोई प्रभार का भुगतान उसे संग्रह करने को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर नहीं किया जाता है तो खण्डीय नहर अधिकारी ऐसे स्योरा या मालों को जब्त कर सकेगा और उन्हें तब तक रोक कर रखेगा जब तक इस प्रकार संदेय प्रभार का समस्त खर्चों और ऐसी जब्ती और रोक से जनित अतिरिक्त प्रभारों के साथ पूर्णरूपेण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

53– जब्ती के बाद ऐसे प्रभारों की वसूली की प्रक्रिया– धारा 51 या 52 के अधीन किसी जब्ती के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर, कथित नहर अधिकारी जब्त की गई सम्पत्ति के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को नोटिस देगा कि, यह या इसका ऐसा हिस्सा, जैसा आवश्यक हो, नोटिस में नामित तिथि पर, किन्तु नोटिस की तिथि से पन्द्रह दिनों से पूर्व नहीं, ऐसे दावे के समाधान में जिसके आधार पर ऐसी सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी, बेच दी जायेगी, यदि इस प्रकार नामित तिथि से पूर्व दावे का निस्तारण नहीं कर दिया जाता।

और यदि ऐसे दावे का निस्तारण इस प्रकार नहीं कर दिया जाता, तो कथित नहर अधिकारी, ऐसे दिन पर, जब की गई सम्पत्ति या उसके ऐसे हिस्से को, जो देय रकम को ऐसी जब्ती और बिक्री के खर्चों के साथ पूरा करने के लिये आवश्यक हो, बेच देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी जलयान या किसी स्योरा (Cargo) की फर्नीचर का बड़ा हिस्सा या मालों को अन्यथा इस प्रकार नहीं बेचा जायेगा जो लगभग ऐसे यान, स्योरा (Cargo) या मालों के सम्बन्ध में देय धनराशि को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

ऐसे फर्नीचर, स्योरा (Cargo) या मालों और विक्रय के आगमों का बचा हुआ भाग जब्त की गई सम्पत्ति के स्वामी या प्रभारी को दे दी जायेगी।

54— परित्याग किये गये जलयानों और अदावाकृत मालों के सम्बन्ध में प्रक्रिया— यदि कोई जलयान एक नहर में या कोई स्योरा (Cargo) या माल जो सरकारी जलयान पर एक नहर में लाया जा रहा है और परित्यक्त अवस्था में पाया जाता है, या एक नहर के प्रयोजनार्थ कब्जे में किसी भण्डार या भण्डारगार में दो माह की अवधि तक लावारिस रूप में छोड़ दिया गया है, तो खन्डीय नहर अधिकारी उसका कब्जा ले सकेगा।

इस प्रकार कब्जा लेने वाला अधिकारी एक नोटिस छपवायेगा कि यदि ऐसे जलयान और इसकी वस्तुओं, या ऐसे स्योरा (Cargo) या मालों का दावा नोटिस में नामित दिन जो ऐसी नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों से कम नहीं होगी से एक दिन पूर्व नहीं किया जाता है तो वह उसे बेच देगा, ओर यदि ऐसा जलयान, वस्तुयें, स्योरा (Cargo) या माल इस प्रकार कोई दावा नहीं किया जाता है, तो वह, किसी समय नोटिस में नामित दिन के पश्चात् विक्रय की कार्यवाही आगे बढ़ायेगा।

विक्रय के आगमों का निस्तारण — कथित जलयान और उसकी वस्तुयें और कथित स्योरा (Cargo) या मालों की यदि बिक्री नहीं हुई है, या यदि विक्रय हो गया है, तो खंडीय नहर अधिकारी द्वारा बिक्री और कब्जा लेने में उपगत समस्त, खर्च और समस्त टोल प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात विक्रय का आगम उसी के स्वामी को जब उसका स्वामित्व खन्डीय नहर अधिकारी के समाधान स्तर पर स्थापित हो जाता है तो दे दी जायेगी।

यदि खन्डीय नहर अधिकारी को संदेह है कि किसे ऐसी सम्पत्ति या विक्रय का आगम दिया जाय, तो वह पूर्वोक्त रीति में सम्पत्ति के विक्रय का निर्देश कर सकेगा, और आगमों की जिला कोषागार में भुगतान कर देगा, उसे वहां तब तक धारित किया जायेगा जब तक एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसी का अधिकार विनिश्चित न कर दिया जाय।

भाग – 7

नाली

55– बाधाओं का निषेध या उनको हटाने के लिये आदेश करने की शक्ति– जब कभी राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी नदी, धारा या जल निकासी मार्ग में किसी बाधा से लोक स्वास्थ्य या लोक सुविधा या किसी भूमि को कोई क्षति जनित हो सकती है, तो ऐसी सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में परिभाषित सीमाओं के भीतर, किसी अवरोध के निर्माण का प्रतिषेध कर सकेगी या ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे अवरोध को हटाने या अवरोध में उपान्तरण करने का आदेश कर सकेगी।

तदुपरि कथित नदी, धारा या जल निकासी मार्ग जो ऐसी सीमाओं के भीतर सन्निहित है को धारा 3 में यथा परिभाषित जल निकासी होना धारित किया जायेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 द्वारा जैसा इसका प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ भाग 7 के प्रावधान उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रायोज्य नहीं है।

56– निषेध के पश्चात बाधा को हटाने की शक्ति– खण्डीय नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, ऐसे प्रकाशन के पश्चात उस व्यक्ति को जिसने बाधा कारित किया है या ऐसी बाधा पर नियंत्रण रखता है एक आदेश जारी कर सकेगा कि आदेश में निश्चित किये गये समयावधि के भीतर उसको हटा ले या उसमें आन्तरित कर दें।

यदि, इस प्रकार निश्चित किये गये समयावधि के भीतर ऐसा व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो कथित नहर अधिकारी स्वयं बाधा को हटा सकेगा या उपान्तरण कर सकेगा और यदि व्यक्ति जिसे आदेश जारी किया गया था को जब ऐसे हटाने या उपान्तरण करने में हुये खर्च का भुगतान करने हेतु बुलाये जाने पर भुगतान नहीं करता है, तो कलेक्टर द्वारा उससे या उसके उसमें हितबद्ध प्रतिनिधि से ऐसे खर्च उसी प्रकार वसूली योग्य होगें जैसे कि यह भू–राजस्व का एक बकाया हो।

57– सुधार कार्यों हेतु स्कीमों की तैयारी – जब कभी भी यह राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि कोई जल निकासी मार्ग का किसी भूमि पर सुधार करना आवश्यक है, या उसकी सम्यक् खेती या सिंचाई के लिये, या कि बाढ़ से या अन्य प्रकार से जल भराव, या एक नदी द्वारा क्षरण से सुरक्षा आवश्यक हो गई है, तो राज्य सरकार ऐसे जल निकासी कार्य के लिये एक स्कीम का बनाया जाना

और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिये प्राक्कलित खर्च को अदा की जाने वाली राशि के साथ और भूमियों की अनुसूची जिसे यह स्कीम के सम्बन्ध में प्रभार्य करने को प्रस्तावित किया गया है का प्रकाशन कारित करा सकेगी।

58— ऐसी स्कीम पर नियोजित व्यक्तियों की शक्तियाँ— राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्कीम की रचना करने को प्राधिकृत व्यक्ति नहर अधिकारियों को धारा 14 के अधीन प्रदत्त समस्त या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगें।

59— संकायों से लाभान्वित व्यक्तियों पर दरें — ऐसी स्कीम के सम्बन्ध में एक वार्षिक दर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार समस्त भूमियों के स्वामियों पर प्रभारित की जा सकेगी, जो ऐसे नियमों द्वारा विहित रीति में इस प्रकार प्रभार्य योग्य होना निश्चित किया जायेगा।

ऐसी दर, जहां तक संभव हो, लगभग बराबर हो एवं निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न हो, निश्चित की जायेगी :

(1) कथित कार्य के प्रथम खर्च पर छः प्रतिशत वार्षिक की दर से, उसमें उसके वार्षिक अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के वार्षिक प्राक्कलित खर्च को जोड़ते हुये, और उसमें से कार्य से उदभूत प्राक्कलित आय, यदि कोई हो, को कथित दरों से अपवर्जित करते हुये एवं घटाते हुये ;

(2) कृषि भूमि के मामले में, तत्समय प्रवृत्त भू—राजस्व के निर्धारण हेतु नियमों के अधीन ऐसे जल निकासी कार्य द्वारा कारित उसके मूल्य या वार्षिक उत्पादन वृद्धि के आधार पर ऐसी भूमि पर धनराशि निर्धारित की जा सकेगी।

ऐसी दर ऐसे अधिकतम सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर परिवर्तित किये जा सकेंगें।

जहां तक किसी नहर, जल उपक्रम, सड़क या अन्य संकर्म या बाधा, जो राज्य सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित या कारित की गई है की किसी विकृति का उपचार किया जाना अपेक्षित हो गया है, तो कथित विकृत के उपचारार्थ अपेक्षित जल निकासी कार्य की कीमत का एक आनुपातिक हिस्से का वहन ऐसी सरकार या ऐसे व्यक्ति, जैसा मामला हो, के द्वारा किया जायेगा।

60— दर की वसूली — जल निकासी की कोई ऐसी दर धारा 45, 46 और 47 में जल दरों के संग्रह और वसूली हेतु प्रावधानित रीति में संगृहीत या वसूली की जा सकेगी।

61— प्रतिकर हेतु दावों का निपटारा — जब कभी धारा 55 के अधीन की गयी अधिसूचना के अनुसरण में कोई बाधा हटाई जाती है या उपान्तरित की जाती है ;

या धारा 57 के अधीन कोई जल निकासी कार्य किया जाता है,

तो कथित बाधा को हटाने या उपान्तरित करने या ऐसे संकर्म के निर्माण के परिणाम स्वरूप किसी नुकसान के आधार पर प्रतिकर हेतु समस्त दावे कलेक्टर के समक्ष किये जायेगें, और वह धारा 10 में प्रावधानित रीति में उनके साथ व्यवहार करेगा।

62— ऐस दावों की सीमायें— शिकायत की गई नुकसान के घटित होने से एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद ऐसा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कलेक्टर का समाधान न हो जाय कि दावाकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर दावा न करने का पर्याप्त कारण था।

भाग 8

नहरों और जल निकासी कार्यों हेतु श्रम प्राप्त करना

63— "श्रमिक" की परिभाषा— इस भाग में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, शब्द "श्रमिक" उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट किसी हस्त कौशल का प्रयोग करते हैं।

64— नहर से लाभान्वित व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या विहित करने की शक्ति — किसी जिले में जिसमें किसी नहर या जल निकासी कार्य का निर्माण, अनुरक्षण, या आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझती है, तो कलेक्टर को निर्देश कर सकेगी :—

(क) स्वामियों, उप—स्वामियों या किसानों को निश्चित करने के लिये जिनका गांव या सम्पदा कलेक्टर ने न्याय निर्णयन में ऐसे नहर या निकासी कार्य द्वारा लाभान्वित है या होगें, और

(ख) जिले और अन्यान्य स्वामियों, उप—स्वामियों या कृषकों की परिस्थितियों का समादर करते हुये श्रमिकों की संख्या को सूचीबद्ध करने के लिये जो कथित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा संयुक्त या विवक्षित रूप में, ऐसे किसी ग्राम या सम्पदा से, ऐसे किसी नहर या जल निकासी कार्य पर जब कभी भी अपेक्षित हो एतद्पश्चात प्रावधानित रूप में नियोजन हेतु, पूरित किया जायेगा।

कलेक्टर समय–समय पर ऐसी सूची में या उसके किसी हिस्से में जोड़ सकेगा या परिवर्तन कर सकेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 के द्वारा जैसा इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, इस धारा में एक "खण्डीय नहर अधिकारी" के संदर्भ में एक खण्डीय अधिकारी को किया गया संदर्भ माना जायेगा।

65– अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्य हेतु श्रम प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया– राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी खण्डीय नहर अधिकारी को जब कभी भी प्रतीत होता है, जब तक तत्काल कुछ कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता, तो किसी नहर या जल निकासी संकर्म को ऐसी गम्भीर क्षति कारित हो जायेगी जो अचानक और विस्तृत लोक क्षति कारित कर देगी।

और कि उस पर समुचित कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक श्रमिकों को अनुमन्य समय सीमा के भीतर साधारण रीति से ऐसी क्षति को बचाने के लिये ऐसे कार्य के समुचित निष्पादन हेतु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कथित अधिकारी ऐसी सूची में नामित किसी व्यक्ति को उतनी संख्या में (उस सं0 से अनाधिक जो उस सूची के अनुसार वह आपूर्त करने के लिये दायी है) श्रमिकों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कथित अधिकारी ऐसे कार्य के तत्काल निष्पादन हेतु आवश्यक समझता है।

ऐसी प्रत्येक मांग लिखित में होगी और वर्णन करेगी –

(क) किये जाने वाले कार्य का स्थान और प्रकृति ;

(ख) व्यक्ति जिस पर मांग की गई है के द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या और

(ग) अनुमानित लगभग समय जिसके लिये और दिन जिस पर श्रमिकों की अपेक्षा होगी ;

और उसकी एक प्रतिलिपि तत्काल अधीक्षण नहर अधिकारी को राज्य सरकार के सूचनार्थ भेज दी जायेगी।

राज्य सरकार ऐसे किसी श्रमिक को भुगतान की जाने वाली दरों को निश्चित करेगी और समय–समय पर परिवर्तित कर सकेगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दरें इसी प्रकार कार्य हेतु आस–पास में तत्समय भुगतान की गई दरों के अधिकतम से अधिक होगी।

ऐसे प्रत्येक श्रमिक के मामले में उस सम्पूर्ण अवधि के लिये जिसके दौरान वह इस भाग के प्रावधानों के परिणाम में उसके सामान्य व्यवसाय का अनुगमन करने से रोक दिया जाता है, भुगतान जारी रहेगा।

राज्य सरकार निर्देश कर सकेगी कि इस भाग के प्राविधान या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से (जैसा मामला हो) किसी जिले या जिले के हिस्से में वार्षिक तलछट की सफाई, या एक नहर या जल निकासी मार्ग को समुचित संचालन को रोक देने से बचाने या उस स्तर तक बाधित कर देने से जिससे सिंचाई या नाली का स्थापित मार्ग अवरूद्ध हो जाय, के बचाने के लिये आवश्यक कार्यों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ लागू होगी।

66– मांग के अधीन श्रमिकों का दायित्व– जब कथित सूची में नामित व्यक्ति से कोई मांग की जाती है तो ऐसे व्यक्ति की सम्पदा या गांव में रहने वाला प्रत्येक श्रमिक पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ सामान्यतया अपना श्रम आपूर्ति करने या आपूर्ति जारी रखने का दायी होगा।

भाग 9

अधिकारिता

67– इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता – जहां इसमें से अन्यथा प्रावधानित के अलावा इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरूद्ध किये गये समस्त दावे सिविल न्यायालय द्वारा परीक्षित किये जा सकेगें ; किन्तु कोई ऐसा न्यायालय किसी भी मामले में एक आदेश पारित करते समय बोई गई या बढ़ती हुई किसी फसल को नहरी जल की आपूर्ति करने के लिये पारित नहीं किया जायेगा।

68– जल उपक्रम में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के अन्तर का समाधान – जब कभी जल उपक्रम के निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग के सम्बन्ध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो कोई ऐसा व्यक्ति खण्डीय नहर अधिकारी को लिखित में विवाद के मामले का वर्णन करते हुये आवेदन कर सकेगा। ऐसा अधिकारी तदुपरि उसमें हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को नोटिस देगा कि, नोटिस में नामित एक दिन पर, वह कथित मामले की जांच पड़ताल की कार्यवाही करेगा, और ऐसी जांच पड़ताल के पश्चात् वह उस पर अपना आदेश पारित करेगा, जब तक वह मामले को कलेक्टर को स्थानान्तरित

नहीं कर देता (जैसा कि वह एतद्द्वारा ऐसा करने को सशक्त है), जो तदुपरि जांच पड़ताल करायेगा और कथित मामले में अपना आदेश पारित करेगा।

ऐसा आदेश जब किया जाता है तो किसी बोई गई या बढ़ती हुई फसल के लिये जल उपयोग या वितरण के सम्बन्ध में अन्तिम होगा, और तत्पश्चात् तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक किसी सिविल न्यायालय के डिक्री द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1936 के द्वारा जैसे इसका प्रयोग उ0प्र0 में केवल किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ, इस धारा में एक "खण्डीय नहर अधिकारी" को एक संदर्भ एक "खण्डीय अधिकारी" को एक संदर्भ माना जायेगा।

69– गवाहों को सम्मन करने एवं परीक्षण करने की शक्ति– इस अधिनियम के अधीन कोई जांच–पड़ताल करने को सशक्त कोई अधिकारी गवाहों को सम्मन करने और परीक्षण करने से सम्बन्धित उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता[1] द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदत्त की गई है, और ऐसी प्रत्येक जांच पड़ताल एक न्यायिक प्रक्रिया मानी जायेगी।

भाग 10

अपराध और शास्तियां

70– अधिनियम के अधीन अपराध – जो कोई भी निम्न कार्यों में से कोई भी कार्य, समुचित प्राधिकार के बगैर और स्वैच्छिक रूप से करता है, अर्थात –

(1) किसी नहर या जल निकासी संकर्म को क्षति, परिवर्तित, वृद्धि या बाधा करता है;

(2) किसी नहर या जल निकासी मार्ग में या के अधीन, को या से, जल प्रवाह या में जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करता है, परिवर्तन करता है या जलापूर्ति में कमी करता है;

(3) किसी नहर या जल निकासी मार्ग को कम उपयोगी बनाने, क्षति या खतरा उत्पन्न करने के लिये किसी नदी या धारा में जल प्रवाह के साथ हस्तक्षेप करता है या परिवर्तन करता है;

(4) एक जल उपक्रम का प्रयोग या अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार होते हुये उसके जल की बर्बादी को रोकने के लिये समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा करता है या उससे जल के

प्राधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप करता है, या ऐसे जल का अनाधिकृत रूप से उपयोग करता है;

(5) किसी नहरी जल को विकृत या अपमिश्रित कर देता है जिससे यह उस प्रयोजनार्थ जिसके लिये इसका सामान्य उपयोग किया जाता है, कम उपयोगी हो जाय;

(6) नहर में प्रवेश या नौपरिवहन हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्समय विहित नियमों के प्रतिकूल किसी नहर में किसी जलयान का प्रवेश या नौपरिवहन कारित करता है;

(7) किसी नहर में नौपरिवहन करते समय नहर और उस पर जलयान की समुचित सुरक्षा हेतु समुचित सावधानियां लेने में उपेक्षा करता है;

(8) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन श्रमिकों की आपूर्ति करने को दायी होते हुये, बगैर युक्तियुक्त कारण के, उससे अपेक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने में या सहायता करने में असफल रहता है;

(9) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन अपने क्रम की आपूर्ति करने का दायी एक श्रमिक होते हुये, युक्तियुक्त कारण के बगैर, इस प्रकार अपना श्रम आपूर्ति करने या आपूर्ति जारी रखने की उपेक्षा करता है;

(10) लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निश्चित किये गये वाटर गेज या किसी स्तर चिन्हों को बर्बाद कर देता है या स्थानान्तरित कर देता है;

(11) एक नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या किनारों या किसी संकर्म के आर–पार जानवर या कोई यान इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल जब उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई है के पश्चात पार करता है, पार कराना कारित कराता है;

(12) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके भंग होने के लिये एक शास्ति उपगत की जा सकेगी।

शास्ति – ऐसे वर्ग के मजिस्ट्रेट के समय दोषसिद्धि पर, जैसा राज्य सरकार इस निमित्त निर्देश करती है, एक अर्थदण्ड से जो पचास रूपया से अनधिक है, या एक मास से अनधिक कारावास से, या दोनों से दायी होगा।

71– अन्य विधियों के अधीन अभियोजन से व्यावृत्ति – इसमें समाविष्ट कुछ भी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिये किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से नहीं रोकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये दो बार दण्डित नहीं किया जायेगा।

72– घायल व्यक्ति को प्रतिकर – जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक अपराध के लिये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट निर्देश कर सकता है कि ऐसे अर्थदण्ड का पूरा या कोई हिस्सा प्रतिकर के रूप में ऐसे अपराध द्वारा घायल व्यक्ति को भुगतान किया जाए।

73– वारन्ट के बगैर गिरफ्तार करने की शक्ति – किसी नहर या जल निकासी संकर्म का प्रभारी या पर नियुक्त कोई व्यक्ति उससे सम्बन्धित भूमि या भवन से हटा सकेगा, या एक वारन्ट के बगैर अभिरक्षा में ले सकेगा और अग्रेतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस थाने पर विधि के अनुसार व्यवहार करने के लिये ले जा सकेगा, किसी व्यक्ति को जो, उसके विचारान्तर्गत निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध कारित करता है –

(1) जानबूझकर क्षति या किसी नहर या जल निकासी मार्ग में बाधा;

(2) समुचित प्राधिकार के बगैर किसी नहर या जल निकास मार्ग या किसी नदी या धारा में या को जलापूर्ति या जल प्रवाह के साथ हस्तक्षेप करता है, जिससे कोई नहर या जल निकासी संकर्म को खतरा, क्षति या उपयोगिता में कमी हो जाती है ।

74– नहर की परिभाषा– इस भाग में शब्द "नहर" (जब तक विषय या प्रसंग में कुछ प्रतिकूल न हो) को नहरी प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा कब्जा की गई समस्त भूमियों और समस्त भवनों, यंत्रों, घेरानों, दरवाजों और अन्य खड़ी सम्पत्तियों यथा पेड़ों, फसलों, पौधों या ऐसी भूमि पर जो राज्य सरकार की है या कब्जे में है द्वारा अन्य उत्पादों को भी शामिल करती हुई समझी जायेगी।

भाग 11

सहायक नियम

75– नियमों को बनाना, परिवर्तन करना या रद्दकरण की शक्ति– राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों के विनियमन हेतु समय–समय पर नियम बना सकेगी –

(1) किसी अधिकारी की कार्यवाही जो, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अधीन, किसी मामले में कार्यवाही करने के लिये सशक्त या अपेक्षित है;

(2) मामले, जिसमें और अधिकारियों जिन्हें, और शर्ते जिसके अध्याधीन, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अधीन दिये गये निर्णयों और आदेशों, और जैसा अपीलों के सम्बन्ध में अभिव्यक्त रूप से प्रावधानित नहीं हैं, को प्रयोज्य होगें;

(3) व्यक्तियों जिनके द्वारा और समय, स्थान या रीति जिस पर या जिसमें कुछ भी जिसके करने के लिये इस अधिनियम के अधीन प्राविधान किया गया है, किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की धनराशि ; और

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 1979 का 22 के द्वारा इस धारा के खण्ड (4) के लिये निम्नलिखित खण्ड केवल उ0प्र0 में यथा प्रायोज्य रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की धनराशि और रीति जिसमें उनकी प्राप्ति की जायेगी ; और

(5) सामान्यतया इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये

राज्य सरकार समय–समय पर इस प्रकार बनाये गये किन्हीं नियमों को परिवर्तित या रद्द कर सकेगी।

76– नियमों का प्रकाशन – ऐसे नियम परिवर्तन और रद्दकरण को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और तदुपरि इन्हें विधि की शक्ति प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश – उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 1963 का 5 द्वारा जैसी इसकी प्रयोज्यता केवल उ0प्र0 में है मूल धारा 75 को उसकी उपधारा (1) के रूप में व्यवहृत किया जायेगा एवं निम्नलिखित उपधारायें (2) और (3) को जोड़ा जायेगा –

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ये नियम प्रावधान कर सकेगें –

(i) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई योजना में वर्णित किये जाने हेतु विशिष्टियों के लिये;

(ii) योजना के क्रियान्वयन की रीति के लिये;

(iii) योजना के प्रकाशन की रीति और इस अध्याय के अधीन नोटिस देने या का प्रकाशन करने के लिये ; और

(iv) ऐसी अन्य चीजों को करने या निष्पादन करने की रीति जैसा किया जा सकता है या जिन्हें इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभाविता देने के लिये विहित की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र की जा सकेगी, को राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अवधि के लिये सत्र में है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चात्वर्ती तिथि न नियत की जाय उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणों या शून्यीकरण जैसा विधायिका के दोनों सदन करने को सहमत हों के अध्याधीन प्रभाविता ग्रहण करेगी ; इसलिये, हालांकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगी।

अनुसूची : निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 एवं अनुसूची भाग 2 द्वारा निरसित।

क्रम सख्या–95 (घ–3)

पंजीकृत सख्या–य0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार,05 जून, 2003 ई0
ज्येष्ठ 15, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सिंचाई विभाग

सख्याः–124 / नौ–1–सिं0 / 2003 / स्थापना / 03 देहरादून, 05, जून, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान, नियमों और आदेशों को निष्प्रभावी करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''क'' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल सिचाई विभाग, अभियन्ता सेवा (सिविल / यांत्रिक)
समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली ''उत्तरांचल सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा (सिविल/यांत्रिक) समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति–

सिंचाई विभाग की उत्तरांचल अभियन्ता सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''क'' के पद समाविष्ट हैं ।

3. परिभाषायें–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के अपने–अपने संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप में नियुक्ति आदेश से है ।

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''क'' सेवा से है ।

(झ) 'मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यवाहक आदेशों द्वारा

नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो, और

(ट) 'भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य सख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है:

परन्तु–

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो ।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात्–

(1) अधिशासी अभियन्ता सिविल या यांत्रिक–यथास्थिति सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोंन्नति द्वारा:

(2) अधीक्षण अभियन्ता सिविल या यांत्रिक–यथास्थिति सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 15 वर्ष की सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रुप में कम से कम छः वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा:

(3) मुख्य अभियन्ता सिविल या यांत्रिक (स्तर–दो)–सिविल शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रुप में न्यून्तम तीन वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वाराः

(4) मुख्य अभियनता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–एक)–सिविल शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे मुख्य अभियन्ताओं (स्तर–दो) जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।

6. आरक्षण–

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

8. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) अधिशासी अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर और अधीक्षण अभियन्ता सिविल या यांत्रिक के पद पर मूल में योग्यता के आधार पर भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेंः–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन ।

2–सचिव, कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।

3–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग ।

4–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि ।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–1) के पद पर पदोन्नति (श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता) के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	–	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	–	सदस्य
3–सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन	–	सदस्य
4–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग की क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 2002, के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे सम्बन्धित ऐस अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी ।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी, जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग पाँच– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थयीकरण और ज्येष्ठता

9. नियुक्ति–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाये ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूची में से अस्थायी या स्थानापन्न रुप में भी नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगीं ।

10. परिवीक्षा–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगेः अलगअलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायेः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किस भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रुप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा–अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है ।

11. स्थाईकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक बताया जाये ।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थाईकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

(घ) और इस नियमावली के प्रारम्भ में दिनांक से चार वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति की दशा में–

(एक) अधिशासी अभियन्ता के पद पर, यदि उसने अन्वेषण, नियोजन, परिकल्प, अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक पदों पर चाहे सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता के रुप में या दोंनों पदों पर तीन वर्ष तक कार्य किया हो ।

(दो) अधीक्षण अभियन्ता के पद पर, यदि उसने अन्वेषण, नियोजन, परिकल्प, अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक पदों पर चाहे अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता के रुप में या दोंनों पदों पर तीन वर्ष तक कार्य किया हो ।

परन्तु यह उपबन्ध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे उक्त तैनाती प्रस्तावित न की गई हो, जिससे कि वह नियम 10 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक अपेक्षा पूर्ण कर सकने में समर्थ हो ।

12. ज्येष्ठता–

पदोन्नति द्वारा मौलिक रुप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

13. वेतनमान–

(1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप में या स्थायी आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक कि सरकारी सेवक पुराने वेतनमान का विकल्प न दें, वेतनमान निम्नलिखित होंगें:–

क्रम सख्या	पद का नाम	वेतनमान (रुपये)
(क)	अधिशासी अभियन्ता:	
1.	साधारण श्रेणी	1000–325–15200
2.	वैयक्तिक वेतनमान	12000–375–16500
(ख)	अधीक्षण अभियन्ता:	
1.	साधारण श्रेणी	12000–375–16500
2.	चयन श्रेणी	14300–18300
(ग)	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	16400–450–20000
(घ)	मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) एवं विभागाध्यक्ष	18400–500–22400

(3) अधिशासी अभियन्ताओं को वैयक्तिक वेतनमान और अधीक्षण अभियनताओं को चयन श्रेणी वेतनमान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों में दिये गये मानदण्ड के अनुसार व्यक्तिगत मामलों में स्वीकृत किया जायेगा ।

14. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय

वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुये भी कोई अधिशासी अभियन्ता अपने वर्तमान वेतनमान में तीसरी वेतनवृद्धि आहरित करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने इरिगेशन मैनुअल ऑफ ऑर्डर्स खण्ड–1 के पैरा–15 (6) के अधीन और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन नहर विधि परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली होः

परन्तु यदि किसी अधिशासी अभियन्ता की तीसरी वेतन वृद्धि परिवीक्षा के दौरान उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण रोकी जाती है, तो वह उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उस मास के, जिसमें सम्बन्धित परीक्षा आयोजित की गई हो, आगामी मास के प्रथम दिवस से स्वीकृत की जायेगी और उस अवधि की, जिसमें वेतनवृद्धि रोकी गई थी, गणना समयमान वेतनवृद्धि के लिये की जायेगी ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग सात–अन्य उपबन्ध

15. पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी

की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

16. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें ।

17. सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले मं न्यायसंगत आर साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभ्युक्ति या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्ति या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा ।

18. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

सिविल संवर्ग

क्रम सख्या	पद का नाम	पद सख्या
1.	अधिशासी अभियन्ता	49
2.	अधीक्षण अभियन्ता	16
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	04
4.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01

यांत्रिक संवर्ग

क्रम सख्या	पद का नाम	पद सख्या
1.	अधिशासी अभियन्ता	08
2.	अधीक्षण अभियन्ता	02
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	–
4.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	–

आज्ञा से,
ओ0 पी0 आर्य,
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of the clause(3) of Article 318 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 124/IX-1-Sin./2003,/Establishment/03, dated June 05, 2003 for general information:

No. 124/IX-1-Sin./2003/Establishment/03
Dated Dehradun, June 05, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provisions to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A"):

THE UTTARANCHAL IRRIGATION DEPARTMENT, ENGINEERS SERVICES (CIVIL/MECHANICAL) GROUP "A" SERVICE RULES, 2003

Part I- General

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the "Uttaranchal Irrigation Department, Engineering Service (Civil/Mechanical) Group "A" Service Rules, 2003".

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service—

The Uttaranchal Irrigation Department Engineering Service (Civil/Mechanical) is comprising of Group "A" posts.

3. Definitions-

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or the context—

(a) "Appointing authority" means the Governor of Uttaranchal;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;

(h) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) Group "A";

(i) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(j) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II- Cadre

4. Cadre of the Service-

(1) The Strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and the no. of each category of posts therein shall, until orders varying the same are issues under sub-rule (1), be as given in the Appendix :

Provided that –

(a) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent of temporary posts as he may consider proper.

Part III- Recruitment

5. Source of Recruitment-

Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources, namely-

(1) Executive Engineer, Civil or Mechanical—By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed seven years service on the first day of the year of recruitment;

(2) Superintending Engineer, Civil or Mechanical-- By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed fifteen years service (including at least six years service as Executive Engineer), on the first day of the year of recruitment;

(3) **Chief Engineer, Civil or Mechanical-Level-II--** By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty five years service (including at least three years service as Superintending Engineer), on the first day of the year of recruitment;

(4) **Chief Engineer, Civil or Mechanical-Level-I--** By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineers (Level-II) in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty seven years service on the first day of the year of recruitment;

6. Reservation-

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and other categories shall be made in accordance with, the orders of the Government I force at the time of recruitment.

Part IV – Procedure for Recruitment

7. Determination of Vacancies-

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and other categories under rule 6.

8. Process of Recruitment by Promotion-

(1) Recruitment to the post of Executive Engineer, Civil or Mechanical shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit and to the post of Superintending Engineer, Civil or Mechanical, shall be made on the basis of merit through Selection Committee comprising :-

(i) Principal Secretary/Secretary to the Government in Irrigation Department;

(ii) Secretary to the Government in Personnel Department;

(iii) Engineer-in-Chief(Grade-1) Irrigation Department;

(iv) Representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Senior Secretary to the Government shall be the Chairman of the Selection Committee.

(2) Recruitment to the post of Chief Engineer Level-II, Chief Engineer (Level-I) & HOD shall be made on the basis of merit through a Selection Committee comprising :-

(i)	Chief Secretary to the Government of Uttaranchal	Chairman
(ii)	Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttaranchal, Irrigation Department	Member
(iii)	Secretary to the Government of Uttaranchal in Personnel Department	Member
(iv)	One Representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	Member

(3) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection(on posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2002 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them as may be considered proper.

(4) The Selection Committee shall consider the case of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule(3).

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward to the appointing authority.

Part V – Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

9. Appointment–

(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand on the list prepared under sub-rule (5) of rule 8.

(2) If more than one orders of appointments are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

(3) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred under sub-rule(1). If no candidate borne on this list is available he may make appointments in

such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

10. Probation-

(1) A person appointed by promotion on different categories of posts in the service shall be placed on probation in a period of one year.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded extend the period probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two year.

(3) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. Confirmation–

A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if –

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified.

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(d) And in the case of the probationer appointed after the expiration of four years from the date of commencement of these rules.

(i) On the post of Executive Engineer if he had worked on any one or more of the posts relating to investigation, planning, design and research, and training for three years, whether as Assistant Engineer or Executive Engineer or both.

(ii) On the post of Superintending Engineer if he has worked on any one or more of the posts, relating to investigation, planning, design and research, and training for three years whether as Executive Engineer or Superintending Engineer or both.

12. Seniority -

The Seniority inter se of persons substantively appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

Part VI-Pay etc.

13. Scale of Pay -

(1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service whether in substantive or officiating capacity or on a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule(1) are passed and unless the Government servant posts for the old scale be as follows -

Sl.No.	Designation	Pay Scale (Rs)
(a)	**Executive Engineer :**	
1.	Ordinary Grade	10000-325-15200
2.	Personnel Pay Scale	12000-375-16500
(b)	**Superintending Engineer :**	
1.	Ordinary Grade	12000-375-16500
2.	Selection Grade	14300-18300
(c)	**Chief Engineer (Level-2)**	16400-450-20000
(d)	**Chief Engineer (Level-1) & Head of Department**	18400-500-22400

(3) Personnel Pay Scale to Executive Engineers and Selection Grade to Superintending Engineers shall be allowed to individual cases in accordance with the criteria laid down in the orders of the Government issued from time to time.

14. Pay during Probation-

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the timescale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not account for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, an Executive Engineer shall not be entitled to draw third increment in his present scale until he has passed the Canal Law Examination as required under para 15(6) of the Irrigation annual of Orders, Volume 1 and other Government Order issued in this regard from time to time.

Provided that if the third increment is withheld from an Executive Engineer during the probationary period on account of failure to pass the said Examination, it shall be allowed to him on passing the Examination from the first day of the month following that in which the Examination is held and the period during which the increment was withheld shall count for increment in the time scale.

(3) The pay during probation of a person who has already been holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(4) The pay during probation of a person who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Pay VII – Other Provisions

15. Canvassing-

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. An

attempt on the part of a candidate to on list support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

16. Regulation of other matters-

In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special cadres, the persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government Servants serving in connection with affairs of the State.

17. Relaxation in the conditions of Service-

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of persons appointed to the service ensure undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such dealing with the case in a just and equitable manner.

18. Savings-

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX
[See Rule 4(2)]
CIVIL CADRE

S.No.	Name of the Post	No. of the Posts
1	Executive Engineer	49
2	Superintending Engineer	16
3	Chief Engineer (Level-2)	04
4	Chief Engineer & Head of Department	01

MECHANICAL CADRE

S.No.	Name of the Post	No. of the Posts
1	Executive Engineer	08
2	Superintending Engineer	02
3	Chief Engineer (Level-2)	-
4	Chief Engineer & Head of Department	-

By Order
O P Arya
Principal Secretary

क्रम सख्या–36 (क)

पंजीकृत सख्या–य0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी, 2003 ई0
माघ 29, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सिंचाई विभाग

सख्याः–554 / नौ–1–सिं0 / 2003 देहरादून, 18, फरवरी, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान, नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तरांचल, अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल अभियन्ता (सिचाई विभाग) (समूह ''ख'') सेवा नियमावली, 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' सेवा नियमावली 2003 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं ।

3. परिभाषायें–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के अपने–अपने संवर्ग में किसी पद इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप में नियुक्त व्यक्ति से है ।

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख''सेवा से है ।

(झ) 'मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यवाहक आदेशों द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; और

(ट) 'भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर आवंटित की जाये ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है परन्तु–

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे आरक्षित रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का श्रोत–

सेवा में सहायक अभियन्ता (सिविल या यांत्रिक) के पदों पर भर्ती इस प्रकार व्यवस्थित की जायेगी कि–

(1) सिविल संवर्ग में 50.00 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से चुने गये अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायें ।

(2) यांत्रिक संवर्ग में 50.00 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से चुने गये अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगें ।

शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरे जायेंगें–

(क) सिविल शाखा में :

(एक) 40 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें ।

(दो) 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे संगणक (सिविल) में से जो परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । जिसमें से 0.4 प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त शोध पर्यवेक्षक, जो नियम–8 में विनिर्दिष्ट सिविल अभियंत्रण में अर्हता रखते हैं, तथ 0.67 प्रतिशत ऐसे संगणक जो नियम–8 में विनिर्दिष्ट सिविल अभियंत्रण में अर्हता रखते हों, की पदोन्नति से भरे जायेंगें । किन्तु ऐसे शोध पर्यवेक्षक अथवा संगणक उपलब्ध न होने पर उनके कोटे के पद सामान्य संगणक (सिविल) की पदोन्नति से भरे जायेंगें ।

(तीन) 7.33 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि रखता हो या इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (सिविल इंजीनियरिंग ब्रान्च) का एसोसिएट मैम्बर हो और जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । 7.33 प्रतिशत कोटे में से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस कोटे के पद नियम 5 (क) (एक) की व्यवस्था के अनुसार सामान्य कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से भरे जायेंगें ।

(ख) यांत्रिक शाखा में :

(एक) 40 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें ।

(दो) 9.33 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि रखता हो या इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (यांत्रिक इंजीनियरिंग ब्रान्च) का एसोसिएट मैम्बर हो और जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । 9.33 प्रतिशत कोटे में से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस कोटे के पद नियम 5 (ख) (एक) की व्यवस्था के अनुसार सामान्य कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) से भरे जायेंगें ।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नति के लिये विहित प्रतिशत बना रहे ।

6. आरक्षण–

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आयें हों, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रबरन किया हो :

उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

8. शैक्षिक अर्हता–:

सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है–

(1) किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वद्यिालय से, यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक अभियंत्रण में कोई उपाधि, या

(2) इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का यथास्थिति, सिविल इंजीनियरिंग ब्रान्च या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रान्च का अर्ह एसोशिएट मेम्बर ।

9. अधिमानी अर्हतायें–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

11. चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगें । नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें ।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की सख्या भी अवधारित करेगा ।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें ।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया प्रवेश पत्र न हो ।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी सख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा ।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तयार करेगा

और उतनी सख्या में अभ्यर्थियों को जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझें, संस्तुत करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची के ऊपर रखा जायेगा । सूची में नामों की सख्या रिक्तियों की सख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियनता (यांत्रिक) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, यथासंशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), उत्तर प्रदेश नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी

परन्तु यह और कि यदि दो या अधिक सवंर्गों के वेतनमान समान हों तो पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक से क्रमानुसार रखे जायेंगें ।

17. संयुक्त चयन समिति–

(1) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोंनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे ।

(2) कनिष्ठ अभियन्ताओं, संगणकों और शोध पर्यवेक्षकों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में वेतनमान के अनुसार नियम–5 मं यथापरिभाषित पदोन्नति कोटा के अनुपात में संयुक्त चयन सूची में रखे जायेंगें । उच्च वेतनमान वाले पोषक सवंर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्न वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्यिों से ज्येष्ठ होंगें ।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति–

(1) उपनियम–2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यथियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें ये यथास्थिति, नियम–15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आयें हों, नियुक्तियाँ करेगा ।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोंनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोंनों श्रोंतो से

चयन न कर लिया जाये ओर नियम–17 के अनुसार एक संयक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जायेगी जैसा कि उस सवंर्ग में हो जिसमें उसे पदोन्नत किया जाये । यह नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोंनों द्वारा की जाती हैं तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगें।

19. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा तब तक अवधि बढ़ाई जाये ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

20. स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो ।

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये ।

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वे स्थाई किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

21. ज्येष्ठता–

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22. वेतनमान–

(1) सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक कि सरकारी सेवक पुराने वेतनमान के लिये विकल्प न दें, वेतनमान वह होगा जैसा परिशिष्ट–''क–1'' में प्रदर्शित किया गया है ।

(3) सहायक अभियन्ताओं को अलग–अलग मामलों में समय–समय पर जारी सरकार के आदेशों में दिये गये मानदण्ड के अनुसार क्रमशः परिशिष्ट ''क–2'' और ''क–3'' में यथा उल्लिखित उच्च वेतनमान और वैयक्तिक वेतनमान दिया जायेगा ।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुये एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो आर द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24. दक्षता रोक पार करना–

किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि–

(1) उसका कार्य आर व्यवहार संतोषजनक न बताया जाये ।

(2) उसकी सत्यनिष्ठा की पुष्टि न कर दी जाये ।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

26. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐस विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें ।

27. सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ यह आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा भी उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है ।

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा ।

28. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध मं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्यिों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

ओ0पी0आर्य
प्रमुख सचिव ।

परिशिष्ट–''क–1''

[नियम 4(2) और नियम 22(2) देखिय]

क्रम सख्या	प्द का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रु0 8000–13500
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	रु0 8000–13500

परिशिष्ट–''क–2''

[नियम 22(3) में देखिये]

उच्च वेतनमान

क्रम सख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रु0 10000–325–15200
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	रु0 10000–325–15200

परिशिष्ट–''क–3''

[नियम 22(3) में देखिये]

वैयक्तिक वेतनमान

क्रम सख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रु0 12000–375–16500
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	रु0 12000–375–16500

परिशिष्ट–''ख''

[नियम 5(2) (क) (दो) देखिये]

(1) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तरांचल द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(3) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तरांचल एडहाक बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन उत्तरांचल द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण–पत्र ।

(4) रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण–पत्र ।

(5) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप में तीन वर्षीय प्रमाण–पत्र ।

(6) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप में ढाई वर्षीय प्रमाण–पत्र ।

(7) श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रों के प्रशिक्षार्थियों को व्यवसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिये श्रम मंत्रालय और सेवायोजन राष्ट्रीय परिषद् भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शानवीस का प्रमाण–पत्र।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 554/IX-1-Sin/2003 dated February 18, 2003 for general information:

No. 554/IX-1-Sin/2003

Dated Dehradun, February 18, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to made the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "B").

PART – I GENERAL

1. Short title and Commencement:

(1) These rules may be called the Uttaranchal Service Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service:

The Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group-B) is a State service comprising group "B" posts

3. Definition:

In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context –

(a) "Appointing Authority" means the Governor ;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part – II of the Constitution ;

(c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission ;

(d) "Constitution" means the Constitution of India ;

(e) "Government" means the State Government of Uttaranchal ;

(f) "governor" means the Governor of Uttaranchal ;

(g) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the Service ;

(h) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) ;

(i) "Substantive Appointment" means an appointment not being on adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ; and

(j) "Year of Requirement" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II – CADRE

4. Cadre of the Service:

(1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix "A" Provided that –

(i) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART III – RECRUITMENT

5. Source or recruitment:

Recruitment to the posts of Assistant Engineer (Civil or Mechanical) in the Service shall be so arranged that –

(1) 50.00% posts in the Civil Cadre are filled in by direct recruits selected through the Commission.

(2) 50.67% posts in the Mechanical Cadre are filled in by direct recruits selected through the Commission.

Rest of the posts shall be filled in by promotion through Commission, as under:-

(a) In Civil Branch -

(i) 40% shall be filled in from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil), who have completed ten years service as such, on the first day of the year of recruitment.

(ii) 2.67 percent shall be filled in from amongst such substantively appointed Computers (Civil) who possess one of the qualifications mentioned in Appendix "B" and who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment. 0.4% shall be filled in from amongst such substantively appointed Research Supervisor who possess in Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized Institution or are Associate Members of the Institution of Engineers (India) (Civil Engineer Branch) and who have completed three year service as such, on the first day of the year of recruitment. 0.67% shall be filled in from amongst such substantively appointed Computers (Civil) who possess Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service as such on the first day of the year of recruitment. If the eligible candidates are not available then the post will be filled by the general promotion.

(iii) 7.33% shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Civil) who possess Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized Institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service, as such, on the first day of the year of recruitment. In the 7.33 quota, if the candidate will not available then according to rules of 5 (a) (one) the post will be filled by the Junior Engineer (Civil).

(b) In Mechanical Branch:

(i) 40.00% shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Mechanizes) who possess Bachelor's degree in Mechanical Engineering from a recognized Institution or are Associate Members of the Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service as such, on the first day of the year of recruitment.

(ii) 9.33 percent shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Mechanical) who possess

Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized Institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Mechanical Engineering Branch) and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment. In the 9.33% quota, if the candidate will not available then according to rules of 5 (b) (one) the post will be filled by the Junior Engineer (Mechanical):

Provided that the appointing authority may regulate the recruitment by promotion in any year of recruitment in such manner that the prescribed percentage for promotion is maintained.

6. Reservation:

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV – QUALIFICATIONS

7. Nationality:

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

(a) A Citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently setting in India or,

(c) A person of Indian origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any or the East African countries of Kenya, Uganda and the Untied Republic of Tanzania (for merely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging in category (b) or (c) above must be a person in whose favours in certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal

:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more that one year

and the retention of such a candidate in service be join a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note : A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualification:

A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Engineer must –

(1) Possess a Degree in Civil or Mechanical Engineering as the case may be, from an Institution or an University recognized by the Government; or

(2) Be a qualified Associate Member of the Institution of Engineers (India) Civil Engineering Branch or Mechanical Engineering Branch, as the case may be.

9. Preferential Qualification:

A candidate who has involved in the territorial army for a minimum period of two years, or obtained a “B” certificate on National Cadet Core. Things being equal, be given preference to the person of direct recruitment.

10. Age:

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21year and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

11. Character:

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission.

12. Marital Status:

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness:

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and badly health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties, before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by Medical Board:

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Date of determination of vacancies:

The appointing authority shall determine and intimate to the commission the Number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for a candidate to belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rules 6.

15. Procedure for Direct Recruitment:

(1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed Performa published in the advertisement issued by the commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated the commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other under Rule -6, summon for interview such number of candidates as on the result of written examination have come up to the standard fixed by the commission in this respect, the marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two

or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be place higher in the list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

16. Procedure for recruitment by Promotion:

Recruitment by promotion to the post of Assistant Engineer (Civil) or Assistant Engineer (Mechanical) shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with "Uttaranchal Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, as U.P. 1970 as amended form time to time":

Provided that if there are different feeding cadres the candidates in the higher pay scale shall be placed above in the eligibility list:

Provided further that if two or more cadres are in identical scales of pay the names of the candidates in the eligibility list shall be arranged according to the date of order of there substantive appointment.

17. Combined select list:

If any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined a list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage in maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion. The names of Junior Engineers, Computers and Research Supervisors shall be placed in the combined select list in proportion of promotion quota, as defined in Rule 5, in accordance with the pay scale in their respective cadre. The persons promoted from the feeding order having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding order having lower pay scale.

PART VI- APPOINTMENT, DEPARTMENTAL TRAINING, EXAMINATION, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORTY

18. Appointment:

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in order in which

they stand in the lists prepared under Rules 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 17.

19. Probation

(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded extend the period of probation individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient of his opportunities of has otherwise not to give satisfaction he may be removed to substantive post, if any, and if he is not hold a lien or any post his services may be dispersed with.

(4) A probationer who is revolved or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

20. Confirmation:

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation of –

(a) He has passed the prescribed Departmental Examination;

(b) He has successfully undergone the prescribed training;

(c) His work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) His integrity is certified; and

(e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority:

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART VII – PAY ETC.

22. Scales of Pay:

(1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule (1) are passed and unless the Government Servant opts for the old scale be as shown in Appendix "A-1".

(3) Higher scale of pay and personal scale of pay as mentioned in Appendix "A-2" and "A-3" respectively shall be allowed to the Assistant Engineers, in individual cases in accordance with criterion laid down in the orders of the Government issued from time to time.

23. Pay during probation:

(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, including period of training, has passed the departmental examination and second increment after two years satisfactory service where he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended or account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who is already in permanent. Government Service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Service generally growing in connection with the affairs to the state.

24. Criteria for Crossing Efficiency Bar

No person shall be allowed to cross efficiency bar, unless –

(i) his work and conduct is reported to be satisfactory ; and

(ii) his integrity is certified

PART VIII – OTHER PROVISIONS

25. Canvassing:

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidate will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters:

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in correction with the affairs of the State.

27. Relaxation from the conditions of service:

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may in consultations with commission notwithstanding anything contained in the rules applicable to be case, by order dispersed with or relax. The requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

O. P. ARYA,
Principal
Secretary

Appendix "A-1"
[See rule 4 (2) and 22 (2)]

Sl No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 8000 – 13500
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 8000 – 13500

Appendix "A-2"
[See rule 4 (2) and 22 (3)]
Higher Scale

Sl No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 10000– 325-15200
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 10000-325–15200

Appendix "A-3"
[See rule 4 (2) and 22 (3)]
Personal Scale

Sl No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 12000 – 375 – 16500
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 12000 – 375 – 16500

Appendix "B"
[See rule 5 (2) (a) (ii)]

(1) Three years Diploma in Civil Engineer awarded by State Board of Technical Education in Uttaranchal.

(2) Diploma in Civil Engineer awarded by any other Institutions recognized by the Government.

(3) Certificate in Draftsmanship awarded by State Board of Technical Education, Uttaranchal or Adhoc Board of Engineering Education in Uttaranchal.

(4) Certificate of Draftsmanship from Roorkee University.

(5) Three Years Certificate in Draftsmanship from Banaras Hindu University.

(6) Two and half Years Certificate in Draftsmanship from Aligarh University.

(7) Certificate of Nakshanavees awarded by Ministry of Labour and National Employment Council, Government of India, to the trainees of Industrial Training Institutions under the Labour Department.

क्रम संख्या – 59(क)

पंजीकृत संख्याः यू0ए0 / डी0एन–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, रविवार, 30 मार्च, 2003 ई0

चैत्र 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सिंचाई विभाग

संख्या 165 / नौ–1–सि0 (स्थापना) / 2003 देहरादून, 30 मार्च, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अतिक्रमित करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, सिंचाई विभाग, अनुसचिवीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा (समूह "ग") नियमावली, 2003

भाग एक – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली "सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा (समूह ग) नियमावली 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा एक अधीनस्थ अनुसचिवीय सेवा है।

3. परिभाषायें–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाये ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ग) "समिति" का तात्पर्य ऐसी चयन समिति से है जिसका गठन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो ;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(ड.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के अपने–अपने संवर्ग में किसी पद पर एक नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य अनुसचिवीय सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ग" सेवा में है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो ;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ;

(ठ) "मण्डल" का तात्पर्य सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय संस्थान से है ;

(ड) "खण्ड" का तात्पर्य सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अथवा समकक्ष संस्थान से है।

भाग दो – संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग

(1) सेवा के तीन संवर्ग होंगे –

(क) मुख्य अभियन्ता संवर्ग

(ख) मण्डलीय संवर्ग एवं

(ग) खण्डीय संवर्ग

(2) प्रत्येक संवर्ग के सेवा की सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(3) जब तक उपनियम (2) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग तीन – भर्ती

5. भर्ती का स्रोत –

सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी –

(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तरांचल के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर।

(2) 15 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' सेवा के हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, अन्यथा पात्र, कार्मिकों की पदोन्नति द्वारा।

(3) 5 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा 10+2 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अन्यथा पात्र, कार्मिकों की पदोन्नति द्वारा।

(4) सेवा के अन्य पदों में भर्ती पदोन्नति द्वारा परिशिष्ट के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

6. आरक्षण –

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता –

सेवा के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिको और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया है ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यकता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हता –

(1) कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यून्तम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, तथा

(2) अभ्यर्थी हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है।

9. अधिमान्य अर्हताएं –

(1) अंग्रेजी टंकण और / अथवा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अन्य बातें समान होने पर सेवा में भर्ती होने के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और/ अथवा नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातें समान होने पर सेवा में भर्ती के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु –

(1) सेवा में विभिन्न वर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) किसी ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करें, को उच्चतम आयु–सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है, जितने वर्ष उक्त अभ्यर्थी ने विभाग में सेवा पूरी कर ली हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. चरित्र –

सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अनिवार्यतः ऐसा होना चाहिए कि वह सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

12. वैवाहिक प्रास्थिति –

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता –

कोई भी व्यक्ति सेवा से सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी की सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

भाग पांच – भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा –

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया –

(1) इस सेवा के कनिष्ठ लिपिक के पदों की सीधी भर्ती के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा :–

(क)	अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)	....	अध्यक्ष
(ख)	अधिशासी अभियन्ता	....	सदस्य
(ग)	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के एक अधिकारी	.....	सदस्य

(2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।

(3) यदि सीधी भर्ती उक्त उप–प्रस्तर 5(2) एवं 5(3) के अनुरूप विभाग के समूह "घ" के अभ्यर्थियों से की जानी हो तो समिति के अध्यक्ष द्वारा समस्त विभागीय पात्र अभ्यर्थियों से उचित माध्यम द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेगें।

(4) समिति द्वारा उक्तानुसार (2) एवं (3) के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार पृथक–पृथक लिया जायेगा जिसमें निम्नांकित विषय होगें :–

अ.	सामान्य ज्ञान	....	15 अंक
ब.	हिन्दी आलेखन	....	15 अंक
स.	हिन्दी टंकण	....	15 अंक
द.	साक्षात्कार	....	05 अंक
	योग	**....**	**50 अंक**

(5) समिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता–क्रम में जैसाकि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार की जायेगी और विभाग में विद्यमान रिक्तियों की संख्या के समतुल्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –

(1) इस सेवा के पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा :–

(i)	अधिष्ठान का प्रभारी मुख्य अभियन्ता	....	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विभागाध्यक्ष)	....	सदस्य
(iii)	अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)	....	संयोजक
(iv)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक अधिकारी	....	सदस्य

(2) संयोजक अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें, के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर निकृष्ट को छोड़ते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

17. संयुक्त चयन सूची –

(1) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उच्च वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्न वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगें।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति –

मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नानुसार करेगें।

(1) नयी नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा उपनियम 15(5) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में से विभागाध्यक्ष द्वारा वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमशः मुख्य अभियन्ता संवर्ग, मण्डलीय संवर्ग एवं खण्डीय संवर्ग में नियुक्त करने हेतु आवंटित किया जायेगा।

(2) मुख्य अभियन्ता संवर्ग एवं मण्डलीय संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से तथा खण्डीय संवर्ग में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, जिनके अधीन पद रिक्त हैं, के स्तर से जारी किये जायेगें।

(3) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम–17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(4) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,

ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसाकि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जायेगा जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यह नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेगें।

19. परिवीक्षा –

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे सेवा से पृथक अथवा उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित, यथस्थिति, किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से पृथक या प्रत्यावर्तित किया जाये, वह किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणना करने की अनुमति दे सकता है।

20. स्थायीकरण –

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में यथास्थिति, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता –

सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा–संशोधित सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात – वेतन इत्यादि

22. वेतनमान –

1. सेवा में किसी पद पर पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
2. इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन –

नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन –

किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन –

ऐस विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

26. सेवा शर्तों में शिथिलता –

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं, वहाँ यह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिलुप्त या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा।

27. व्यावृत्ति –

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

ओ0 पी0 आर्य
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

(देखिये नियम 4 (3), 5 (3) एवं 22 (2))

क्र0स0	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5
1.	**कनिष्ठ लिपिक**			
	अ – खंडीय संवर्ग ब – मंडल कार्यालय संवर्ग स – मुख्य अभियन्ता कार्या0 संवर्ग	241 48 20	3050-4590	नियमावली के भाग 3, प्रस्तर–5 के अनुसार
2-	**वरिष्ठ लिपिक**			
	अ – खंडीय संवर्ग ब – मंडल कार्यालय संवर्ग स – मुख्य अभियन्ता कार्या0 संवर्ग	236 48 22	4000-6000	अपने संवर्ग में ऐसे कनिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
3-	**वरिष्ठ सहायक**			
	अ – खंडीय संवर्ग ब – मंडल कार्यालय संवर्ग स – मुख्य अभियन्ता कार्या0 संवर्ग	84 37 22	4500-7000	अपने संवर्ग में ऐसे वरिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
4-	**मुख्य लिपिक**			
	(खंडीय कार्यालय हेतु)	41	5000-8000	अपने संवर्ग में ऐसे वरिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
5-	**कार्यालय अधीक्षक**			
	अ – खंडीय संवर्ग ब – मुख्य अभियन्ता कार्या0	13 7	5000-8000	अपने संवर्ग के वरिष्ठ सहायकों, जिन्होनें न्यूनतम 15 वर्ष की

	संवर्ग			सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
6-	**प्रशासनिक अधिकारी**			
	(मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु)	5	5500-9000	मुख्य अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षकों, जिन्होनें न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 165/IX-1-Sin./2003, dated March 30, 2003 for general information:-

No. 165/IX-Sin./2003
Dated Dehradun, March 30, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Irrigation Department Uttaranchal Service of Ministerial Cadre.

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARANCHAL SERVICE OF MINISTERIAL CADRE (GROUP 'C') RULES, 2003

Part I – General

1. Short title and Commencement -

(1) These rules may be called the "Irrigation Department, Uttaranchal Service of Ministerial Cadre (Group 'C') Rules, 2003".

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service –

The Irrigation Department Uttaranchal Service of Ministerial Cadre is a State service comprising Group "C" posts.

3. Definitions -

In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context –

(a) "Appointing authority" means the an officer dully authorized by the competent authority to male such an appointment ;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part-Ii of the Constitution ;

(c) "Committee" means such a selection committee formed by the competent authority ;

(d) "Constitution" means the Constitution of India ;

(e) "government" means the State Government of Uttaranchal

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the Service ;

(h) "Service" means the Uttaranchal Service of Ministerial Cadre (Irrigation Department) ;

(i) "Substantive appointment" means an appointment not being on adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

(j) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year ;

(k) "Circle" means the office of Superintending Engineer of Irrigation Department ;

(l) "Division" means the office of Executive Engineer of Irrigation Department.

Part II – Cadre

4. Cadre of the Service -

(1) There shall be Three Cadres of the Service –

(A) Chief Engineer's Office Cadre

(B) Circle Office cadre

(C) Divisional Office cadre

(2) The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(3) The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix Provided that –

(i) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

Part III – Recruitment

5. Source of Recruitment -

Recruitment to the posts of Junior Clerk in the Service shall be so arranged that –

(1) 80% posts are filled in by inviting the application directly from the candidates who are enrolled in District Employment Exchange of Uttaranchal.

(2) 15% posts are filled in by promotion from Class 'D' employees of Irrigation Department, who possess the academic qualification of High School or equivalent and are otherwise eligible.

(3) 5% posts are filled in by promotion from Class 'D' employees of Irrigation Department, who possess the academic qualification of Intermediate or 10+2 examination or equivalent and otherwise eligible.

(4) Rest of the posts of service shall be filled in by promotion from the sources specified in column-5 of the appendix.

6. Reservation

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV- Qualifications

7. Nationality

A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

(a) A citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or,

(c) A person of India origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (for merely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging in category (b) or (c) above must be a person in whose favours in certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence "Branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more that one year and the retention of such a candidate in service be join a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note – a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualification

(1) A candidate for direct recruitment to the post of Junior Clerk must possess a minimum academic qualification of intermediate or 10+2 or equivalent.

(2) The candidate should have a minimum speed of typing in Hindi (Devnagari Script) of 25 words per minute.

9. Preferential Qualification

(1) A candidate having knowledge of English typing/computer operating shall be given preference having other qualification equal.

(2) A candidate who has served in the territorial army for a minimum period of two years, or obtained a “B” certificate on National Cadet Crops shall, other tings equal be given preference to the matter of direct recruitment.

10. Age--

(1) A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertisement by the Department:

Provided that the upper age- limit in the case of candidates belongings to the scheduled Castes, scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

(2) Any such departmental candidate who applies for the direct recruitment to post of junior Clerk shall be given relaxation in age equal to the period of his service completed.

11 Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service.

Note -- Persons dismissed by the Union Government or a State Government by Local Authority or a corporation or Body owned or controlled by the Union Government State Government shall be ineligibl0 for

appointment to any post in the Service. Persons convicted an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12 Marital Status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of the rule.

13 Physical /Fitness --

No candidate shall be appointed to post in the service unless he be in goods mental and badly health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required fitness certificate chief Medical Officer.

Provided that a medical certificate medical of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V—Procedure for Recruitment

14 Date of determination of Vacancies --

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for a candidates belonging to Schedule castes / Scheduled Tribes and other categories under rules 6.

15 Procedure for Direct Recruitment--

(1) In order to fill in the vacancies of junior clerk under the service, the Head of the Department shall constitute a Committee as follows for conducting competitive examination / Interview of the candidates :-

(a)	Superintending Engineer (Karmik)	-	Chairman
(b)	Executive Drafting	-	Member
(c)	An officer belonging to Scheduled Caste / Tribe	-	Member

(2) For Direct recruitment the Chairman of the Committee shall invite their applications, by publishing the advertisement in the newspaper, from such candidates whose names are enrolled the office of District Employment Exchange of Uttaranchal.

(3) If recruitments are to be made by promotion of the employees of class – "D' of Irrigation Department under sub- Clauses 5 (2) & (3) the chairman of the Committee shall invite the applications though proper channel from the eligible candidates.

(4) The committee shall conduct written test / Interview of the candidates belonging to sub clause (2) & (3) above separately in the following subjects.

(A)	General Knowledge	-	15 Marks
(B)	Hindi Drafting	-	15 Marks
(C)	Hindi Typing	-	15 Marks
(D)	Interview	-	05 Marks
	Total	**-**	**50 Marks**

(5) The committee shall prepare a list the order of merit according to the marks obtained by the candidates in written test and interview and submit the list to the Head of Department keeping the number of candidates equal to the vacancies. In case of two or more candidates obtaining equal marks in total the name of the candidate obtaining more marks in written test shall kept at higher merit in the list.

16 Procedure of Recruitment by promotion.

(1) For the recruitment by promotion to all the posts of the Service, a committee shall be constituted by the Head of Department as follows:-

(i)	Chief Engineer in charge of the Establishment	-	Chairman
(ii)	Senior Staff Officer (H.O.D.)	-	Member
(iii)	Superintending Engineer (Karmik)	-	Organizer
(iv)	An officer belonging to Scheduled Caste / Tribe	-	Member

(2) The organizer shall prepare a list according to the seniority of the candidates and submit it along with the character rolls and such other documents witch are considered necessary to the Selection Committee for considering the promotion.

(3) The Committee shall consider the names according to the documents submitted under sub-clause (2) above and select the candidates for promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit.

(4) The committee shall prepare a list of the selected candidates in accordance with the seniority and submit to the Head of Department.

17 Combined Select List -

(1) If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

The persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding cadre having lower pay scale.

Part VI—Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. Appointment:-

On the availability of vacancies for substantive post the appointing authority shall appointing authority shall appoint the candidates in the following manner:-

(1) For new appointment the candidates appearing in the list prepared under clause 15 (5) shall be allocated of the Chief Engineer's cadre, Circle cadre and division cadre respectively on the basis of merit by the Head Department.

(2) The authority for appointment / promotion /posting shall be the Head of the Department in case of Chief Engineer's Carder & Circle cadre and Superintending Engineer in case of divisional cadre.

(3) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selection are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17 above.

(4) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in orders of seniority as determined in the selection or as it stood in the cadre from which they are promoted, as the case may be if the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order refereed to in Rule 17 above.

19. Probation:-

(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may for reasons to be recoded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient used of his opportunities or has otherwise not given satisfaction, he be removed to substantive post, if any and if he is not holding a lien or any post his services may be dispersed with.

(4) A probationer who is revolved or whose are dispensed with under sub-rule (3) above shall not be entitled to any compensation.

20. Confirmation:-

A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if –

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory.
(b) his integrity is certified; and
(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority:-

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Government Servant Seniority Rules as amended from time to time.

Part VII — Pay etc.

22. Scale of Pay:-

(1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay prevailing at the beginning of these rules are shown in Appendix.

23. Pay during Probation :-

Notwithstanding any provision in the Rules to the country a person on probation, if he is not already in permanent Government Services, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Part VIII — Other Provisions

24. Canvassing:-

No recommendation either written or oral other than those required under the rules application to the post or services will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. Regulation of Other Matters:-

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and others applicable generally to Government Servant serving in correction with the affairs of the state.

26. Relaxation from the conditions of Service:-

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may in consultations with commission notwithstanding any things contained in the rules applicable to be case by order dispersed with or relax, the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

27. Savings -

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regards.

By Order,

O. P. ARYA,
Principal
Secretary

Appendix

[(See Rule 4 (3), 5 (3) and 22 (2)]

Sl No.	Name of post	No. of Posts	Pay Scale	Source of Recruitment
1	2	3	4	5
1.	**Junior Clerk** A – Divisional Office Cadre B – Circle Office Cadre 3 – Chief Engineer Office Cadre	 241 48 20	 3050-4590	As per part -3, Clause -5
2-	**Senior Clerk** A – Divisional Office Cadre B – Circle Office Cadre 3 – Chief Engineer Office Cadre	 236 48 22	 4000-6000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Junior Clerk who has completed the 5 year of service in respective cadre
3-	**Senior Assistant** A – Divisional Office Cadre B – Circle Office Cadre 3 – Chief Engineer Office Cadre	 84 37 22	 4500-7000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Senior Clerk who has completed the 10 year of service in respective cadre
4-	**Head Clerk** (For Divisional office)	 41	 5000-8000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Senior Assistant who has completed the 15 year of service in respective cadre

5-	**Office Superintendent** A – Circle Office cadre B – Chief Engineer Office Cadre	 13 7	5000-8000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Senior Assistant who has completed the 15 year of service in respective cadre
6-	**Administrative Officer** (For Chief Engineer office)	5	5500-9000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Office Superintendent of Chief Engineer cadre who has completed the 20 years.

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश

(शासनादेश सख्या 6387/84–23/सिं0–7–44(1)/82, दिनांक 11 दिसम्बर 1984 द्वारा स्वीकृत)

ड्राईंग अधिष्ठान
के
कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

(शासनादेश सख्या 202/85–23–सिं0–7–13ओ0एस0डी0आर0/50 दिनांक 25 जनवरी 1985 द्वारा स्वीकृत)

ड्राईंग अधिष्ठान
सेवा–नियमावली
1984

सख्याः 6387 / 84–23सिं0–7–44(1) 82

प्रेषक,

श्री महेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (ई–4ख अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सिंचाई अनुभाग–(7) लखनऊ दिनांकः 11 दिसम्बर 1984

विषयः– **ड्राईंग सवंर्ग के कर्मचारियों (संगणक, प्रारुपकार तथा अनुरेखक) के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपनिदेशक (सेवायें) के अर्द्धशासकीय प्त्र सख्याः–7935 / ई–4ख / 2बी–992 / 15 दिनांक 17.10.84 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ड्राईंग संवर्ग के कर्मचारियों (संगणक, प्रारुपकार तथा अनुरेखक) के कर्तव्यों का निर्धारण औपचारिक रुप से अभी तक नहीं किया गया है । आपके प्रसताव पर विचारोपरान्त उक्त कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को राज्यपाल महोदय संलग्नक के अनुसार निर्धारित करते हैं।

(2) उपरोक्त निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख ''मैनुअल आर्डर्स'' 'इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, उत्तर प्रदेश' के चैप्टर–1 के सेक्शन 3 में यथा स्थान सम्मिलित कर लिया जाय।

सलंग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(महेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव

सख्याः–6387(1) / 84–23–सिं–7, तदिनांक,

(1) प्रतिलिपि संलग्नक सहित उपनिदेशक, (सेवायें), प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(2) प्रतिलिपि संलग्नक सहित सिंचाई अनुभाग–3 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि निर्धारित कर्तवयों एवं उत्तरदायित्वों को आई0 एम0 ओ0 में सम्मिलित करा जाये।

आज्ञा से
ह0 महेश चन्द्र
संयुक्त सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान–4ख)
सिंचाई अनुभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः–जी–1082/ई–4ख/7बी–992/15/कर्तव्य/उत्तरदायित्व, दिनांकःलखनऊःजनवरी 10/1985
विषयः– ड्राईगं स्टाफ के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

शासन के प्त्रांकः–6387/84–23–सि–7–44(1)82, दिनांक 11.12.84 द्वारा सिंचाई विभाग ड्राईगं अधिष्ठान में कार्यरत संगणक/प्रारुपकार/अनुरेखक, वास्तु प्रारुपकार/मुख्य वास्तु प्रारुपकार के कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों को निर्धारित कर दिया गया है जिसकी एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
सलंग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

ह0 (तेजपाल सिंह)
उप निदेशक (सेवायें)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0वि0

पत्रांकः–1082/ई–4ख/तदिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

ह0 (तेजपाल सिंह)
उप निदेशक (सेवायें)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0वि0

पत्रांकः– 1082/ई–4ख/तदिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि उपसचिव, सिंचाई–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को श्री महेश चन्द्र संयुक्त सचिव, सिंचाई–7 के पृष्ठांकन सख्यांः–6387/84–23/सिं0–7–44(1)82, दिनांकः– 11.12.84 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे निर्धारित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को आई0एम0ओ0 में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
(2) प्रतिलिपि अध्यक्ष/महामन्त्री, इन्जीनियरिंग ड्राईंग स्टाफ एसोसिऐशन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

ह0 (तेजपाल सिंह)
उप निदेशक (सेवायें)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0वि0

अनुरेखक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. सभी प्रकार के रेखाचित्रों का अनुरेखण करना एवं इनके प्रिन्ट निकालना ।
2. भूमि सम्बन्धी मामलों के शजराओं की प्रतियाँ बनाना ।
3. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।
4. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कार्य ।
5. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।
6. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
7. कार्य के लिये कर्मचारियों को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।
8. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा अन्य सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।
9. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
10. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है ।
11. नियंत्रक अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

यांत्रिक प्रारुपकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. जल यांत्रिक सामग्री, इस्पात संरचनाओं, कार्यशालाओं, उपकरणों, ट्यूब वैल्स, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं, अन्य यांत्रिक परिकल्पनों एवं कन्स्ट्रक्शन शिडयूल एवं लक्ष आदि के रेखाचित्र बनाना, गणनाओं को सुव्यवस्थित रुप में लिखना, उनके प्रिन्ट निकलवाना तथा मूल गणनाओं, चैक प्रिन्ट, अतिरिक्त प्रिन्ट, रिकार्ड रेखाचित्र आदि के रखरखाव से सम्बन्धित सभी कार्य । अनुरेखकों एवं फैरोमेन्स के कार्यों पर नियंत्रण ।
2. यांत्रिक कार्यों से सम्बन्धित दर विश्लेषण, शिडयूल ऑफ रेट्स और प्राक्कलन तैयार करने/जाँच करने से सम्बन्धित कार्य । मशानों के अतिरिक्त कल पुर्जों, स्टील, सीमेन्ट व अन्य सामग्रियों के मांग पत्र तैयार करना ।
3. भूमि अधिकरण से अभिलेख तैयार करना । उनकी पैरवी करना तथा इनके प्राक्कलनों की स्वीकृति से सम्बन्धित रेखाचित्र, सम्बन्धित कार्य ।

4. निविदा लेख–पत्र, तुलनात्मक, तालिका, तकनीकी निर्दिष्टियों एवं अनुबन्ध पत्र तैयार करने से सम्बन्धित कार्य ।

5. कार्यादेशों एवं अनुबन्धों में दी गई विभिन्न कार्यों की मात्राओं एवं दरों का मूल प्राक्कलनों पर मिलान करना तथा उन पर नियंत्रण रखना ।

6. पम्प दक्षता रजिस्टर, परियोजना रजिस्टर, कार्य समाप्ति प्रतिवेदन, स्ट्रेटा चार्ट, पम्प ग्रहों के लम्ब छिन्नकों से सम्बन्धित कार्य ।

7. वर्षा नहर, ट्यूबवेल, नदी, जलाशय आदि के गेज एवं डिस्चार्ज रजिस्टर तथा विभिन्न स्थानों के स्प्रिंग लेविल लिखना तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव ।

8. तकनीकी पत्र व्यवहार एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियों का रखरखाव, निर्माण कार्यों व कार्याशालाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के परिलेख एवं विवरण बनाने का कार्य ।

9. ड्राईंग स्टेशनरी एवं मैथमेटिकल उपकरणों आदि का लेखा–जोखा एवं रखरखाव ।

10. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।

11. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कार्यों का सम्पादन।

12. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।

13. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

14. कार्य के लिये कर्मचारी को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।

15. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त, अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।

16. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

17. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है ।

18. नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

वास्तु प्रारुपकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. विभिन्न आकृतियों पर सरंचनाओं का वास्तुकीय रेखांकन करना तथा आरम्भिक भूमापन (इलीमेन्ट्री सर्वे) के पश्चात् अनुमाप में रेखांकन तथा अनुरेखन करना ।
2. विभिन्न संरचनाओं के परिकल्पित वास्तुकीय रेखांकन, विस्तृत रेखांकन, नये दृशा (प्रोसपेक्टिव) आदि बनाना । आंतरिक सजावट के प्रस्ताव तैयार करना तथा वास्तुकीय रेखाकनों में रंग योजना (कलर स्कीम) प्रदर्शित करना ।
3. परिकल्पित वास्तुकीय रेखाचित्रों हेतु विशिष्टयों (स्पेसिफिकेशन) तैयार करना और उन्हें चित्रों में अंकित करना ।
4. स्थल मानचित्र आदि के विकास हेतु विभिन्न प्रस्ताव तैयार करना ।
5. विद्यमान सरंचनाओं को माप लेकर रेखांकन करना, भूदृश्य आदि प्रस्तावों का रेखांकन करना तथा विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पौंधों आदि की तालिकायें आदि बनाना।
6. विभिन्न संरचनाओं के क्षेत्रफल आदि की गणना करना ।
7. रेखाचित्रों के प्रिन्ट निकलवाना तथा मूल रेखाचित्रों, प्रिन्टों, चेक प्रिन्टों, रिकार्ड रेखाचित्रों आदि के रख–रखाव से सम्बन्धित सभी कार्य करना ।
8. ड्राईंग स्टेशनरी एवं मैथमेटिकल उपकरणों आदि का लेखा–जोखा एवं रखरखाव ।
9. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।
10. मुख्य वास्तु प्रारुपकार एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त प्रबन्धकीय कार्यों का सम्पादन ।
11. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।
12. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
13. कार्य के लिये कर्मचारी को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।
14. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त, अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।
15. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
16. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है ।
17. नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

सिविल प्रारुपकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. सभी प्रकार के अभियन्त्रण कार्यों एवं कन्स्ट्रक्शन कार्यों एवं कन्स्ट्रक्शन शिडयूल एवं लक्ष आदि के रेखाचित्र बनाना, गणनाओं को सुव्यवस्थित रुप में लिखना, उनके प्रिन्ट निकलवाना तथा मूल रेखा चित्रों, मूल गणनाओं, चैक प्रिन्ट अतिरिक्त प्रिन्ट रिकार्ड रेखाचित्र आदि के रख–रखाव से सम्बन्धित सभी कार्य । अनुरेखकों एवं फेरोमेन्स के कार्यों पर नियंत्रण ।

2. सभी अभियंत्रण कार्यों से सम्बन्धित दर विश्लेषण, शिड्यूल ऑफ रेट्स और प्राक्कलन तैयार/कराने जाँच करने से सम्बन्धित सभी कार्य । अभियांत्रिकी, सामग्रियों के मांग–पत्र तैयार करना ।

3. भूमि अधिकरण से सम्बन्धित रेखाचित्र एवं अभिलेख तैयार करना, उनकी पैरवी करना–इनके प्राक्कलनों की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्य । लैंड एवं भवन रजिस्टरों का रख–रखाव ।

4. निविदा, लेखपत्र, तुलनात्मक तालिका, तकनीकी निर्दिष्टियों एवं अनुबन्ध पत्र तैयार करने से सम्बन्धित कार्य ।

5. कार्यादेशों एवं अनुबन्धों में दी गई विभिन्न कार्यों की मात्राओं एवं दरों का मूल प्राक्कलनों से मिलान करना तथा इन कार्यों पर नियंत्रण रखना ।

6. कार्य समाप्ति प्रतिवेदन, स्ट्रेटाचार्ट, ज्योलोजिकल प्रतिवेदन, नहरों व गूलों और नालियों के लांग सेक्शन से सम्बन्धित सभी कार्य ।

7. वर्षा, नहर, जलाशय आदि के गेज एवं डिस्चार्ज रजिस्टर तथा विभिन्न आवश्यक स्थानों के स्प्रिंग लेविल लिखना तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव ।

8. तकनीकी पत्र व्यवहार एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियों का रख–रखाव, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के परिलेख एवं विवरण बनाने का कार्य ।

9. ड्राईंग स्टेशनरी एवं मैथमेटिकल उपकरणों आदि का लेखा–जोखा एवं रखरखाव ।

10. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।

11. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कार्यों का सम्पादन ।

12. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।

13. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

14. कार्य के लिये कर्मचारी को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।

15. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त, अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।

16. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

17. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है ।

18. नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

मुख्य वास्तु प्रारुपकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. वास्तु प्रारुपकारों के समस्त कार्यों पर नियंत्रण ।

2. विभिन्न वास्तुकीय एवं भूद्श्य प्रस्तावों को बनाने हेतु वास्तु प्रारुपकारों का तथा वांछित प्रस्तावों के प्रतिरुप (मॉडल) बनवाने हेतु प्रतिरुपक (माडलर) का मार्ग दर्शन करना ।

3. वास्तु एवं भूद्श्यीय परिकल्प बनाने हेतु सन्दर्भित रेखाचित्रों का अध्ययन करके प्रारम्भिक प्रारुप प्रस्ताव तैयार करना ।

4. कार्यकारी वास्तुकीय एवं निर्माण की सुविधा हेतु विस्तृत वास्तुकीय रेखाचित्रों का बनाना।

5. उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, यदि आवश्यक हो तो कार्य क्षेत्रों में जाकर आवश्यक निर्देशन करना ।

6. सभी प्रकार के रेखाचित्रों एवं तकनीकी प्रतिवेदनों, कार्यालय पुस्तकालय की पुस्तकों आदि का रखरखाव तथा लेखाजोखा ।

7. ड्राईंग स्टेशनरी एवं मैथमेटिकल उपकरणों आदि का लेखा–जोखा एवं रखरखाव ।

8. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।

9. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कार्यों का सम्पादन ।

10. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।

11. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

12. कार्य के लिये कर्मचारी को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।

13. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त, अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।

14. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

15. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है

16. नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

संगणकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. प्रारुपकारों के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण ।

2. मूल परिकल्प रजिस्टरों से प्रारुपकारों द्वारा सुव्यवस्थित रुप से लिखी गई परिकल्प गणनाओं का मूल रजिस्टरों से मिलान करना ।

3. सभी प्रकार के रेखाचित्रों, परिकल्प गणनाओं, ज्योलोजिकल एवं तकनीकी प्रतिवेदनों, कार्यालय पुस्तकालय की पुस्तकों आदि का रखरखाव एवं लेखा जोखा ।

4. सभी तकनीकी विषयों पर पत्र व्यवहार एवं सम्बन्धित पत्रावलियों का रखरखाव ।

5. बजट सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन ।

6. प्राक्कलनों को तैयार करने/जाँच करने से सम्बन्धित कार्य एवं कार्यादेशों एवं अनुबन्धों में दी गई विभिन्न कार्यों की मात्राओं एवं दरों का मूल प्राक्कलनों से मिलान करना तथा इन पर नियंत्रण रखना ।

7. निविदा लेख पत्र, तुलनात्मक तालिका, तकनीकी निर्दिष्टियों एवं अनुबन्ध तैयार करने/परीक्षण करने से सम्बन्धित कार्य ।

8. ड्राईंग स्टेशनरी एवं मैथमेटिकल उपकरणों आदि का लेखा–जोखा एवं रखरखाव ।

9. उच्चन्त खाते का रखरखाव तथा सम्बन्धित हिसाब किताब ।

10. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य समस्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कार्यों का सम्पादन ।

11. कर्मचारी जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत होगा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा बताये गये कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होंगें ।

12. कर्मचारी दिये गये कर्तव्यों को निर्देशानुसार क्रियाशील रुप में करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

13. कार्य के लिये कर्मचारी को निर्देश सामान्यतः उसके द्वारा दिये जायेंगें जिस अधिकारी/कर्मचारी के नियंत्रण में वह कार्यरत होगा ।

14. कर्मचारी उसके चार्ज में दिये गये समस्त, अभिलेख, उपकरण, संयंत्र तथा सामग्री के समुचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा ।

15. वह दिये गये कार्यों को पूर्णतः शुद्ध रुप से करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

16. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग निर्माण कार्यों की एनालिसिस के आधार पर फील्ड में भी कराया जा सकता है।

17. नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपें गये अन्य शासकीय कार्य ।

क्रम संख्या–193
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03

पंजीकृत
(लाईसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2003 ई0
आश्विन 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग

संख्या–262 / नौ0–1–सिं0 (स्थापना) / 2003 देहरादून, 17 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, वैज्ञानिक संवर्ग सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''क'', ''ख'' व ''ग'' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तरांचल वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली (समूह ''क'', ''ख'' व ''ग''), 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली ''सिंचाई विभाग, उत्तरांचल की वैज्ञानिक संवर्ग (समूह ''क'', ''ख'' व ''ग'') सेवा नियमावली, 2003'' कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तरांचल सिंचाई विभाग की वैज्ञानिक संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह ''क'', ''ख'' व ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं–

जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाये;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(घ) ''समिति'' का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति से है;

(ड) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के अपने–अपने संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल की वैज्ञानिक संवर्ग (समूह ''क''' ''ख'' व ''ग'') की राज्य सेवा से है;

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट (क) में दी गई है अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

परन्तु

राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग तीन–भर्ती

5– भर्ती का स्रोत–

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(क) प्रतिरूप सहायक–

इस सेवा के पदों पर सीधी भर्ती ऐसे अभ्यर्थियों से जो नियम 8 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा जिनके नाम उत्तरांचल के विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हो, से आवेदन–पत्र आमन्त्रित कर एक चयन समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

(ख) वैज्ञानिक सहायक–

इस सेवा के,

(एक) 30 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती ऐसे अभ्यर्थियों से जो नियम 8 मे निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता रखते हो तथा जिनके नाम उत्तरांचल के विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हो, से आवेदन–पत्र आमन्त्रित कर एक चयन समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

(दो) 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे प्रतिरूप सहायकों में से, अनुपयुक्त को छोडते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ग) शोध पर्यवेक्षक–

इस सेवा के पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक सहायकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(घ) सहायक शोध अधिकारी–

(1) इस सेवा के 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी।

(2) इस सेवा के 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे शोध पर्यवेक्षकों में से, अनुपयुक्त को छोड़तें हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ड) शोध अधिकारी–

(1) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी।

(2) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे सहायक शोध अधिकारियों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

6. आरक्षण–

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7– राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक अवधि के आगे सेवा मे इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– **ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया या उसके पक्ष में जारी किया जा रहा है।**

8– शैक्षिक अर्हताएं–

(1) प्रतिरूप सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक–विज्ञान अथवा रसायन–शास्त्र विषयों में (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक–विज्ञान अथवा रसायन–शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

9– अधिमानी अर्हताएं–

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और/अथवा नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातें समान होने पर, सेवा में सीधी भर्ती के संबंध में अधिमान दिया जायेगा।

10– आयु–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को प्रतिरूप सहायक के पद हेतु 18 वर्ष एवं वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु 21 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु,

प्रतिबंध यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

परन्तु, किसी भी मामले में अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. चरित्र–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र अनिवार्यतः ऐसा होना चाहिए कि वह सरकार की सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी– **संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।**

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों अथवा ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु,

सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता–

कोई भी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु,

पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रकिया

14. रिक्तियों का निर्धारण–

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15 सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

प्रतिरूप सहायक/वैज्ञानिक सहायक–

(1) इस सेवा के पदों, यथास्थिति, की सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)	.....	अध्यक्ष
(ख) अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की)	.....	सदस्य
(ग) शोध अधिकारी	.....	सदस्य

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी, जो एक स्तर से निम्न का न हो समिति का सदस्य रहेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आंमत्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तराचंल स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हो।

(3) समिति अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और अपेक्षित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी।

(4) समिति अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग्यता क्रम में उनकी सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर हो तो, पद के लिये सामान्य उपयुक्तता के आधार पर अभ्यर्थी का नाम योग्यता क्रम में सूची में पहले रखा जायेगा। योग्यता क्रम सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(क) वैज्ञानिक सहायक/शोध पर्यवेक्षक–

(1) यथास्थिति, इस सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :–

(प) मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित अधिष्ठान) ..... अध्यक्ष

(पप) अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की) ..... सदस्य

(पपप) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) ..... सदस्य

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हो, समिति का सदस्य रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति के लिये विचार हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और योग्यता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

(4) समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, रिक्त पद पर उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी सूची में से नियुक्ति की जायेगी।

(ख) सहायक शोध अधिकारी/शोध अधिकारी–

यथास्थिति इस सेवा के पदों पर भर्ती पदोन्नति द्वारा, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित ''उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के

परामर्श से चयन द्वारा प्रोन्नति (प्रक्रिया), उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी''।

17. संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति–

मूल पदों की रिक्तियॉ उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से नियुक्त किया जायेगा :–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियॉ करेगा। सहायक शोध अधिकारी/शोध अधिकारी की नियुक्तियॉ राजकीय राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

(2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी है, वहॉ नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और उपर्युक्त नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हे उसमें जिस स्थान पर उनका नाम हो, यथास्थिति, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, चयन में निर्धारित अथवा यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

19. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गई है।

परन्तु

अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा उसका कार्य अन्यथा संतोषजनक नहीं रहा हो तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है।

20. स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, यथास्थिति, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये :

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा

उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता–

सेवा में मूल से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जोयगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22. वेतनमान–

(1) सेवा के किसी संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट (क) में दिये गये हैं।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय–समय में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

परन्तु,

यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू होते हैं।

26. सेवा शर्तों में शिथिलता–

जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु

जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहॉ उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा।

27. व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों या व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

(नियम–4 का भाग–2 तथा नियम–22 का भाग–7 देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	प्रतिरूप सहायक	3050–4590	
2	वैज्ञानिक सहायक	4500–7000	
3	शोध पर्यवेक्षक	5000–8000	
4	सहायक शोध अधिकारी	8000–13500	
5	शोध अधिकारी	10000–15200	

आज्ञा से
एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 262/1X-1-Sin .12003, dated October 17, 2003 for general information;

No. 262/IX-1-Sin./2003 Dated Dehradun, October 17, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article]09 of the Constitution and in supersession of all existing rules & orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific cadre :--

UTTARANCHAL SERVICE OF SCIENTIFIC CADRE (IRRIGATION DEPARTMENT) (GROUP "A", "B" & "C") RULES, 2003

Part I· General

1. Short title and Commencement

(1) These rules may be called the "Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C"), Rules, 2003",

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Status of the Service

The Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific Cadre is a State Service, comprising Group "A", "B" & "C" posts.

3. Definitions

In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context~-

(a) "Appointing Authority" means an officer duly authorised by the competent authority to make such an appointment;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;

(d) "Committee" means such a Selection Committee formed by the competent authority;

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(g) "Governor'-' means the Governor of Uttaranchal;

(h) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post, in the respective cadre of the Service;

(i) "Service" means the Uttaranchal Service of Scientific Cadre is a State Service comprising group "A", "B" & "e" posts of Irrigation Department;

(j) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in. accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(k) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

.

Part II-- Cadre

4. Cadre of the Service

The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall be such as specified in Appendix-A or may be determined by the Government from time to time.

Provided that,
The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

Part III-- Recruitment

5. Source or Recruitment

The Recruitment to the post of the Service shall be made from the following sources:--

A. Model Assistant

Direct recruitment through a selection committee by inviting applications from such candidates whose names are enrolled in various offices of employment exchange in Uttaranchal and having the Academic Qualifications as specified in Rule-8.

B. Scientific Assistant

(1) Recruitment to 30% posts of the service shall be made directly through a Selection committee by inviting applications from such candidates whose names are enrolled in various offices of employment exchange in Uttaranchal and having the Academic Qualifications as specified in Rule-8.

(2) Recruitment to 70% posts of the service shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Model Assistants who have completed the continuous service of 5 years on the first July of the year of recruitment.

C. Research Supervisor

Recruitment to the post of Research Supervisor shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Scientific Assistants who have completed the continuous service of 5 years on the first July of the year of recruitment.

D. Assistant Research Officer

(1) Recruitment to 25% posts of Assistant Research Officer shall be made by transfer of Assistant Engineers working in the department.

(2) Recruitment to 75% posts of Assistant Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Research supervisors who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.

E. Research Officer

(1) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by transfer of Executive Engineers working in the department.

(2) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Assistant Research Officers who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.

6. Reservation

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of Government in force at the time of the recruitment.

Part IV-- Qualifications

7. Nationality

A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or,

(c) A person of Indian origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any or the East African c0unlries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will 'also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such

a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualifications

(1) A candidate for direct recruitment to the post of Model Assistant must possess Academic qualifications of (10+2) passed or equivalent from a recognized institution in Mathematics with Physics or Chemistry.

(2) A candidate for direct recruitment to the post of Scientific Assistant must possess Academic qualification of Bachelor's Degree or equivalent from a recognized institution in Mathematics with Physics or Chemistry.

9. Preferential Qualifications

A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate on National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years for the post of Model Assistant and 21 years for the post of Scientific Assistant and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year.

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall b~ greater by such number of years as may be specified.

Provided that in no case the upper age limit shall be more than 45 years.

11. Character

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. It shall be the duty of the Appointing authority to satisfy himself about the character of the candidate.

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to submit fitness certificate from Chief Medical Officer of the District under Principal Rule-1 0 of the Financial Hand Book V of 2 Part 2 to 4.

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V--Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies

The appointing authority shall determine and inform the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other categories under Rule 6.

15. Procedure for Direct Recruitment

(1) In order to fill in the vacancies of, as the case may be, Model Assistant/Scientific Assistant under the Service, the Appointing Authority shall constitute a committee as follows :--

(A) Superintending Engineer (Personnel) ……. Chairman

(B) Superintending Engineer (I.R.I., Roorkee) …….. Member

(C) Research Officer …….. Member

If any of the above does not belong to Scheduled Caste/Tribe, then the Appointing Authority shall nominate a member of such community, who is not below by one rank.

(2) For direct recruitment the Chairman of the Committee shall invite applications, by publishing the advertisement in the newspapers, from such candidates whose names are enrolled in the offices of District Employment Exchange of Uttaranchal.

(3) The Committee shall scrutinise these applications and call the candidates for interview who fulfill the required qualifications.

(4) The Committee shall prepare a list in the order of merit according to the marks obtained by the candidates in interview. In case of two or more candidates obtaining equal marks in total, the name of the candidate shall be kept at higher merit in the list according to their general suitability for the number of candidates in the merit list shall be excess but not more than 25% of the vacancies. The list shall be forwarded to the Appointing Authority.

16. Procedure for Recruitment by Promotion

(A) Scientific Assistant/Research Supervisor

(1) In order to fill in the vacancies of, as the case may be, Model Assistant/Scientific Assistant under the Service, the Appointing Authority shall constitute a Committee as follows:-

{A) Chief Engineer of Concerned to Establishment	….	Chairman
(B) Superintending Engineer (I.R.I., Roorkee)	….	Member
(C) Superintending Engineer (Personnel)	….	Member

If any of the above does not belong to Scheduled Caste/Tribe, then the Appointing Authority shall nominate a member of such community, who is not below by one rank.

(2) The Appointing Authority shall prepare a list according to the seniority of the candidates and submit it, along with the character rolls and such other documents which are considered necessary, to the Selection Committee for considering the promotion.

(3) The Committee shall consider the names according to the documents submitted under Sub-Rule (2) and shall select the candidates on the basis of merit, Subject to reject unfit.

(4) The Committee shall prepare a list of the selected candidates in accordance with the seniority and submit to the Appointing Authority.

(5) Appointing Authority shall, as the case may be, recruit the candidate from the list prepared in Sub-Rule (4), to the vacant post.

(B) Assistant Research Officer/Research Officer

As the case may be, the recruitment by promotion to the posts of this service, shall be made on the basis of seniority, subject to reject unfit, in accordance with "Consultation to Uttaranchal Public Service Commission for promotion by selection (procedure) Uttar Pradesh Service Rules, 1970", as amended from time to time.

17. Combined Selection List

If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

The persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding cadre having lower pay scale.

Part VI-Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. Appointment

On the availability of vacancies for substantive post the appointing authority shall appoint the candidates in the following manner :--

(1) The appointing authority shall make the appointment of the candidates in the same order as their names appear in the list prepared, as the case may be, under Rule 15, 16 or 17, subject to conditions of Sub-Rule (2). The recruitments to the posts of Assistant Research Officer/Research Officer shall be published in Government Gazette.

(2) Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17 above.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as it stood in the cadre from which they are promoted, as the case may be. If the

appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 17 above.

19. Probation

(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise not given satisfaction, he may be removed to substantive post, if any, and if he is not holding a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is removed or whose service is dispensed with under sub-rule (3) above, shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow to include the period of continuous officiating or temporary service on any post of the cadre or equivalent or higher post for calculating the probation period.

20. Confirmation

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified; and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servant Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part VII -Pay etc.

22. Scales of Pay

(1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay prevailing at the beginning of these rules are shown in Appendix (A).

23. Pay during Probation

Notwithstanding any provision in the Rules to the contrary, a person on probation; if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale after he has completed one year of satisfactory service.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Part VIII ·Other Provisions

24. Canvassing

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. Regulation of Other Matters

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

26. Relaxation from the Conditions of Service

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service that causes undue hardship in' any particular case, it may in consultations with Commission, notwithstanding anything contained in the rules applicable to be case, by order dispensed with or relax. The requirement of that rule to such extent and Subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed is consultation with the commission that commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

27. Savings

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Sl. No.	Name of Post	Pay scale	No. of Posts
1	2	3	4
1	Model Assistant	3050-4590	
2	Scientific Assistant	4500-7000	
3	Research Supervisor	5000-8000	
4	Assistant Research Officer	8000-13500	
5	Research Officer	10000-15200	

-Sd-
M. RAMCHANDRAN,
Principal Secretary.

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड(क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोम्रवार, 14 जून, 2004 ई0
ज्येष्ठ 24, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–880 / XXX(2) / 2004–55(39) / 2004
देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तरांचल सरकार के विभिन्न भागों में समूह ''घ'' की कतिपय श्रेणी के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004
भाग एक–सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–**(i)** यह नियमावली समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **सेवा नियमावली का लागू होना– (i)** इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट समूह ''घ'' के सभी पदों पर लागू होगी।
(ii) कोई विशेष पद गैर–तकनीकी पद है या नहीं ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

3. **इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव**–इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बोधित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में :–
(i) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों,
(ii) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपबन्ध अभिभावी होंगें यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् बनाये जाये।

4. **परिभाषायें–** जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पद के संबंध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) "संविधान का तात्पर्य" भारत के संविधान से है।

(घ) "अधिष्ठान" का तात्पर्य समूह "घ" के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हो।

(ड.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है।

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियन्त्रण में सभी कार्यालयों से है किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियन्त्रण में अधिष्ठान नहीं है।

(झ) " छटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है :–
(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिये, नियोजित था।
(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और
(तीन) जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियांजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) " भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या– किसी विशेष विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पद की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।
परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते है या राज्यपाल उसे आरक्षित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग तीन–भर्ती

6. भर्ती का स्त्रोत– समूह "ग" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्त्रोत निम्नलिखित होगाः–

(क)	चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	सीधी भर्ती द्वारा
(ख)	चपरासी–जमादार	स्थायी चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा
(ग)	दफ्तरी/जिल्द–साज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	जहां चपरासियों,

		संदेशवाहकों व फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(घ)	फर्राश–जमादार	स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(ड.)	सफाईकार–जमादार	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा
(च)	प्रधान माली	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर किसी पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पात्र को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग चार–अर्हता

7. आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता– समूह ''घ'' के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्निया, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) को हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. **आयु–** समूह ''घ'' के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होंगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10. **शैक्षिक अर्हतायें–(1)** चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह ''घ'' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साईकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्तें महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. **भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए छूट**– भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके अश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निर्मित प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12. **चरित्र**– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्रधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिकता अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

13. **वैवाहिक प्रास्थिति**– अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

14. **शारीरिक स्वस्थता**– किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो

जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फन्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग 3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पॉच–भर्ती की प्रकिया

15. चयन समिति का गठन– सीधी भर्ती के एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें।

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति का न हो :

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों, तो ऐसा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

16. भर्ती प्रतिवर्ष की जायेगी – इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन, प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जाये।

17. चयन की प्रकिया– **(1)** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन–पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति अधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हों) दोनों के नाम प्राप्त हो जायें तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिये निम्नलिखित रीति से अंक देगी :–

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये .. .. .. 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये .. .. .. 5 अंक

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिया जाने वाला अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत ज्यादा से अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगें।

18. सामान्य सूची– जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाये तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हे एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और इसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधी के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रकिया – (1) सभी पदो के संबंध में पदोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होगें, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति– **(1)** मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची से नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्ति करेंगें।

21– **परिवीक्षा–** (1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा–अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है :

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जायेगी :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और

आचरण सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23– ज्येष्ठता– (1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता यहीं होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारों का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग 7 वेतन इत्यादि

24–वेतनमान – (1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान नीचे दिये गये है।

पद का नाम	**वेतनमान**
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	2550–55–2660–60–3200
(ख) चपरासी–जमादार **(ग)** दफ्तरी / जिल्द–साज / साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर **(घ)** फर्राश–जमादार **(ड)** सफाईकार–जमादार **(ण)** प्रधान माली	2610–60–3150–65–3540

25. परिवीक्षा–अवधि में वेतन– (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकुल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकर बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब जक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

26– पक्ष समर्थनः– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

27 अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालय में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, या उसे शिथिल कर सकती है उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति कर सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
नृप सिंह नपलव्याल, प्रमुख
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–329/XXX(2)/2007
देहरादून, 05 जुलाई, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007

भाग एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली समूह ''घ''कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 5 व नियम 21 (2) का प्रतिस्थापन–

समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
1. **नियम 5 सेवा का संवर्ग** किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह ''घ'' के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये : परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे छोड़ सकते है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।	1. **नियम 5 सेवा का संवर्ग** किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह ''घ'' के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये : परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे छोड़ सकते है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। परन्तु यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है जो आवश्यक समझे जाये।
2. नियम 21(2) परिवीक्षा यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	**2. नियम 21(2) परिवीक्षा** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान और अन्त में या किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3. मूल नियमावली के अंग्रेजी रूपान्तर में नियम 9, नियम 15 उपनियम (3) एवं नियम 20 उपनियम (1) के कतिपय पंक्ति एवं शब्दों को निम्नवत् बढ़ाया जाये :–

(i) नियम 9 की पंक्ति में :

"must not have attained the age of 35 years" के स्थान पर "must not have attained the age of more than 35 years"

(ii) नियम 15 उपनियम (3)

"An office" के स्थान पर "An officer".

(iii) नियम 20 उपनियम (1)

''नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में'' के स्थान पर ''नियम 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में''

आज्ञा से
(डी0के0 कोटिया)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या :– 329/XXX(2)/2007
देहरादून, दिनांक : 05 जुलाई, 2007

दिनांक : 05 जुलाई, 2007 को प्रख्यापित समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित की कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

In Pursuance of the Provisions of Clause (3) of Article 348 to the constitution, the Uttaranchal Governor is pleased to order the Publication of the following English translation of notification no. 880/xxx(2)/2004-55(39)/2004, dated June 14, 2004

880/xxx(2)/2004-55(39)/2004
Dated Dehradun' June 14, 2004

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders of the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulation recruitment to certain categories of Group 'D' posts and the conditions of service of the persons appointed to such posts in the various departments of the Government of uttaranchal:-

GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE RULES, 2004
PART – I
General

1. Shot title and commencement – (i) These rules may be called, the Group 'D' Employees Service Rules, 2004.
   (ii) They shall come into force atonce.

2. Application of these rules :- (i) These rules shall apply to all Group ' D' posts referred to in Rule 6 in all the subordinate offices as defined in clause (h) of Rule 4.

3. Overriding effect of these rules :- In the event of any inconsistence in between these rules and a specific rule or rules pertaining or any of the aforesaid posts in any department –
   (i) The provision, contained in the specific rules shall prevail in case they ate made after the commencement of these rules.
   (ii) The provisions, contained in the specific rules shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

4. Definitions – In these rules, unless the context otherwise require-
   (i) 'Appointing Authority' means the authority specified in a particular department to the appointing authority in regard go any category or categories of posts to which these rules apply.

(ii) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(iii) 'Constitution' means the Constitution of India;

(iv) 'Establishment' means the Group 'D' establishment on which the posts are borne.

In Pursuance of the Provisions of Clause (3) of Article 348 to the constitution, the Uttaranchal Governor is pleased to order the Publication of the following English translation of notification no. 880/xxx(2)/2004-55(39)/2004, dated June 14, 2004

Government of uttarakahand
Personnel Section-2
No 329/xxx(2)/2007
Dated Dehradun, 05 July, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Group 'D' Employees Service Rules, 2004 :-

GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE (AMENDENT) RULES, 2007

1. Short title and commencement –

(1) These rules may be called the Group 'D' Employment Service (Amendment) Rules, 2007.

(2) they shall come into force at once.

2. Substitution of rule 5 and Sub rule (2) of rule 21

In the Group 'D' Employees Service Rules, 20047 (herein afer referred to as the principal rules) for the present rules set out in column-1 below, the rules as set oty in co,umn-2 shall by substituted:-

Column-1	Column-2
(Existing rules)	**(Rules as hereby substituted)**
1. Rule 5. Cadre of Service The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall by as	1**. Rule 5. Cadre of Service** The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall be such as may

such as may be determined by the Government from time to time. Provided that the appointing authority may leave unfilled or th3 Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation.	be determined by the Government from time to time. Provided that the appointing authority may leave unfilled to the Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation. Provided further that the Administrative Department of the Government may in Consultation with the personnel Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts in any establishment form time to time as may be deemed necessary.
2. Rule 21(2) Probation If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to gave satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he dies not hold a lien on any post, his service may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case	**2. Rule 21(2) Probation** If, during or at the end of the period of probation to he extended period of probation or at any time it appears to ht appointing authority that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to gave satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he dies not hold a lien on any post, his service may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

3. In the English version of the principal rule 9, Sub rule (3) of rule 15, sub rule (1) of rule 20, the following line and word shall be read as follows-

(i) **<u>In rule 9</u>**

''must not have attained the age of 35 years'' as 'must not have attained the age of more than 35 years

(ii) **<u>Rule 15 sun rule(3)</u>**

''An Office'' as ''An Officer''

(iii) **<u>Rule 20 sub rule(1)</u>**

''list of candidates prepared under rule 21 or rule 22'' as '' list of candidates prepared under rule 18 or rule 19''

By order
D.K. Kotia
Secretary

अवकाश नियमों का सारांश

सरकारी सेवकों को अनमुन्य विभिन्न प्रकार के अवकाशों का उल्लेख मुख्यतः मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) 81 से 87 तक में तथा सहायक नियम 157–ए, फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

(1) अर्जित अवकाश (Earned Leave)

मूल नियम 81–B(1) तथा सहायक नियम 157–A (1) एवं विज्ञप्ति संख्या सा–4–1071/दस, दिनांक 21.12.92 तथा सा–4/1072/दस दिनांक 21.12.92

यह अवकाश स्थायी तथा अस्थायी सरकारी सेवाकों को 1 जनवरी से आरम्भ होने वाली छमाही में 16 दिन तथा 1 जुलाई से आरम्भ होने वाली छमाही में 15 दिन अर्थात पूरे वर्ष में 31 दिन का पूरे वेतन पर अनुमन्य होगा। दिनांक 01.07.99 से कुल 300 दिन तक का अवकाश खाते में जमा हो सकता है। (शा0आदेश संख्या सा–4–3927/दस, दिनांक 01.07.99)

यदि कोई सरकारी सेवक दीर्घावकाश (Vacation) का उपभोग करता है तो उसके पूरे कैलेण्डर वर्ष में केवल एक दिन का अर्जित अवकाश देय होगा। यदि 15 दिन से अधिक का Vacation का उपभोग नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि उसने उस वर्ष उसका उपभोग नहीं किया। यदि पूरा वैकेशन उपभोग नहीं किया जाता तो उसी अनुपात में अर्जित अवकाश 31 दिन से घटाया जायेगा।

यदि कोई किसी माह के बीच में पहले पहल सेवा में नियुक्त होता है तो उस छमाही में प्रत्येक पूरे माह की सेवा हेतु 2½ (ढाई) दिन का अवकाश अर्जित करेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति 10 मार्च, 2002 को नियुक्त होता है तो पूरे–पूरे तीन माह अप्रैल, मई तथा जून 2002 के लिए ढाई दिन प्रति माह की दर से कुल 7½ (साढ़े सात) दिन अर्थात पूर्णांकित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश इस छमाही में 01.07.2002 को देय होगा। यदि 1 मार्च को नियुक्त हो तो पूरे 4 माह की सेवा के आधार पर उसे 2½ x 4 = 10 दिन का अर्जित अवकाश देय होगा।

इसी प्रकार से यदि कोई किसी छमाही में सेवा निवृत्त अथवा दिवंगत हो जाता है तो उस छमाही में प्रत्येक पूरे माह के लिए 2½(ढाई) दिन प्रति माह की दर से अवकाश अर्जित करेगा। जैसे कि यदि कोई 31.03.2002 को सेवानिवृत्त हो

जाता है तो 1 जनवरी 2002 को उसके खाते में केवल 8 दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा और न कि 16 दिन। यदि किसी का देहान्त 4 मार्च 2002 को हो जाता है तो उसकी जनवरी तथा फरवरी 2002 की सेवा के आधार पर 2½ x 2=5 दिन का अवकाश जमा किया जायेगा।

एक बार में भारत के अन्दर कुल 120 दिन का अर्जित अवकाश लगातार स्वीकृत किया जा सकता है तथा भारत के बाहर कुल 180 दिन का। यदि Vacation का उपभोग करता है तो उसको जोड़कर उसकी गणना की जायेगी।

Vacation से वापस आने के पश्चात् तीन माह के अन्दर सरकारी सेवक को सामान्यतया पुनः अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं करना चाहिए, यदि दीर्घावकाश तथा उसके साथ किया गया अर्जित अवकाश यदि कोई हो तो बाद में मांगे गये अवकाश को मिलाकर एक बार में अनुमन्य A(3)। अन्य प्रयोजनों हेतु लिये गये अवकाश के मामले में यह सीमा 270 दिन तक हो सकती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीशों एवं सिविल एवं सत्र न्यायाधीशों के मामले में दीर्घावकाश (Vacation) को छुट्टी माना जायेगा तथा उसको अवकाश के पूर्व अथवा पश्चात् में केवल एक ओर संयोजित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। (सहायक नियम 42–A)।

शा0आदेश सं0 सा–4–जी0 आई0–45/दस–88–201/87 दि0 19.01.89

अवकाशों के पूर्व तथा पश्चात दोनों ओर पड़ने वाले रविवारों एवं राजपत्रित छुट्टियों, द्वितीय शनिवार तथा निर्बन्धित छुट्टियों (Restricted Holidays) को संयोजित (Prefix & Suffix) करने की अनुमति अवकाश स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है (सहायक नियम 38 से 41 तक)।

यदि कोई सरकारी सेवक किसी माह में बिना वेतन के आसाधारण अवकाश पर रहता है तो उसको 1/10 (दसवां भाग) आगे की छमाही में जमा होने वाले अवकाश से घटा दिया जायेगा। जैसे कि यदि कोई कर्मचारी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2002 तक बिना वेतन के अवकाश पर रहता है, तो 1 जुलाई को जमा होने वाले 15 दिन के अर्जित अवकाश से 30 का दसवां अंश अर्थात 3 दिन घटाकर केवल 12 दिन का

अर्जित अवकाश उसके खाते में जमा किया जायेगा।

अर्जित अवकाश का नगदीकरण शा0 आदेश सं0 सा–4–393/दस दि0 01.07.99 तथा सा–4–4438/दस–2000–203/86 दिनांक 03.07.2000

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के खाते में जमा अर्जित अवकाश का 300 दिन तक की सीमा तक का नगदीकरण स्वीकृत किया जा सकता है। 300 दिन तक की सुविधा 01.07.99 से प्रदान की गई है। इसके पूर्व 240 दिन थी। सेवाकाल में देहान्त पर उसके खाते में उस तिथि तक जमा अर्जित अवकाश का नगदीकरण स्वीकृत किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारियों को भी उसके विभागाध्यक्षों द्वारा उपरोक्त नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती हैं।

(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)

मूल नियम 81&B (2)

मूल नियम 81-B(2) के स्थायी सरकारी सेवकों को पूर्ण सेवा में कुल 12 (बारह) माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पूरे वेतन पर स्वीकृत किया जा सकता है। इसकी समाप्ति के पश्चात, स्थायी सरकारी सेवकों को 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश अर्द्ध वेतन पर स्वीकृत किया जा सकता है। यदि मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।

अस्थायी सरकारी सेवकों को जिनकी नियमित नियुक्ति हो, तीन वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होने पर, 12 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पूरे वेतन पर देय हो जाता है, यदि उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो, उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही न चल रही हो तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, वे संवर्गीय पद पर नियुक्त हों तथा संविदा (Contract) पर नियुक्त न हों।

स्हायक नियम 157-A(2)

तीन वर्ष से कम सेवा वाले अस्थायी सरकारी सेवकों को केवल 4 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पूरे वेतन पर स्वीकृत किया जा सकता है।

स्हायक नियम 89 से 93 तक शा0आदेश सं0 सा–4–1752/दस –2000(2)/77, दि0 20.06.78

राजपत्रित अधिकारियों को 3 माह तक चिकित्सा अवकाश किसी एक प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0 अथवा सी0एम0एस0 या मेडिकल कालेज के प्रोफेसर या रीडर) के प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक के लिए मेडिकल बोर्ड के प्रमाण बोर्ड के प्रमाण पत्र की

आवश्यकता होगी।

सहायक नियम 95 तथा 96

अराजपत्रित कर्मचारियों को एक माह तक का चिकित्सा अवकाश किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक के लिए जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्वास्थ्य परीक्षा हेतु संदर्भित कर देना चाहिए।

चिकित्सा अवकाश तभी स्वीकृत करना चाहिए जब सरकारी सेवक के स्वस्थ हो कर डयूटी पर वापस आने की संभावना हो(सहायक नियम 87)। किन्तु सरकारी सेवकों को असुविधा न हो, इस अभिप्राय से शासन ने विज्ञप्ति संख्या सा–4–525/दस दि0 19.08.96 तथा सा–4–526/दस, दिनांक 19.08.96 द्वारा मूल नियम 81-B(2) तथा सहायक नियम 157-A(2) में इस आशय का संशोधन कर दिया कि यदि नियमानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो 60 (साठ) दिन तक का चिकित्सा अवकाश तुरन्त स्वीकृत कर देना चाहिए, चाहें बाद में देहान्त की क्यों न हो जाये।

(3) निजी कार्य पर अवकाश (अर्द्ध वेतन पर)

Leave on Private Affairs on Half Pay)

मूल नियम 81-B(3)

मूल नियम 81-B (3) के अनुसार यह अवकाश स्थायी सरकारी सेवकों को कुल सेवा में 365 दिन तक का, अर्द्धवेतन पर स्वीकृति किया जा सकता है। यह अवकाश भी अब अर्जित अवकाश की भांति, 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन अवकाश खाते में जमा किया जाता हैं

भारत के अन्दर एक बार में यह 90 दिन तक का तथा भारत के बाहर 180 दिन तक का स्वीकृत किया जा सकता हैं

मूल नियम 157-A(3)

अस्थायी सरकारी सेवकों को पूरी अस्थायी सेवा में कुल 120 दिन तक का देय होगा। दो वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात यह अनुमन्य होगा तथा एक बार में कुल 60 दिन तक का स्वीकृत किया जा सकता है तथा 60 दिन तक से अधिक का जमा भी नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अवकाश तभी स्वीकृत किया जाना चाहिए जब सरकारी सेवक की डयूटी पर वापस आने की सम्भावना हो।

मूल नियम 81-B(4)

(4) राशिकृत अवकाश (Commuted Leave)

तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु, केवल स्थायी सरकारी सेवकों को, भारत के अन्दर एक बार में कुल 45 दिन तक का स्वीकृत किया जा सकता है तथा भारत के बाहर 90 दिन तक का तथा उपरोक्त की क्रमशः दुगनी अवधियां अर्थात 90 दिन तथा 180 दिन, अर्द्ध वेतन पर देय निजी कार्य के अवकाश से घटा दी जायेगी क्योंकि यह अवकाश पूरे वेतन पर देय होता है।

मूल नियम 83 तथा 83-A तथा शा0आदेश सं0 जी–1–914/दस, 201/80, दि0 15.04.82 तथा मूल नियम 9(6) (B) (IV)

(5) विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)

उचित प्रकार से डयूटी करते समय चोट पहुंचाये जाने अथवा संयोगवश चोट लग जाने के कारण, यह अवकाश स्थायी तथा अस्थायी सेवकों को निम्न प्रकार से देय होते हैं :–

(1) प्रथम 6 माह डयूटी माना जायेगा।

(2) तत्पश्चात् 119 दिन पूरे वेतन पर विशेष अवकाश

(3) तत्पश्चात् 14 माह एक दिन अर्द्ध वेतन पर अवकाश

कुल 24 माह

यह अवकाश मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर शासन द्वारा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(6) बिना वेतन का असाधारण अवकाश

(Extra–Orindary Leave without Pay)

मूल नियम 81-B (5), सपठित मूल नियम 18 एवं 85 के अनुसार स्थायी सरकारी सेवकों को एक बार में लगातार 5 (पांच) वर्ष तक का बिना वेतन का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि अन्य प्रकार के अवकाशों के अभिक्रम में लिया जाये तो भी समस्त प्रकार के अवकाशों को मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा मूल नियम 18 के अन्तर्गत इससे अधिक का अवकाश भी एक बार में लगातार स्वीकृत किया जा सकता है।

अस्थायी कर्मचारियों को बिना वेतन का असाधारण अवकाश निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है :–

(1) तीन वर्ष से कम निरन्तर सेवा वालों को एक समय में

केवल 3 माह।

(2) तीन वर्ष या अधिक सेवा वालों को 6 माह, यदि यह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जायेगा।

(3) तपेदिक (T.B.) तथा कुष्ठरोग के उपचार हेतु एक वर्ष की अनवरत सेवा वालों को 18 (अठ्ठारह) माह, यदि सरकारी अस्पताल, सेनीटोरियम या कुष्ठ आश्रम में इलाज करवा रहा हो अथवा घर पर सी0एम0ओ0 से इलाज करवा रहा हो।

(4) 3 वर्ष या अधिक की अनवरत सेवा वालों को भारत में अथवा बाहर जनहित में उच्च अध्ययन हेतु एक बार में 24 माह का तथा पूर्ण अस्थायी सेवा में कुल 36 माह तक का बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उससे इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरवा लेना चाहिए कि अध्ययन के पश्चात् वह कम से कम 3 वर्ष तक शासन की सेवा करेगा अन्यथा उससे 10 माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर धनराशि की वसूली की जायेगीं।

मूल निमय 84 सपठित सहायक नियम 146-A वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2, भाग 2–4

(7) अध्ययन अवकाश (Study Leave)

स्थायी सरकारी सेवकों को जिन्हानें 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा जिनको सेवा निवृत्त होने में 3 वर्ष या इसे अधिक शेष हों, को वैज्ञानिक तकनीकी अध्ययन हेतु यह अवकाश पूरी सेवा में 24 माह का, अर्द्ध वेतन पर स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु एक बार में 12 माह से अधिक का नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। विशेष मामले में यह अन्य अवकाशों से मिलाकर 28 माह तक का पूर्ण सेवा में हो सकता है ।

सहायक नियम 155 –156

(8) – (चिकित्सालय अवकाश) (Hospital Leave)

सहायक नियम 155–156 के अनुसार यह अवकाश ऐसे अन्य वेतन मान वाले कर्मचारियों को जिनकी डयूटी में जान का खतरा हो, जैसे कि समस्त विभागों के सुरक्षा गार्ड, जेल वार्डर, वन रक्षक, जहरीली गैसों में काम करने वाले तथा सरकारी मुद्रणालयों में काम करने वालों को देय होता है जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 में किया गया है तथा जिनका वेतन 1–1–1996 से स्वीकृत वेतनमानों में रू0 1180/– प्रति माह से अधिक न हो।

एक बार में यह 6 माह तक का मिल सकता है। प्रथम 3

माह पूरे वेतन तथा शेष अर्द्ध वेतन पर होगी।

शा0आदेश सं0 4–394/दस दि0 0406.99

(9) प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)

मूल नियम 101 तथा सहायक नियम 153–154 के अन्तर्गत स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की महिला कर्मचारियों को डेलिवरी (बच्चा होने) की दशा में अवकाश पर जाने की तिथि से कुल 135 (एक सौ पैतींस) दिन का देय होगा। यह अवकाश अब पूर्ण सेवा में केवल दो बार अनुमन्य होगा तथा पूरे वेतन पर मिलेगा। दो प्रसूति अवकाशों के मध्य दो वर्षो का अन्तर होना चाहिए। इसके साथ अन्य प्रकार का अवकाश भी लिया जा सकता है।

गर्भ स्राव या गर्भपात की दशा में यह 6 सप्ताह का पूरे वेतन पर देय होगा। सेवाकाल में इस प्रयोजन हेतु असीमित बार स्वीकृत किया जा सकता है।

प्रसूति अवकाश के लिए जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य अधीक्षिका का प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

Sr 202 F.H.B. Vol. II Parts II to IV

(10) संग अवरोघ अवकाश (Quarantine Leave)

सहायक नियम 202, वित्तीय निमय संग्रह, खण्ड–2, भाग 2–4 के अनुसार, किसी सरकारी सेवक के परिवार में उक्त नियम में उल्लिखित छुआ छूत की बीमारी जैसे कि चेचक, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, मेनिन्जिाईटिस आदि हो जाये अथवा उसको प्लेग कैम्प में रोक लिया जाये, तो उसे यह अवकाश जिला स्वास्थ्य अधिकारी की संस्तुति के अनुसार अधिकतम 21 दिन तक का दिया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में 30 दिन तक का 1 माह पूरे वेतन पर देय होता है तथा डयूटी माना जाता हैं

Sr 201 तथा पैरा 1081 से 1088 तक M.G.O.

(11) आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

यह अवकाश पूरे कैलेण्डर वर्ष में 14 दिन तक का दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ दिन (A few days) का विशेष आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। यह डयूटी माना जाता है। इसके बीच में तथा आगे पीछे पड़ने वाले रविवार तथा अन्य छुट्टियों को नहीं जोड़ा जाता। यह एक बार में 10 दिन तक का लिया जा सकता है। (पैरा 1082,

M.G.O.) मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्राप्त करना चाहिए तथा बाहर का पता भी सूचित करना चाहिए। (पैरा 1083)

परिवार कल्याण हेतु नसबन्दी आपरेशन तथा लूप लगवाने हेतु (महिला कर्मचारियों को) विशेष आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

कार्मिक अनुभाग 4 का G.O. No. 08/41-4 दि0 20.05.83 नियुक्ति (ख) विभाग का G.O. No. बी–820/।।– B दि0 27.05.55

मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/महामंत्री को 7 दिन तथा अन्य को 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के रूप में चयन होने पर 30 (तीस) दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

पैरा 1089 M.G.O. तथा नियुक्ति 3 अनुभाग G.O. संख्या 3/2/72 दि0 26.07.73

(12) प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave)

यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी को रविवार आदि छुट्टियों में कार्यालय बुलाया जाता है तो इसके स्थान पर उसे किसी अन्य दिन प्रतिकर अवकाश दिया जा सकता है। एक माह में दो दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए।

मूल नियम 9(6) (क) (iii)

(13) – पागल कुत्ता आदि काटने पर ऐन्टीरैबिक ट्रीटमेंट अवकाश

पागल कुत्ता आदि काटने पर ऐन्टीरैबिक ट्रीटमेंट हेतु, जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्तुति जो अवधि उपचार हेतु आवश्यक हो, उसे डयूटी माना जायेगा।

अवकाश से सम्बन्धित अन्य शर्तें

1. मूल नियम 66, सपठित सहायक नियम 35–36 वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2–4 के अनुसार किसी सरकारी सेवक को अवकाश उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है अथवा जिसको इस हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन (Delegation) कर दिया गया हो। प्रतिनिधायन के लिए कृपया देखें विवरण पत्र संख्या IV भाग IV, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड भाग II से IV तक।
2. अवकाशों के आगे पीछे पड़ने वाले रविवारों तथा अन्य छुट्टियों को संयोजित करने की अनुमति स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है।
3. अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। सक्षम अध्किारी जनहित में अवकाश अस्वीकृत कर सकता है।

4. चिकित्सा अवकाश से वापस आने पर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. निलम्बित कर्मचारियों को अवकाश नहीं स्वीकृत करना चाहिए।

6. अनाधिकृत रूप से डयूटी से अनुपस्थिति हो जाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग 2 द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किये गये :–

   1. यदि कोई कर्मचारी बिना प्रार्थना पत्र के अनुपस्थित हो जाता है, तो एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का नोटिस भेजना चाहिए कि क्यों न उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। यदि वह 15 दिन के अन्दर कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए।
   2. बिना अवकाश के 5 वर्षों से अधिक अनुपस्थित रहने पर बिना नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति न प्रदान की जाये।

7. अवकाश नियमों के अन्तर्गत देय किसी एक प्रकार के अवकाशों के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश लिया जा सकता है। जैसे कि अंतिम अवकाश के पश्चात चिकित्सा अवकाश अथवा अर्द्धवेतन का निजी कार्य अवकाश आदि।

APPOINTMENT (B) DEPARTMENT
MISCELLANEOUS
July 21, 1956

No. 2867/II-B-118-54 – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh makes the following rules to regulate the conduct* of government servants employed in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT RULES, 1956

1. Short title – These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants' Conduct Rules, 1956.
2. Definitions – In these rules unless the context otherwise requires :-
   (a) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;
   (b) "Government servant" means a person appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh.

Explanation – A government servant whose services are placed at the disposal of a company, a corporation, an organization, a local authority the Central government or the Government of another State by the U.P. Government, shall, for the purposes of these rules be deemed to be a government servant notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

(c) "Member of the family" in relation to government servant, includes :-

(i) the wife, son, step son, unmarried daughter or unmarried step daughter of such government servant whether residing with him or not, and, in relation to government servant, who is a woman, the husband, son, step songs, unmarried daughters or unmarried step daughters dependent on her and residing with her or not, and

(ii) any other person related, whether by blood or by marriage, to the government servant or to such government servant's wife or her husband, and wholly dependent on such government servant;

But does not include a wife or husband legally separated from the government servant or a son, step son, unmarried daughter or unmarried step daughter who is no longer, in any way dependent upon him or her, or of whose custody, the government servant has been deprived by law.

3. General – (1) Every government servant shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty.

(2) Every government servant shall at all times conduct himself in accordance with the specific or implied orders of Government regulating behaviour and conduct which may be inforce.

4. Equal treatment for all – (1) Every government servant shall accord equal treatment to people irrespective of their caste, sect or religion.

(2) No government servant shall practice un-touchability in any form.

4. (A) Consumption of intoxicating drinks and drugs – A government servant shall –

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being ;

(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duty at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug ;

(c) refrain from consuming any intoxicating drink and drug in a public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) Not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation I – For the purposes of this rule, 'public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

Explanation II – any club:-

(a) which admits persons other than government servants as members ; or

(b) the members of which are allowed to invite non-members as guests thereto even though the membership is confined to Government servants, shall also, for purposes of Explanation I, be deemed to be a place to which the public have or are permitted to have access.

5. Taking part in politics and elections – (1) No government servant shall be a members of, or be other wise associated with any political party or any organization which takes part in polities, nor shall be take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any movement or organization which is, on tends directly or indirectly to be subversive of the Government as by law established.

Illustration

X, Y, Z, are political parties in the State.

X is the party in power and forms the Government of the day.

A is a government servant.

The prohibitions of the sub-rule apply to A in respect of all parties, including X, which is the party in power.

(2) It shall be the duty of every government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be, subversive of the Government as by law established and where a government servant fails to prevent a members of his family from taking part in, or subscribing in aid of, or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to he Government.

Illustration

A is a government servant.

B is a member of the family of A, as defined in rule 2 (e).

M is a movement or activity, which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of Government as law established.

A becomes aware that B's association with M is objectionable under the provisions of the sub-rule. A should prevent such objectionable of B, he should report the matter to the Government.

(3) **********

If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final.

(4) No government servant shall canvass or otherwise interfere or use his influence in connection with, or take part in, an election to any legislature or local authority:

Provided that:-

(i) a government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted ;

(ii) a government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation – The display by a government servant on his persons, vehicle, or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub rule.

Illustration

Acting as Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Polling Officer or Polling Clerk in connection with an election does not contravence the provisions of sub-rule (4).

5-A. Demonstrations and strike – No government servant shall –

(1) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

(2) resort to, or in any way abet, any form of strike in connection with any mater pertaining to his service or the service of any other government servant.

5-B. Joining of associations by government servants – No government servant shall join, or continue to be a member of an association, the objects or

activities of which are prejudicial to the interest of the sovereign by and integrity of India or public order or morality.

6. Connection with press or radio – (1) No government servant shall except with the previous sanction of the Government own wholly or in part of conduct or participated in editing or managing of any newspaper or other periodical publication.

(2) No government servant shall, except with the previous sanction of the Government or any other authority empowered by it in this behalf, or in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadest or contribute any article or write any letter, either anonymously or in his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical:

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

7. Criticism of Government – No government servant shall in any radio broadcast or in any document publish anonymously or in the name of any other person, or in any communication to the Press, or in any public utterance, make any statement of fact or opinion -

(i) which has the effect of any adverse criticism of any decision of his superior officers or of any current or recent policy or action of the Uttar Pradesh Government or the Central Government or the Government of any other State or a local authority; Or

(ii) which is capable of embarrassing the relations between the Uttar Pradesh Government and Central Government or the Government of any other State; or

(iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State;

Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views, expressed by a government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

Illustration

(1) A, a government servant is dismissed from service by the Government. It is not permissible for B another government servant, to say publicity that the punishment is wrongful, excessive or unjustified.

(2) A public officer is transferred from station A to station B. No government servant can join the agitation for the retention of the public officer at station A.

(3) It is not permissible for a government servant to criticize publicly the policy of Government on such matters as the price of sugarcane fixed in any year, notionalisation of transport, etc.

(4) A government servant cannot express any opinion on the rate of duty imposed by the Central Government on specified imported gods.

(5) A neighbouring State lays claim to a tract of land lying on the border of Uttar Pradesh. A government servant cannot publicly express any opinion on the claim.

8. Evidence before committee or any other authority – (1) Save as provided in sub-rule (8) no government servant shall, except with the previous sanction of the government, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1) no government servant giving such evidence shall criticize the policy of the Uttar Pradesh Government, the Central Government or any other State Government.

(3) Nothing n the rule shall apply to –

(a) evidence given at an inquiry before an authority appointed by the Government, by the Central Government by the Legislature of Uttar Pradesh or by, Parliament, or

(b) evidence given in any judicial inquiry.

9. Unauthorised communication of information – No government servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance, in good faith, or the duties assigned to him communicate, directly or indirectly, any official document or information to any government servant or any other person to whom he is not authorized to communicate such document or information.

Explanation – Quotation by a government servant in his representation to his official superiors, of or from the notes on any file shall amount to unauthorized communication of information within the meaning of this rule.

10. Subscriptions – No government servant shall, except with the previous sanction of the government ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

11. Gifts – A Government servant shall not without previous approval of government –

(a) accept directly or indirectly on his own behalf or on behalf of any other person, or

(b) permit any member of his family who is dependent on him, to accept, any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation:

Provided that he many accept or permit any member of his family to accept from a personal friend, a wedding present or a present on a ceremonial occasion, of a value

not exceeding Rs. 51. All government servants shall, however, use their best endeavour to discourage even the tender of such presents.

Illustration

The citizens of a town decide to present to 'A' a Sub-Divisional Officer, a watch exceeding Rs. 51 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood.

'A' cannot accept he present without the previous approval of the Government.

11.A. No government servant shall –

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand, directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be any dowry.

Explanation – For the purposes of this rule the word 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

12. [Deleted]

13. [Deleted]

14. Public demonstrations in honour of government servants – No government servant shall, except, with the previous sanction of the Government receive any complimentary or valedictory address, or accept any testimonial or attempt any meeting or public entertainment held in his honour, or in the honour of any other government servant :

Provided that nothing in this rule shall apply to a farewell entertainment of a substantially private or informal character and held in honour of a government servant on the occasion of his retirement or transfer or of any person who has recently quitted service of the Government.

Illustration

A, a deputy collector, is due to retire. B, another deputy collection in the district, may give a diner in honour of A to which selected persons are invited.

15. Private trade or employment – No government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade, business or undertake any employment:

Provided that a government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking such a work, but he shall not undertake, or shall discontinue, such work if so directed by the Government.

16. Registration, *promotion and management of companies* – No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government take part

in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Companies Act, 1956 or under any other law for the time being in force :

Provided that a government servant may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1956 (U.P. Act no. XI of 1966), or under any other law for the time being in force or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), or under any corresponding law in force, but he will not take part in, or associate himself with the collection of funds or raising subscriptions of selling shares or any other financial transactions of such society;

Provided further that, if a government servant attends any bigger co=-operative society or body as a delegated of any Co-operative Society, he will not seek election for any post of that bigger society or body. He may take part in such election only for purposes of casting his vote.

17. ***Insurance business :*** A government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.

18. ***Guardianship of minors*** – A government servant may not, without the previous sanction of the appropriate authority, act as a legal guardian of the person or property of a minor other then his dependent.

Explanation 1- A dependent for the purpose of this rule means a government servant's wife, children and step-children and children's children and shall also include his parents, sisters, brothers, brother's children and sister's children if residing with him and wholly dependent upon him.

Explanation 2- Appropriate authority for the purpose of this rule shall be as indicated below:

For a Head of department, Divisional Commissioner or a Collector	The State Government
For a District Judge	The Administrative Judge of the High Court
For other government servants	The Head of the Department concerned.

19. ***Action in respect of a relation-*** (1) Where a government servant submits any proposal or opinion or takes any other action, whether for or against any individual related to him, whether the relationship be distant or near, he shall with every such proposal, opinion or action, expressly state whether the

individual is or is not related to him and if so related the nature of the relationship.

(2) Where a government servant has by any law, rule or order in force power of deciding finally any proposal, opinion or any other action and that proposal, opinion or action is in respect of an individual related to him, whether the relationship be distant or near and whether that proposal, opinion or action affects the individuals favourably or other wise he shall not take a decision, but shall submit the case to his superior officer after explaining the reasons and the nature of relationship.

20. Speculation- (1) No government servant shall speculate in any investment.

Explanation – The habitual purchase or sale of securities of a notoriously fluctuating value shall be deemed to be speculation in investments within the meaning of the rule.

(2) If any question arise whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1), the decision of the Government there on shall be find.

21. Investment – (1) No Government servant shall make, or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

(2) If any questions arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1), the decision of the Government there on shall be final.

Illustration

A District Judge shall not permit his wife, or son to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted and if he is transferred to a district where a member of his family has already made such an investment, he shall immediately inform his superior authority.

22. Lending and borrowing – (1) No government servant shall, except with the previous sanction of the appropriate authority, lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid:

Provided that a government servant may make an advance of pay to a private servant, or give a loan of a small amount, free of interest, to a personal friend or a relative.

(2) No government servant shall, save in the ordinary course of business with a bank, Co-operative Society or a firm, or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person within the local limits of his authority nor shall he be permit any member of his family, except with the previous sanction of the appropriate authority, to enter into any such transaction:

Provided that a government servant may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a bonafide tradesman.

(3) When a government servant is appointed or transferred to a post of such a nature as to involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2), he shall forthwith report the circumstances to the appropriate authority, and shall thereafter act in accordance with such orders as may be passed by the appropriate authority.

(4) The appropriate authority in the case of government servants who are gazetted officers, shall be the Government and in other cases, the Head of he Office.

23. ***Insolvency and habitual indebtedness*** – A government servant shall so manage is private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. A government servant who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith repot the full facts to the head of the office or department in which he is employed.

24. Movable, immovable and valuable property – (1) No government servant shall except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift, or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

Provided that any such transaction conducted other wise than through a regular and reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

A, a government servant, proposes to purchase to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer A, must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable if A proposes to sell his house.

(2) A government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees one thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority :

Provided that no government service shall enter into any fuel transaction except with or through a reputed dealer urgent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

(i) A, a government servant whose monthly pay is rupees six hundred, purchases a tape recorder for rupees seven hundred, or

(ii) B, a government servant whose monthly pay is rupees two thousand sells a car for rupees one thousand five hundred.

(3) At the time of first appointment and after the interval of five years, every government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any members of his family living with, or in any way dependent upon him. Such declaration should state the full particulars of the property, shares and other investment.

(4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a government servant to submit with in a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the appropriate authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(5) The appropriate authority –

(a) in the case of a government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the Head of the Department.

(b) in the case of other government servants, for the purposes of sub-rules (1) to (4) shall be the Head of the Department.

25. Vindication of acts and character of government servants – No government servants shall except with the previous sanction of the Government have recourse [*] to the press of the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of defamatory character.

Explanation – Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a government servant from vindicating his private character or any act done by him in private capacity.

26. [Deleted vide notification no. 3116/II-B-32-52, dated the 13th August, 1960].

27. Canvassing of non-official or other outside influence – No government servant shall bring or attempt to bring whether himself personally or through a member of his family, any political or other outside influence to beer upon any question relating to his interest in respect of matter pertaining to his service.

Explanation – Any set done by the wife or husband, as the case may be, or any member of the family of a government servant and falling within the purview of this

rule, shall be presumed to have been done at the instance, or with the connivance of the government servant concerned, unless the contrary shall have been proved.

Illustration

A is a government servant and B a member of the family of A. C is a political party and D is an organization under G, B, gained sufficient prominence in G and became, an office bearer of B. Through D, B, started sponsoring the cause of A to the extent that B sponsored some resolutions against A's official superiors. This action which will be in violation of the provisions of the above rule on the part of B shall be presumed to have been done by B at the instance, or with connivance of A unless A is able to prove that this was not so.

27-A. Representation by government servants – No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any cyber authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

28. Unauthorized pecuniary arrangement – No Government servant shall enter into any pecuniary arrangement with another government servants or any other person so as to afford any kind or advantage to either or both of them in any unauthorized manner or against the specific or implied, provisions of any rule for the time being in force.

Illustration

(1) 'a' is a senior clerk in an office and is due for officiating promotion. 'A' is diffident of discharging his duties satisfactorily in the officiating post. 'B' a junior clerk privately officer for a pecuniary consideration to help 'A'. 'A' and 'B' accordingly enter into pecuniary arrangements. Both would thereby infringe the rule.

(2) If, 'A' the Superintendent of an office, proceeds on leave, 'B' the senior most assistant in the office, will be given a chance to officiate. If 'A' proceeds on leave after entering into arrangement with 'B' for a share in the officiating allowance, 'A' and 'B' both would commit a breach of the rule.

29. Bigamous marriages – (1) No government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.

(2) No female government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.

30. Proper use of amenities – No government servant shall misuse or carelessly use, amenities provided for him by the Government to facilitate the discharge of his public duties.

Illustration

Among the amenities provided to government servant are ears, telephones, residences, furniture, orderlies, article of stationery, etc. Instances of misuse, or careless use, of these are –

(i) employment of Government ears at Government expense by members of the family of the government servant or his guests, or for other non-government work ;

(ii) making telephone trunk calls at Government expense on matters not connected with official work ;

(iii) neglect f Government residences and furniture and failure to maintain them properly ; and

(iv) Use of Government stationery for non-official work.

31. Payment for purchases – Unless payment by installments is customary, or specially provided, or a credit account is maintained with a bonafide tradesman, no government servant shall withhold prompt and full payment of the article purchase by him whether the purchases are made on tour or otherwise

32. Use of services without payment – No government servant shall without making proper and adequate payment, avail himself of any service or entertainment for which a hire or price or admission fee is charged.

Illustration

Unless specifically prescribed as part of duty, a government servant shall not –

(i) travel free of charge in any plying for hire ;

(ii) see a cinema show without paying the admission fee.

Note – [Deleted vide notification no 4644/H-B-152(3)-38, dated November 22, 1958]

33. ***Use of conveyances belonging to others –*** No government servant shall, except in exceptional circumstances, use a conveyance belonging to a private person or government servant who is subordinate to him.

34. ***Purchase through subordinates –*** No Government servant shall himself ask or permit his wife, or any member of his family living with him to ask any government servant who is subordinate to him, to make purchase locally or form out station, on behalf, of him, his wife or other member of his family, whether on advance payment or otherwise.

Illustration

'A' is a superior officer, 'B' is subordinate officer under 'A'

'A' should not allow his wife to ask 'B' to have cloth purchased for her.

35. ***Interpretation –*** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

36. ***Repeal and saving –*** Any rules corresponding to those rule sin force immediately before the commencement of these rules and applicable to government servant under the control of the Government of Uttar Pradesh are hereby repealed.

Provided that an order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

A. N. JHA
Chief Secretary